i;kj&4% djk/kku

Hkkx & I% o/kkfud vi.M

1 eb] 2015 rFkk 30 vi;y] 2015 d; e/; tkjh vk;dj rFkk vi;R;{k dj e egRoi.kZ vf/klpuk rFkk ifji=

A. vk;dj

1- vf/klpuk

1. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये लागत स्फीति सूचकांक की अधिसूचना (अधिनियम सं. 60/2015 दिनांक 24.07.2015)

धारा 48 के स्पष्टीकरण के वाक्य (v) में गत वर्ष के सम्बन्ध में लागत स्फीति सूचकांक (CII) का आशय ऐसे सूचकांक से होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) में वृद्धि के 75 प्रतिशत भाग को ध्यान में रखा जायेगा, जो ऐसे गत वर्ष से तुरंत पिछले गत वर्ष से सम्बन्धित हो।

तद्नुसार धारा 48 के स्पष्टीकरण वाक्य (v) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये लागत स्फीति सूचकांक को 1081 निश्चित किया है।

Øe- la-	foÙkh; o"kZ	ykxr LQhfr lwpdkad	Øe- la-	foÙkh; o"kZ	ykxr LQhfr lwpdkad
1.	1981-82	100	19.	1999-2000	389
2.	1982-83	109	20.	2000-01	406
3.	1983-84	116	21.	2001-02	426
4.	1984-85	125	22.	2002-03	447
5.	1985-86	133	23.	2003-04	463
6.	1986-87	140	24.	2004-05	480
7.	1987-88	150	25.	2005-06	497
8.	1988-89	161	26.	2006-07	519
9.	1989-90	172	27.	2007-08	551
10.	1990-91	182	28.	2008-09	582
11.	1991-92	199	29.	2009-10	632
12.	1992-93	223	30.	2010-11	711

© The Institute of Chartered Accountants of India

13.	1993-94	244	31.	2011-12	785
14.	1994-95	259	32.	2012-13	852
15.	1995-96	281	33.	2013-14	939
16.	1996-97	305	34.	2014-15	1024
17.	1997-98	331	35.	2015-16	1081
18.	1998-99	351			

2. fonsZ'k xeu dj rRij ty;ku ij pkyd ny dk lnL; dk :i esa Hkkjrh; ukxfjd dk Hkkjr Bgjus dk fnuksa dh x.kuk dk vk/kkj (vf/klwpuk l-70@2015] fnukad 17-08-2015½

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6(1) में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को गत वर्ष में भारत का निवासी कहा जायेगा, यदि वह—

(a) 182 दिन या अधिक की कुल अवधि के लिये उस वर्ष के दौरान भारत में है; अथवा

(b) 365 दिवस अथवा अधिक की कुल अवधि के लिये उस वर्ष से एक दम पहले से चार वर्षों के दौरान भारत में रहा तथा उस वर्ष के कम से कम या कुल मिलाकर 60 दिनों के लिये भारत में है।

अपवाद स्वरूप एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार के लिये भारत से बाहर जाता है अथवा किसी भारतीय जलयान पर चालक दल के सदस्य के रूप में जा रहा है तो वह भारतीय निवासी कहलायेगा यदि वह 182 दिन भारत में गत वर्ष के दौरान रहता है।

धारा 6(1) के अधीन, किसी व्यक्ति के भारत में निवासी होने के लिए संतुष्ट की जाने वाली शर्तों का उल्लेख है। गत वर्ष के दौरान उसके भारत में ठहरने के दिनों की संख्या के आधार पर उसकी निवासीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है।

तथापि, विदेश गमनीय जलयान, जिसकी यात्रा का गंतव्य भारत के बाहर हो, किसी भारतीय नागरिक के चालक दल के सदस्य के रूप में उसके भारत में ठहरने की अवधि के निर्धारण के आधार एवं विधि के सम्बन्धी में अनिश्चितताएं हैं।

इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए, धारा 6(1) में एक स्पष्टीकरण (2) जोड़ागया है, जो व्यवस्था करता है कि यदि एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक और विदेशगमन को तत्पर जलयान के चालक दल के सदस्य है भारत में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां, ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में, का निर्धारण निर्धारित विधि में किया जाएगा जो कि निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

तद्नुसार, CBDT ने धारा 6(1) के स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना को 1 अप्रैल 2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आयकर नियम, 1962 में नियम 126 को ठहरने की अवधि की गणना

© The Institute of Chartered Accountants of India

करने के लिये डाला।

नियम 126 के अनुसार किसी व्यक्ति के मामले में जो भारत का नागरिक है और किसी जलयान के चालक दल का सदस्य है, उसे भारत में ठहरने की अवधि या अवधियों में किसी योग्य यात्रा के संबंध में उक्त व्यक्ति द्वारा जलयान में शामिल होने के सम्बन्ध में सतत् छुट्टी प्रमाणपत्र में प्रविष्ट तारीख को आरम्भ होने वाली योग्य यात्रा के लिये एवं उस व्यक्ति द्वारा ऐसी जल यात्रा के संबंध में, जलयान से हट जाने के संबंध में सतत् छुट्टी प्रमाणपत्र में प्रविष्ट तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को गणना में शामिल नहीं किया जाये गा।

इस नियम के स्पष्टीकरण निम्नलिखित, शब्दों को परिभाषित करते हैं:

शब्द	परिभाषा / अर्थ
lrr NqVVh izek.ki=	bl 'kCn dk vFk ep~UV f'kfiax vf/kfu;e] 1958 d izo/kku cuk, x, ep~UV f'kfiax ¼lrr NqVVh izek.ki=] lg&ukfod igpku nLrko t½ fu;e] 2001 fn;k x;k gA
;kX; ty;k=k	;kX; ty;k=k e vUrjk"Vh; ;krk;kr l ;kf=;k d ogu ;k eky d ogu e yx g, ty;ku@tgkt }kjk dh xb ty;k=k vfHkizr g] tgk& **(i)** Hkkjr d fdlh cnjxkg l vkjHk gb ty;k=k dk Hkkjr l ckgj dkbZ cnjxkg xr0; LFkku g] vkj **(ii)** Hkkjr e ckgj fdlh cnjxkg l izkjHk gb ;k=k dk Hkkjr e dkbZ cnjxkg xr0; LFkku gA

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. /kkjk 32(1)(iia), o /kkjk 32AD(1) d iFke ijUrd d vUrxZr fcgkj d dN ftyk dk fiNM {k= d :i e vf/klfpr ¼vf/klpuk l- 71@2015] fnukd 17-08-2015½

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एवं पश्चिमी बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में नवीन औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए, एक नवीन धारा 32AD1 जोड़ी गयी है, जिसके अधीन किसी गत वर्ष में अभिग्रहीत एवं स्थापित नवीन प्लाण्ट एवं मशीनरी की लागत के 15% के बराबर राशि की कटौती स्वीकृत की जाएगी, यदि अग्रांकित शर्ते पूरी की जाती हैं–

(a) करदाता ने किसी वस्तु के उत्पादन/निर्माण के लिए उपक्रम 1 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् स्थापित किया हो जो आन्ध्र प्रदेश या बिहार या तेलंगाना या पं. बंगाल के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हो; एवं

(b) करदाता ने उपरोक्त उपक्रम की स्थापना के उद्देश्य से नवीन प्लाण्ट एवं मशीनरी 01.04.2015 से 31 मार्च, 2020 के मध्य अभिगृहीत एवं स्थापित की हो जो कि उपरोक्त पिछड़े क्षेत्र में हो।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एवं पं. बंगाल राज्यों के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में नवीन प्लाण्ट एवं मशीनरी के अभिग्रहण एवं स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से धारा 32(1)(iia) में एक उपबन्ध जोड़कर यह प्रावधान किया है कि (20% के स्थान पर) नवीन प्लाण्ट एवं मशीनरी की वास्तविक लागत के 35% की दर से बराबर अतिरिक्त ह्रास स्वीकृत है (जलयान एवं वायुयान को छोड़कर) जिनका अभिग्रहण एवं स्थापना 1 अप्रैल, 2015 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान किसी निर्माणी उपक्रम या उद्यम द्वारा 1 अप्रैल, 2015 को अथवा उसके पश्चात् निर्दिष्ट राज्यों के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में किया गया है।

rnuqlkj] dUnzh; ljdkj us vf/klpuk }kjk /kkjk **32(1)(iia)** ,o /kkjk **32AD(1)**d iFke ijUrd d vUrxZr fcgkj jkT; d fuEufyf[kr 21 ftyk dk fiNM {k= d :i e vf/klfpr fd;k g**: -**

Ø l.	ftyk	Ø l.	ftyk
1.	पटना	12.	समस्तीपुर
2.	नालन्दा	13.	दरभंगा
3.	भोजपुर	14.	मधुबनी
4.	रोहतास	15.	पूर्णिया
5.	काइमूर	16.	कटिहार
6.	गया	17.	अररिया

© The Institute of Chartered Accountants of India

7.	जहानाबाद	18.	जमुई
8.	औरंगाबाद	19.	लखीसराय
9.	नवादा	20.	सुपॉल
10.	वैशाली	21.	मुजफ्फरपुर
11.	सियोहर		

4. /kkjk **10¼22B½** d iko/kkuk d fy;s vf/klfpr lekpkj ,tlh ¼vf/klpuk l- 72@2015] fnukd 24-08-2015½

धारा 10(22B) में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी समाचार एजेंसी द्वारा प्राप्त आय करमुक्त है, जो समाचार संग्रहण एवं वित्तरण करने के लिये भारत में स्थापित हो, परन्तु ऐसी छूट प्राप्त करने के लिये उस एजेंसी को अपनी आय को पूर्णतः समाचार संग्रह एवं वितरण पर लगाना होगा एवं सदस्यों को आय नहीं बटेगी।

परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक, को तीन करनिर्धारण वर्षों के लिये धारा 10(22B) के प्रयोजन हेतु समाचारों के संग्रहण एवं वित्तरण के भारत में स्थापित समाचार एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया। समाचार एजेंसी की आय इन तीन वर्षों कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि यह एजेंसी अपनी आर्य को पूर्णतः समाचार संग्रहण एवं वितरण मात्र के प्रयोग करेगी और इसे किसी भी प्रकार से अपने सदस्यों को वितरित नहीं करेगी।.

5. fu;e **2BB** d rgr ifjogu HkRrk d lhc/k e foefDr dk eid ,o cf/kj depkfj;ksa d fy;s c<kuk ¼vf/klpuk l- 75@**2015** fnukd 23-09-2015½

धारा 295 के साथ 10(14) को पढ़ते हुए, प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते कुछ CBDT ने नये नियम 2BB में संशोधन किया है जिसके अधीन कर्मचारी द्वारा परिवहन भत्ते की अधिकतम विभुक्ति की सीमा रू. 1600 प्रतिमाह एवं नेत्रहीन या शारीरिक अपंगता से पीड़ित कर्मचारी की अधिकतम विमुक्ति की सीमा को रू. 3200 किया गया, जो कर्मचारियों को अपने निवास स्थान से ड्यूटी के स्थान तक आवागमन के व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से स्वीकृत है।

इस अधिसूचना के जरिये किये गए संशोधन के फलस्वरूप नेत्रहीन या मूक एवं बधिर या शारीरिक अपंगता से पीड़ित कर्मचारी द्वारा परिवहन भत्ते को रू. 3200 प्रतिमाह तक की विमुक्ति उपलब्ध होगी जो कर्मचारी को अपने निवास स्थान से कार्यालय तक आवागमन के व्ययों की पूर्ति हेतु उपलब्ध होगी।

6- fofufn"V yu&nu dh ekfnd lhek ftuesa LFkkbZ [kkrk lqfo/kk dk mYy[k

© The Institute of Chartered Accountants of India

djuk tuojh] 2016 l vko';d gA ¼vf/klwpuk l[;k 95@2015] fnukd 30-12-2013½

सरकार ब्लैकमनी (काले धन) के प्रसार का दमन करने एवं कर के दायरे को बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। कुछ ऐसे प्रकार के लेन–देन जो अनाधिकृत रूप से होते हैं उन पर नजर रखने के लिए, सरकार ने आयकर नियम, 1962 के नियम संख्या 114B के तहत् निर्देश दे रखा है कि यदि लेन–देन के फलस्वरूप राशि विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती है तो स्थाई खाता संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होता है। उचित और अनुचित लेन–देनों में अन्तर करने हेतु नियम 114B में ऊँची राशि (कीमत) से प्रतिस्थापित किया गया है जहाँ PAN (स्थाई खाता संख्या) लिखना आवश्यक हो।

Ø- l-	ywu&nwu dh izdfr	ywu&nwu dh jkf'k ¼eY;½
1.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में परिभाषित वाहन, दो पहिया वाहन के अतिरिक्त का क्रय विक्रय जिसमें पंजीकरण की आवश्यकता हो।	समस्त ऐसे लेन–देन
2.	किसी बैंक जिसमें सहकारी बैंक शामिल हैं और जिन पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 लागू होता है (धारा 51 में वर्णित कोई भी बैंकिंग संस्थान) में बचत खाता खोलना (समयावधि खाता जिसे क्र.सं. 12 में दर्शाया गया है)	समस्त ऐसे लेन–देन।
3.	किसी बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 लागू होता है (जिसमें वह बैंकिंग कम्पनी भी शामिल है जो धारा 51 में वर्णित है) या अन्य कोई कम्पनी या संस्थान में डेबिट व क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन करना	ऐसी समस्त लेनदेन
4.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12(1A) के तहत् पंजीकृत + डिपॉसिटरी, डिपॉसिट पार्टिसिपेट (DA), कस्टोडियन, प्रतिभूति कर या अन्य कोई व्यक्ति के पास खोलना।	ऐसे समस्त लेनदेन
5.	एक बार के लेनदेन के तहत् किसी होटल या रेस्टोरेन्ट में बिल का भुगतान करना	रोकड़ भुगतान की राशि रू. 50,000 से अधिक
6.	विदेश यात्रा के लिए या विदेशी मुद्रा का क्रय करने हेतु भुगतान करना।	रोकड़ भुगतान की राशि रू. 50,000 से अधिक है।
7.	मूच्युअल फंड में यूनिटों के क्रय हेतु भुगतान करना।	मूल्य रू. 50,000 से अधिक
8.	किसी कम्पनी/संस्था से बॉण्ड व ऋण–पत्र क्रय अधिग्रहण करने पर भुगतान करना।	भुगतान की राशि रू. 50,000 से अधिक

© The Institute of Chartered Accountants of India

9.	रिजर्व बैंक द्वारा जारी बॉंड क्रय करने हेतु भुगतान करना	भुगतान की राशि रूपये 50,000 से अधिक
10.	किसी बैंक या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 लागू होता है (ऐसा बैंक जिसका संदर्भ अधिनियम की धारा 51 में दिया गया में राशि जमा करना)	जमा रोकड़ राशि 50,000 से अधिक (एक दिन में)
11.	किसी बैंक या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के प्रावधान लागू होते हैं या ऐसा बैंक जो अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित है से बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक क्रय करना।	एक दिन में रोकड़ में भुगतान राशि रूपये 50,000 से अधिक
12.	le; vof/k tek % 1. बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम, 1949 के प्रावधान लागू होते हैं (इनमें वह बैंक भी शामिल है जिसका संदर्भ अधिनियम की धारा 51 में दिया गया है।) 2. पोस्ट ऑफिस 3. निधि कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 में वर्णित है या एक गैर–बैंकिंग वित्ततीय कम्पनी जिसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत् जमा राशि स्वीकार करने का पंजीकरण प्रमाणपत्र है।	जमा राशि रूपये 50,000 से अधिक या कुल राशि एक वित्तीय वर्ष के दौरान रूपये 5.00 लाख
13.	एक या अधिक समय पूर्व (पूर्वदत) भुगतान पत्र जिसे रिजर्व बैंक के भुगतान एवं समाधान व्यवस्था अधिनियम, 2007 (Payment & Settlement Systems Act, 2007) की नीति निर्देशिका में पूर्वदत्त भुगतान की क्रियावंती हेतु परिभाषित किया गया है, को बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम, 1949 लागू होता है (अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित बैंक सहित) या किसी अन्य कम्पनी या संस्थान को भुगतान करना या उसमें जमा कराना।	रोकड़ राशि या बैंक ड्राफ्ट या पे–आर्डर या बैंकर चैक से जमा कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में रूपये 50,000 से अधिक
14.	बीमा अधिनियम, 1938 में परिभाषित किसी बीमा कम्पनी को जीवन बीमा के प्रीमियम का भुगतान करना।	एक वित्तीय वर्ष में रूपये 50,000 से अधिक
15.	प्रतिभूतियों (अंशों को छोड़कर) जिनको प्रतिभूतियाँ संविदा विनियम अधिनियम, 1956 की धारा 2(n) में परिभाषित किया गया है, के क्रय– विक्रय के लिए अनुबंध करना।	प्रति लेनदेन पर राशि रूपये 1 लाख से अधिक
16.	किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी कम्पनी के अंश क्रय–विक्रय करना	क्रय–विक्रय राशि रू. 1

© The Institute of Chartered Accountants of India

	जिस कम्पनी के अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (Listed) नहीं है।	लाख प्रति लेन–देन।
17.	अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय	रूपये 10 लाख से अधिक या स्टैम्प वेल्युएशन ऑथारिटी द्वारा धारा 50C में वर्णित किया गया रू. 10 लाख से अधिक
18.	क्रम संख्या 1 से 17 में वर्णित लेनदेन के अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं से संबंधी	रूपये 2 लाख से ज्यादा प्रति लेनदेन

ukckfyx }kjk ekrk&firk ¼**Parent**½ ;k lqj{kd dh LFkkbZ [kkrk la[;k dk gokyk nsuk &

जहाँ उपरोक्त नियम में संदर्भित व्यक्ति नाबालिग है और जिसकी कोई करयोग्य आय नहीं है, वह लेनदेन में अपने माता या पिता या संरक्षक, जैसा की मामला हो, में स्थाई खाता संख्या का उल्लेख करेगा।

ftl 0;fDr dh ikl LFkkbZ [kkrk la[;k ¼**PAN**½ ugha gS &

जो व्यक्ति उपरोक्त नियम के तहत् लेनदेन करेगा और उसके पास स्थाई खाता संख्या नहीं है तो उसे फॉर्म नं. 60 में लेनदेन का सारा विवरण देना होगा और घोषणा करनी होगी कि उसने फॉर्म में वर्णित लेनदेन किया है और उसके पास PAN नहीं है।

fu;e la[;k **114B** dk ykxw u gksuk

नियम 114B के प्रावधान निम्न श्रेणी/श्रेणियों पर लागू नहीं है –

(i) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं वाणिज्यिक दूत,

(ii) धारा 2(30) में संदर्भित गैर–निवासी व्यक्तियों के लिए लेनदेनों के लिए, सिवाय निम्नांकित लेनदेन तालिका में वर्णित लेनदेन जिसका उल्लेख क्र.सं. 1 या 2 या 4 या 7 या 8 या 10 या 12 या 14 या 15 या 16 या 17 में किया गया है

dN okD;ka'kksa dk vFkZ %&

Ø-la-	okD;ka'k	leko'k@vuqo'ku

© The Institute of Chartered Accountants of India

(1)	यात्रा के सम्बन्ध में भुगतान	किराये का भुगतान या एजेन्ट को या टूर ऑपरेटर को या अधिकृत व्यक्ति को, जिसकी परिभाषा विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(C) में दी गई है।
(2)	यात्रा का प्रबंध करने वाले व्यक्ति (Travel Agent) या टूर ऑपरेटर	वह व्यक्ति जो हवाई, भू–तल सम्बन्धी, समुन्द्री यात्रा के लिए सारे प्रबंध करता है या सेवाएँ प्रदान करता है। उसकी सेवाएँ यात्रा के लिए स्थान प्रबंध, मनोरंजन, पासपोर्ट, वीजा, विदेशी विनिमय यात्रा से सम्बन्धित बीमा या अन्य सुविधाएं जो यात्रा से सम्बन्ध रखती है, का प्रबंध, अलग–अलग टुकड़ों में या एक पैकेज के रूप में।

7- ^vVy i'ku ;kstuk* & /kkjk **80CCD(1)** d rgr vf/klfpr& vf/klpuk l[;k 7@2016 fnukd 19-02-2016

धारा 80CCD(1)के तहत् केन्द्र सरकार को पेंशन योजना के लिए अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इस योजना में जमा सहयोग राशि (योगदान) के लिए एक व्यक्ति निर्धारिती (assessee) कटौती प्राप्त करने के योग्य है।

तद्नुसार केन्द्र सरकार ने धारा 80CCD(1) से प्राप्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अटल पेंशन योजना (APY) के लिए अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना भारतीय गजट के असाधारण (Extraordinary) अंक, भाग–1, अनुभाग–1, में संख्या F.No. 16/1/2015-PRदिनांक 16.10.2015 में प्रकाशित की गई। इस योजना में सहयोग राशि (योगदान) जमा करवाने वाला व्यक्ति (individual assessee) धारा 80CCD के तहत् कटौती का पात्र है।

8- u;s ifjf'k"V 1 esa rsy d dqvksa dk [kfut rsy dh bdkbZ;ksa e& 111 d rgr dkj[kkuk ,oa midj.k&**15%** gkl d ik= (vf/klpuk l[;k 13@2016 fnukd 03-03-2016½

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अधिसूचना के माध्यम से तेल के कुओं को उप–मद (xii) प्रविष्टि (C) के प्रविष्टि रूप में ''खनिज तेल कम्पनियाँ'' के शीर्षक से मद (8) उप–शीर्षक III– कारखाना एवं उपकरण (कलपुर्जे इत्यादि) को नये परिशिष्ट में शामिल किया।

प्रविष्टि (C) के अनुसार तेल के कुओं के लिए ह्रास की प्रति दर 15% है।

उक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा।

9- dN ekeyksa esa iathxr lEifRr;ksa vf/kxg.k vof/k dh fu/kkj.k gsrq fof/k& vf/klpuk l[;k 18@2016 fnukd 17-03-2016

© The Institute of Chartered Accountants of India

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(42A) में प्रावधान है ''लघु–अवधि पूंजीगत सम्पत्ति'' वह सम्पत्ति है जिसे निर्धारिती अधिग्रहण करने के पश्चात् 36 महीने से कम की अवधि के लिए स्थानान्तरण से पूर्व अपने पास रखता है। धारा 2(42A)की व्याख्या (explanation) के उपवाक्य ¼i) में उक्त सम्पत्ति ग्रहण अवधि के लिए कुछ सम्पत्तियों को शामिल तथा कुछ को लेनदेनों से मुक्त कर रखा है और प्रावधान के अनुरूप ग्रहण अवधि का निर्धारण किया जाता है। धारा 2(42A) की व्याख्या की उपवाक्य ¼ii) में प्रावधान है कि जिन पूंजीगत सम्पत्तियों का उल्लेख उप–वाक्य ¼i) में है उन्हें छोड़कर अन्य पूंजीगत सम्पत्तियों की अधिग्रहण ¼Holding) अवधि CBDT द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

तदनुसार CBDT ने आयकर नियमावली, 1962 में नये नियम सं. 8AA का प्रतिपादन किया है। इस नियम के अन्तर्गत वह अवधि जिसके लिए धारा 2(42A) के स्पष्टीकरण 1 में उल्लेखित सम्पत्तियों से भिन्न पूंजीगत सम्पत्ति किसी निर्धारिती द्वारा धारण की हुई है, वह इस नियम के अनुसरण में अवधारणा की जायेगा। विशेष तौर पर यदि पूंजीगत सम्पत्ति किसी कम्पनी द्वारा जारी अंश ¼Share) व ऋण–पत्र ¼debenture) है, जिसका कर निर्धारिती धारा 47(x), में वर्णित परिस्थितियों ¼Circumstances) के अनुरूप अधिग्रहण करता है, इनमें वह अवधि भी शामिल की जाएगी जो बॉंड, ऋण–पत्र, ऋण–स्टॉक, डिपोसिट प्रमाण–पत्र के अधिग्रहण की बनती है, बशर्ते अंश इन पत्रों (दस्तावेजों) के अंश में परिवर्तित होने का परिणाम हों। उपरोक्त नियम 01.11.2016 से प्रभावी होगा।

नोटः– धारा 47(x) कहती है कि यदि प्रतिभूतियों (बॉण्ड या ऋणपत्रों या ऋणपत्र स्टॉक या जमा (deposit) प्रमाण–पत्रों) के परिवर्तन (conversion) के परिणामस्वरूप स्थानान्तरण होता है चाहे किसी भी स्वरूप में स्थानान्तरण हो, तो उस कम्पनी के अंशों, ऋण पत्रों को पूंजी लाभ के लिए गणना हेतु गणना पात्र नहीं माना जाएगा।

10- lkoHkkSrk lo.kZ ckWM ;kstuk ¼**Sovereign Gold Bond Scheme, 2015** dh LVkd izek.k&i=k **(Certificate)** esa fuos'k ¼/kekFkZ U;kl &**Charitable Trust**½ d }kjk ik=rk izkIr fuos'k dk ,d izdkj½ vf/klwpuk l- ¼ 21@2016] fnukad 23-03-2016½

धारा 11(2)(b) के अनुसार यदि गत वर्ष में 35% आय दान्तव्य या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भारत में प्रयुक्त नहीं की जाती या प्रयुक्त की हुई नहीं मानी जाती और एकत्रित की जाती है या सम्पूर्ण आय या आंशिक रूप से, भारत में प्रयोग हेतु रखी जाती है और (इक्ट्ठी की गई) या अलग रखी गई, ऐसी आय को निर्धारिती की गत वर्ष में अर्जित आय में शामिल नहीं की जानी चाहिये, परन्तु शर्त यह है कि, अन्य बातें के मध्य, ऐसी एकत्रित की गई या अलग रखी गई आय का धारा 11(5) में वर्णित निवेश/जमा किया जाना चाहिये।

नियम 17C में उन निवेश/जमा की प्रकार/किस्म का ब्यौरा दिया गया है जिसमें दान्तव्य या धर्मार्थ न्यास/संस्थाओं द्वारा निवेश किया जा सकता है या राशि जमा कारवाई जा सकती है।इस अधिसूचना के द्वारा CBDT ने नियम 17C को संशोधित

© The Institute of Chartered Accountants of India

करते हुए उसमें उपवाक्य ¼ix) को जोड़ा है जिसमें स्टॉक प्रमाण पत्र में निवेश के दिशा–निर्देश दिये गये है। जो निवेश/जमा के प्रात्रता प्राप्त प्रकार हैं। सम्प्रभुता स्वर्ण बॉण्ड योजना, 2015 के पैराग्राफ ¼2) की उपवाक्य ¼C) में परिभाषित किया गया है– अधिसूचना सं. GSR-827 (E), दिनांक 30.10.2015 के सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

ifji=

1- fuxe ftudh /kkjk **10(26BBB)** d: vUrxZr vk; foeDr g: dk fd;: x;: Hkqxrku l: dj dVkSrh ugh dh tk;xh ¼ifji= l:[;k **7/2015,** fnukad **23-04-2015**½

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले परिपत्र संख्या 4/2002,दिनांक 16.07.2002 को जारी किया जो रखता है कि इस प्रकार की इकाइयों को किये गये भुगतान से स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता नहीं है जिसकी आय धारा 10 के अन्तर्गत बिना शर्त विमुक्त है तथा जिसे वैधानिक रूप से धारा 139 के अनुसार आय की विवरणी को फाइल करना आवश्यक नहीं है।

01.04.2004 के प्रभाव से वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा डाली धारा 10(26BBB) भूतपूर्व सैनिक जो भारत के नागरिक का कल्याण तथा आर्थिक उत्थान के लिए केंद्रीय राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम के द्वारा स्थापित एक निगम को विमुक्त करता है। धारा 10(26BBB) के अन्तर्गत कवर निगम को धारा 139 के अनुसार आय की विवरणी को वैधानिक रूप से फाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

अब, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने परिपत्र के जरिये स्पष्ट किया है कि क्योंकि धारा 10(26BBB) के अन्तर्गत कवर निगम परिपत्र संख्या 4/2002 की दो शर्तों को पूरा करता है अर्थात् धारा 10 के अन्तर्गत आय की बिना शर्त विमुक्ति तथा साथ में धारा 139 के अनुसार वैधानिक रूप से आय की विवरणी को फाइल करना आवश्यक नहीं है। वे उक्त परिपत्र का लाभ के लिए हकदार होंगे।

अतएव, इस प्रकार से निगम को किया भुगतान से स्रोत से कर कटौती की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी आय धारा 10 के अन्तर्गत विमुक्त है।

2. ifjR;kx Qhpj fQYe d: ekeys e: /kkjk 37 d: vUrxZr Lohdk;: ikMD'ku dh ykxr d: lc/k e: dVkSrh ¼ifji= l:[;k **16/2015,** fnukd **6.10.2015**½

एक गत वर्ष में फिल्म सेंसर्स बोर्ड द्वारा रीलीज के लिए प्रमाणित फीचर फिल्म की प्रोडक्शन की लागत के संबंध में कटौती को नियम 9A में प्रदान किया है।

हांलांकि परित्याग फिल्म के संबंध में, क्योंकि फिल्म सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता, कुछ मामलों में नियम 9A को लागू करके अथवा व्यय को पूँजी व्यय के रूप में मानकर किसी कटौती की आज्ञा नहीं है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस विषय पर न्यायिक निर्णय के प्रकाश में मामले का परीक्षण किया। इस विषय पर *Venus Records* तथा *Tapes Pvt. Ltd.*के मामले में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय का दिनांक 28.1.2015 (2013 का ITA 310) का आदेश को स्वीकृत किया तथा उपरोक्त विवाद पर आगे विवाद नहीं किया।

परिणामतः यह स्पष्ट किया गया है कि नियम 9A त्याग फीचर फिल्म पर लागू नहीं होता तथा परित्याग फीचर फिल्म पर उत्पन्न व्यय को पूँजीगत व्यय नहीं माना जाता। परित्याग फीचर फिल्म की प्रोडक्शन की लागत को राजस्व व्यय माना जाता है तथा

© The Institute of Chartered Accountants of India

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 के प्रावधान के अनुसार स्वीकृत है।

बैंक की नॉन SLR प्रतिभूतियों में निवेश से प्राप्त ब्याज की राशि को व्यापार/व्यवसाय से अर्जित आय, या अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अन्तर्गत करयोग्य माना जाएगा ? परिपत्र संख्या – 18 दिनांक 02.11.2015

इस परिपत्र में इस समस्या का समाधान किया गया है कि क्या बैंकों के मामले मे नॉन SLR प्रतिभूतियों के निवेश से प्राप्त ब्याज अर्जित करने हेतु जो व्यय किया जाता है क्या धारा 57(i) के तहत् वह व्यय अनुज्ञेय नहीं है यह विचार करते हुए कि Non-SLRप्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज शीर्ष ''अन्य स्रोतों से आय'' के अन्तर्गत आता है।

धारा 56(1)(id) के अनुसार प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज आय निर्धारण हेतु शीर्ष ''अन्य स्रोतों से आय'' के तहत् करयोग्य है, यदि आय ''व्यापार/व्यवसाय से लाभ के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है।

CBDT ने इस मामले में किए गए न्यायिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए परीक्षण किया है। *CIT* v. *Nawanshahar Central Cooperative Bank Ltd. [2007] 160 Taxman 48 (SC)* के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बैंकिंग कम्पनियों के द्वारा किया गया निवेश बैंकिंग व्यवसाय का एक भार है। इसलिए इस निवेश से प्राप्त आय भी व्यापार/व्यवसाय से प्राप्त आय है जो व्यापार/ व्यवसाय से सम्बन्धित है और आय की गणना शीर्ष ''व्यापार/ व्यवासय में लाभ से आय'' के शीर्षक में करयोग्य है।

4. ikl fxd ¼**Relevant**½ vf/kfu;e d rgr /kkjk ¼139½¼1½ d v/khu foojf.kdk Qkby dju l iwo ijUr fu;r frFk d i'pkr deZpkfj;k d dY;k.k QaM e ;kxnku jkf'k dk Hkqxrku fd;k x;k gk rk D;k vuqK; g \ ¼ifji= l-22@2015 fnukad 17-12-2015½

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B के तहत् कुछ कटौतियाँ अनुज्ञेय हैं। यह कटौतियाँ भुगतान के आधार पर अनुज्ञेय हैं। बोर्ड (CBDT) ने विवेचना के पश्चात् पाया कि कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धी कोषों जैसे भविष्य निधि, सेवानिवृति कोष, उपादान कोष, या कोई अन्य कल्याणकारी कोष जो कर्मचारियों के हित के लिए बनाये गये हैं, उनके लिए योगदान राशि को नियत तिथि के पश्चात् जमा कराया गया जाता है।

बोर्ड (CBDT) ने *Commissioner v Alom Extrusions Ltd, [2009] 185 Taxman 416,* का परीक्षण किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कर्मचारीगण कल्याणकारी कोष में योगदान राशि को रिटर्न दायर करने से पूर्व जमा कराते हैं तो कटौती के पात्र है।

तदनुसार, स्पष्ट स्थिति यह है कि ;fn fdlh djfu/kkfjrh fu;kDrk d :i e viu nkf;Ro dk fuokZg djr g, n; jkf'k] ftl Hkqxrku dju dk mldk mRrjnkf;Ro g] tl dj] midj] ;k 'kYd bR;kfn dk Hkqxrku] fu;kDrk d :i e Hkfo"; fuf/k] mikunku dk"k ;k dkbZ vkj QaM ¼dk"k½ e fu;r frFk ijUr /kkjk 139¼1½ d rgr fjVu i'k dju l igyk djrk g rk og jkf'k /kkjk ***43B*** d rgr vu vuqK; ugh gkxhA

vkx ;g Li"V fd;k x;k g fd ;g ifji= deZpkfj;k }kjk fd;k x;

© The Institute of Chartered Accountants of India

;kxnku ij ykx ugh gkrk D;kfd mudk dY;k.kdkjh dk"k e: fd;: x;: ;kxnku vk;dj vf/kfu;e] 1961 dh /kkjk *36(1)(va)* l: vf/k'kkf"kr gkr: gA

5. dkVZ d: vkn'k ij dkVZ d: egk i:th;d ¼**Registrar General of Court**½ ;k tek djrk d: uke ij fd;: x;: LFkkbZ tek ij C;kt ij /kkjk **194A** d: rgr dVkSrh d: ikS/kku dh ik;kT;drk ¼**applicability**½¼ifji= l:- 23@2015 fnukad 28-12-2015½

धारा 194A अधिशाषित करती है कि प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज को छोड़कर अन्य जमाओं वित्तीय वर्ष के दौरान पर मिलने वाली ब्याज पर विनिर्दिष्ट छूट की राशि को छोड़कर शेष ब्याज राशि पर करारोपण किया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 194A के प्रावधान में यू.को. बैंक के मामले में याचिका संख्या 3563(2012) और सी.एम. संख्या 7517/2012 दिनांक 11.11.2014 को फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोर्ट के आदेश पर कोर्ट के महा पंजीयक के नाम पर स्थाई जमा खाता खोला जाता है जबकि मामले की सुनवाई चालू है, ऐसे मामले में जब तक कोर्ट मामला की सुनवाई पूरी करके फैसला नहीं सुनाता है, तो पता भी नहीं लग सकता कि जमा राशि किसकी है और कौन व्यक्ति इस स्थाई जमा सहित ब्याज का मालिक होगा। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अन्तिम फैसले के पश्चात् जो व्यक्ति राशि प्राप्त का अधिकारी होगा उसे कर अदायगी का पात्र माना जाएगा। तदनुसार, आदेश पारित किये जायेंगे। इसी समय ही स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी। उच्च न्यायालय ने परिपत्र संख्या 8/2011 को रद्द कर दिया।

तदनुसार, बोर्ड (CBDT) ने इस फैसले का स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोर्ट के आदेश पर कोर्ट के महा पंजीयक या जमाकर्ता के नाम स्थाई जमा रसीद (FDR) जारी की जाती है तो उस पर तब तक स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी, जब तक कोर्ट मामले में अन्तिम फैसला नहीं सुना देता। फिर भी जब कभी भी कोर्ट FDR की राशि पर मालिकाना हक की घोषणा कर देता है तब उसी मालिक के राशि प्राप्ति पर धारा 194A के तहत् स्रोत पर कर की कटौती की जाती है।

6- cksMdkLVj dEifu;ksa ;k Vh-oh- pSuyksa }kjk fuekZ.k dEifu;ksa (**Production houses**½ dk Vh-oh- ij n'kkZu gsrq ikS.kke ;k vU; fuekZ.k dk;ksZa d: cnys Hkqxrku fd;s tkus ij lsok ij dj dh dVkSrh d: ikS/kku (ifji= l:[;k 04@2016 fnukad 29-02-2016½

ब्रॉण्डकास्टर कम्पनियों या टी.वी. चैनलों द्वारा निर्माण कम्पनियों (Production houses) को टी.वी. पर दर्शाने हेतु प्रोग्राम या अन्य निर्माण कार्यों के बदले भुगतान किये जाने पर स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधान – प्रायोज्यकता (Applicability) बोर्ड (CBDT) ने ब्रॉण्डकास्टर्स या टी.वी. चैनलों द्वारा निर्माण हाउस (Production houses) व अन्य व्यक्ति (जो निर्माण कार्य में सहायता करते हैं) को भुगतान करने पर कर की कटौती के मामले का परीक्षण किया है।

विचाराधीन प्रश्न (समस्या) यह है कि क्या जो भुगतान ब्रॉण्डकास्टर व टी.वी. चैनल प्रोडक्शन हाउसिस को टी.वी. में दिखाए जाने वाले प्रोग्रामों का निर्माण करते है क्या वह भुगतान ''कार्य–अनुबंध'' (Work Contracts) हैं और स्रोत पर कटौतीयोग्य हैं और धारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

194C के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं या व्यावसायिक (Professional) या तकनीकी (Technical) सेवाओं के लिए स्रोत पर धारा 194J के तहत् करयोग्य हैं।

बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया कि स्रोत पर कर कटौती के उचित–प्रासंगिक प्रावधान को निर्माण विषय पर लागू करने हेतु निम्न दो बिन्दुओं में अन्तर को स्पष्ट करना होगा :–

(i) निर्माण कार्य (Production Content) का सृजन ब्रॉण्डकास्टर/टी.वी. प्रसारण के विशेष विवरण (Specification) के अनुसार होता है तथा इसके लिए भुगतान होता है।

(ii) टी.वी. प्रसारण के अधिकारों का उपयोग पूर्व निर्मित टी.वी. प्रोग्राम के अधिग्रहण करने हेतु भुगतान होता है।

प्रथम स्थिति (Situation) में टी.वी. पर दिखाए जाने वाले दृष्यों को नियत विवरण के अनुसार ब्रॉण्डकास्टर/टी.वी. चैनल वाले दिखाते हैं और उनका कॉपीराइट स्वतः टी. वी. चैनल/ब्रॉण्डकास्टर को स्थानान्तरित हो जाता है। ऐसे प्रकरण को कार्य की परिभाषा में धारा 194C के तहत् सम्मिलित किया जाता है और स्रोत पर कर की कटौतीयोग्य है। इस स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि कार्य की परिभाषा जिसे धारा 194C की व्याख्या में दी गई के उपवाक्य (iv) (b) में निहित किया गया है और उसे परिपत्र सं. 715 दिनांक 08.08.1995 के प्रश्न संख्या 3 में स्पष्ट किया गया है।

परन्तु, द्वितीय अवस्था में जहाँ ब्रॉडकास्टर/टेलीवीयन चैनल सम्पूर्ण ब्रॉडकास्टिंग अधिकारों का अधिग्रहण कर (जिन्हें पहले से ही निर्मित किया हुआ है) मालिकाना अधिकार प्राप्त करती हैं। इस स्थिति में कोई भी संविदा या अनुबंध कार्य को करने हेतु नहीं बनता जो धारा 194C के प्रायोज्यनार्थ आवश्यक है। अतः ऐसे भुगतान स्रोत पर कर की कटौती हेतु धारा 194C के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते। फिर भी, भुगतान तो करयोग्य है और यह अध्याय XVII-B के अन्तर्गत करयोग्य है।

7. Vyhoh tu (njn'ku½ puYl vkj idk'ku xg (**Publication Houses**½ }kjk foKkiu dEifu;ksa dk mudh }kjk foKkiuksa ds fy, 0;oLFkk djuh vkj foKkiuksa ds fy, ifjr djus gsrq ifji= l[;k 05@2016 fnukad 29-02-2016 Hkqxrku djus ij Lkkr ij dVkrh djus ds fy, vk;dj ikoa/kkuksa dh iz;kT;Drk

बोर्ड (CBDT) ने टी.वी. चैनलों या मीडिया हाउसिस समाचारपत्रों या मैगजिनों द्वारा विज्ञापन एजेंसियों को उनके द्वारा विज्ञापन लाने और उनके लिए प्रेरित करने के एवज में भुगतान करने पर स्रोत पर कर की कटौती की समस्या का परीक्षण किया गया।

बोर्ड (CBDT) ने नोट किया कि दो प्रकार के विज्ञापन के व्यवसाय है :–

(i) विज्ञापन एजेंसियों को ग्राहकों द्वारा भुगतान।

(ii) विज्ञान एजेंसियों द्वारा टेलीविजन चैनलों/समाचार–पत्र एजेंसियों को भुगतान।

इन पार्टियों को भुगतान सम्बन्धी प्रावधानों को परिपत्र संख्या 715 दिनांक 08.08.1995 में डील किया गया है। इस परिपत्र में प्रश्न संख्या 1 और 2 में स्पष्ट किया गया है कि जब

© The Institute of Chartered Accountants of India

भी वक्र–कन्ट्रैक्ट के लिए भुगतान किया जाएगा तो धारा 194C के प्रावधानों के अधीन कर की कटौती की जाएगी और दूसरे श्रेणी के व्यवहारों के लिए अर्थात् विज्ञापन एजेंसियों द्वारा मीडिया कम्पनी को भुगतान के समय स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

परन्तु, एक दूसरी समस्या यह है कि जो शुल्क विज्ञापन एजेंसियाँ मीडिया से विज्ञापन को प्रेरित करने या बुक करने के बदले में लेती है (बिल का लगभग 15%) वह कमीशन है या बट्टा। निर्धारिती द्वारा तक्र यह दिया गया है कि जो सम्बन्ध विज्ञापन एजेंसियों का मीडिया से है उसका आधार यह है कि दोनों ही प्रधान व्यक्ति है (Basis is principal to principal अर्थात् इनमें से कोई एजेंट नहीं है) अर्थात् यह भुगतान व्यापारिक बट्टे के प्रकार का है यह भुगतान कमीशन नहीं है। अतः धारा 194H के तहत् स्रोत पर कर की कटौती (TDS) की सीमा से परे है। परन्तु राजस्व विभाग का मत है कि कुछ मामलों में विज्ञापन एजेंसियाँ, मीडिया के लिए काम करती है और उनके लिए विज्ञापन जुटाती (procure) हैं और उनके द्वारा कुछ मार्जिन की राशि रोकी जाती है वह राशि कमीशन के समान है और तदनुसार धारा 194H को आकर्षित करती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Jagran Prakaghan Ltd. के मामले में तथा दिल्ली उच्च न्यायालय ने Living media Ltd. के मामले में पूरी तरह से परीक्षण किया और दोनों अदालतों (courts) ने एक समान निर्णय लिया कि विज्ञापन एजेंसियों और मीडिया के मध्य principal to principal का सम्बन्ध है, और इसलिए इनके बीच भुगतान धारा 194H के तहत् स्रोत पर कर की कटौती योग्य नहीं है। विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष Living Media Ltd. के मामले में विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) प्रस्तुत की, जिसे कोर्ट ने 11.12.2009 तथा 05.05.2014 क्रमशः के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया। यद्यपि यह निर्णय प्रिंट मीडिया के सम्बन्ध में पारित किया गया परन्तु यह निर्णय इलैक्ट्रोनिक मीडिया/टेलीविजन विज्ञापनों पर इसीलिए लागू माना गया है क्योंकि इनकी गतिविधियाँ व्यापक रूप से एक समान प्रकृति की है।

उपरोक्त निर्णय को विचार में रखकर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया कि टेलीविजन चैनल/समाचारपत्र कम्पनियों के द्वारा विज्ञापन एजेंसियों को विज्ञापन जुटाने और उसके लिए प्रेरित करने हेतु किये गये भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी और यह भी स्पष्टीकरण दिया गया कि बोर्ड (CBDT) के परिपत्र संख्या 715 दिनांक 08.08.1995 में संदर्भित (referred) प्रश्न संख्या 27 मीडिया कम्पनियों द्वारा विज्ञापन एजेंसियों को विज्ञापन बुक करने के बदले में जो भुगतान किया जाता है, के संदर्भ में नहीं है, परन्तु मॉडलों, आर्टिस्टों, फोटोग्राफरों, स्पोर्टस व्यक्तियों इत्यादि के सम्बन्ध में है। अतः यह स्रोत पर कर की कटौती (TDS) के प्रकरण से सम्बन्धित नहीं जिसका जिक्र इस परिपत्र में किया गया है।

8. v:'kk o ifrHkwfr;k (**Shares and Securities**) d: foØ; e: vkf/kD; (**Surplus**) D;k i:th ykHk ;k 0;kikfjd vk; dh J.kh e: dj;kX; g\ (ifji= l:[;k 06@2016 fnukad 29-02-2016)

धारा 2(14) में पूंजी–सम्पत्ति (Capital Assets) की परिभाषा में उस प्रकार की सम्पत्ति

© The Institute of Chartered Accountants of India

को सम्मिलित किया गया है जो निर्धारिती के पास है और उसे चाहे निर्धारिती ने व्यापार या पेशे से अर्जित किया है या नहीं, परन्तु उसमें स्टॉक–इन–ट्रेड, या व्यक्तिगत सम्पत्ति (कुछ अपवादों को छोड़कर) के रूप में नहीं है। जहाँ तक अंशों (Shares) एवं प्रतिभूतियों (Securities) का सम्बन्ध है इन्हें पूंजीगत सम्पत्ति या स्टॉक–इन–ट्रेड या दोनों के रूप में धारण किया जा सकता है।

अंशों व प्रतिभूतियों में निवेश की प्रकृति के निर्धारण में की यह पूंजीगत निवेश है या स्टॉक–इन–ट्रेड है, यह तथ्य विशेष पर निर्भर करता है और इसके सम्बन्ध में भूतकाल में अनेक मुकदमे दायर किये गये और अनिश्चितता बनी रही।.

ckM ,o vnkyrk }kjk ifrikfnr ekinM ftle vk'kk e fuo'k dk LVkd&bu&VªM ekuk x;k g ¼

वर्ष–दर–वर्ष, अदालतों ने अंशों को स्टॉक–इन–ट्रेड मानने हेतु अलग–अलग मापदंड प्रतिपादित किये हैं। बोर्ड (CBDT) ने भी अपनं निर्देश (Instruction) सं. 1827 दिनांक अगस्त 31, 1989 एवं परिपत्र सं. : 4/2007 दिनांक जून 15, 2007 के माध्यम से अदालतों के सिद्धान्तों का संक्षिप्तिकरण कर मार्गदर्शन हेतु जारी किया।

fl)kUr ftul ;g fu/kkfjr gk ldk dh lphc) ¼**Listed**½ vk'kk o vU; ifrHkfr;k lk vftr ykHk ithxr ykHk g ¼

क्योंकि कर दातागण पेशोपेश में है और उनके लिए यह निर्णय लेना कठिन हो रहा है कि अंशों और प्रतिभूतियों में निवेश की क्या मंशा है और वह इसे प्रमाणित नहीं कर सकते, इसलिए इस संबंध में सदा विवाद होते रहे हैं कि अलग–अलग केस में अदालतों व बोर्ड द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को कैसे लागू किया जाए। इसी पृष्टभूमि के तहत् बोर्ड (CBDT) ने यह मानते हुए कि कोई सर्वमान्य (Universal) परिपूर्णता से भरा हुआ सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया जा सकता जिसमें यह तय किया जाए कि अंशों/प्रतिभूतियों के विक्रय से आय पूंजीगत लाभ है या व्यावसायिक आय है, और बोर्ड (CBDT) ने यह भी महसूस किया कि अंशों/प्रतिभूतियों का मुख्य भाग सूचीबद्ध अंशों से संबंधित है। अतः विवादों और मुकदमेंबाजी को कम करने हेतु बोर्ड ने (Board) अपने उपरोक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन किया। अतः करनिर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये कि वे इस निर्णय के लिए कि अंशों व प्रतिभूतियों से प्राप्त आय पूंजीगत लाभ है या व्यावसायिक आय है निम्न को ध्यान में रखें —

a) tgk dj fu/kkfjrh ,sls vk'kk vkj ifrHkfr;k dk LVkd&bu&VªM d: i e ekurk g&जहाँ कर निर्धारिती स्वयं यह विकल्प चुनता है कि सूचीबद्ध अंश व प्रतिभूतियाँ स्टॉक–इन–ट्रेड हैं चाहे उसके पास अंश व प्रतिभूतियाँ कितने ही समय के लिए पड़ी हो। अतः इन अंशों व प्रतिभूतियों के विक्रय से जो लाभ प्राप्त होता है वह लाभ व्यवसाय से आय के रूप में माना जाएगा।

b) lphc) vk'k o ifrHkfr;k dk 12 ekg ls vf/kd vof/k rd vf/kxg.k e jguk ¼&जब सूचीबद्ध अंश व प्रतिभूतियाँ विक्रय से ठीक पहले 12 माह से अधिक अवधि तक निर्धारिती के पास रही है ¼अधिग्रहण में रही है) यदि निर्धारिती उनसे हुए लाभ को पूंजीगत लाभ मानता है तो A.O. उस पर कोई आक्षेप नहीं करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

परन्तु, यदि निर्धारिती ने एककरनिर्धारण वर्ष में यह विकल्प चुन लिया तो वह विकल्प आगामी वर्षों में भी बरकरार रहेगा और कर दाता को किसी भी स्थिति में अलग विकल्प चुनने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी।

c) vU; fLFkfr %अन्य सभी स्थितियों में (अर्थात् चाहे लाभ पूंजीगत हो या व्यवसाय से आय) आंकलन बोर्ड (CBDT) के उपरोक्त परिपत्रों के आधार पर होगा।

उपरोक्त सिद्धान्त बनावटी (Sham) सौदों/लेनदेन में लागू नहीं होंगे।

इसलिये स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त ऐसे अंशों/प्रतिभूतियों के लेनदेन में लागू नहीं होंगे जहाँ सौदों की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगने की सम्भावना हो, जैसे कि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ या हानि या अन्य फर्जी सौदे, फर्जी दावे इत्यादि। (bogus claim)

bu fl)kUrk d: ifriknu dk mn~n'; % vnkyrh e|dnek e: deh ykuk vkj fuj:jrk dk lfuf'pr djuk %

यहाँ दोहराया जा रहा है कि उपरोक्त सिद्धान्तों का प्रतिपादन महज इसलिए किया गया था कि मुकदमेबाजी में कमी आये और अंशों/प्रतिभूतियाँ के स्थानान्तरण से अर्जित आय में निरन्तरता बनी रहे। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान अंशों/प्रतिभूतियों के लेनदेन पर बराबर लागू रहेंगे।

B. vi:R;{k 0;;

30 vi:y] 2016[1] d: e/; tkjh egRoi.k: vf/kl:puk rFkk ifji=

v/;k; 1 % vi:R;{k dj dh e|y vo/kkj.kk,:

;fuV% 2 d:Unh; mRikn 'k|Yd

fuEufyf[kr l:'kk/ku d:Unh; mRikn 'k|Yd d: rgr cuk;k x;k g[2]

1- vkHk"k.k fuekrkvk d: fy, mPp lhek e: NV (SSI foe|Dr)

1 मार्च 2016 से प्रभावी, आभूषण की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 1% की दर से (सेनवैट क्रेडिट के बिना) या 12.5% की दर से (सेनवैट क्रेडिट के साथ) लगाया गया है [चांदी के आभूषणों, हीरे या अन्य बहुमूल्य पत्थर जडित के इलावा, को छोडकर]। इस तरह के आभूषण निर्माताओं के लिए लघु उद्योग विमुक्ति पूर्ववर्ती वर्ष में 12

---

1 अधिसूचना संख्या 13–16 ST, दिनांकित 19/5/2015 द्वारा 1 जून, 2015 को वित्त अधिनियम, 2015 और बजट 2015 द्वारा किए गए कतिपय संशोधनों के लिए प्रभावी तिथि माना गया है। अधिसूचित सूचनाए पहले से ही पूरक अध्ययन पेपर 2015 में शमिल की गयी है, को नबंवर 2015 पेपर 8 की अध्ययन सामग्री के संस्करणः अप्रत्यक्ष कर कानूनों में शमिल किया गया है, इसलिए वैधानिक अद्यतन में फिर से नहीं दिया गया है।

2 यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत प्रक्रियाओं की अंतिम स्तर पर विस्तार से चर्चा की गई है। इंटरमीडिएट के स्तर पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से केवल एक विंहगम दृश्य ऐसी प्रक्रियाओं के बुनियादी पहलुओं के साथ छात्रों को परिचित करने के लिए दिया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

करोड़ रु. की पात्रता सीमा के साथ एक वर्ष में 6 करोड़ रु. होगी। इस प्रकार एक आभूषण निर्माता एक वित्तीय वर्ष के दौरान 6 करोड रु. तक प्रथम निकासी पर उत्पाद शुल्क से विमुक्ति के लिए योग्य हो जाएगा यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी कुल घरेलू निकासी 12 करोड़ रु. से अधिक नहीं थी।

vf/klpuk l[;k 8@2003 **CE** fnukd 1@3@2003 e vf/klpuk l 8@2016**CE** fnukd 1@3@2016 }kjk mijkDr l'kks/ku dju d fy, **[**1@3@2016 l i Hkkoh**]**

2. जहां ट्रांसपोर्टर के लिए बनाए गए बीजक की दूसरी प्रति डिजिटली हस्ताक्षरित की गई है और उसकी एक हार्ड कॉपी जो स्वयं सत्यापित की गई हो, निर्माता द्वारा माल के परिवहन के लिए प्रयोग की जाती है, ट्रांसपोर्टर की नकल के बीजक के ऐसे मैनुअल सत्यापन को अधिसूचना संख्या 8/2016 **CE (NT)** दिनांक 1.03.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

[1-3-2016 l i Hkkoh **]**

3- वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण **(ER-4)** के स्थान पर एक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारती द्वारा वार्षिक रिटर्न दायर करने की तिथि आगामी वर्ष की 30 नवंबर होगी।

(vf/klpuk l[;k 8@2016 **CE (NT)** fnukd 1-03-2016**)**

[1-4-2016 l i Hkkoh **]**

4- उत्पाद शुल्क देरी से भुगतान पर देय ब्याज 18 से घटाकर 15 कर दिया गया है।

(vf/klpuk l[;k 8@2016 **CE (NT)** fnukd 1-03-2016**)**

[1-4-2016 l i Hkkoh **]**

5- यह उल्लेख किया जा सकता है कि पिछले उदाहरण को अध्ययन सामग्री भाग–II के पृष्ठ 1.33 पर**:** पेपर 4 के अप्रत्यक्ष कर**:** कराधान (सितंबर 2015 संस्करण) के तहत निम्न रुप में पढ़ा जाए।

केन्द्र सरकार ने अध्ययन 61 और 62 के अंतर्गत रेडीमेड कपड़ों के लिए टैरिफ मूल्य रेडीमेड कपड़ों के खुदरा विक्रय मूल्य का 60% निर्धारित किया है।

v/;k; 2- lokdj dh vk/kkjHkwr vo/kkj.kk,a %&

1- 15 uocj] 2015 l lHkh ;k fdUgh dj;kX; lokvk d eY; ij 0-5% LoPN Hkkjr midj yxk;k tkuk **(**foÙkh; vf/kfu;e] 2015 dh /kkjk 119**)**

वित्तीय अधिनियम, 2015 की धारा 119 केन्द्रीय सरकार को सभी या किन्हीं कार्यों की सेवाओं पर ऐसी करयोग्य सेवाओं के मूल्य के 2% स्वच्छ भारत उपकर लगाने के लिए सशक्त करता है। यह उपकर ऐसी तिथि से लगाया जाना था जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो। इस संबध में निम्न संशोधित किए गए है:–

(i) **SBC** का लगाया जाना 15 नवंबर, 2015 से प्रभावी हो गया है (अधिसूचना संख्या 21/2015 ST दिनांक 6.11.2015.

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) 15.11.2015 से प्रभावी सभी करयोग्य सेवाओं को ऐसे SBC के भुगतान से कर मुक्त किया गया है, जो करयोग्य सेवाओं के मूल्य के 0.5% की दर से गणित SBC से अधिक हो। अतः SBC की प्रभावी दर 0.5% है और सेवाकर की नई दर एंव SBC का योग 14.5% हो जाता है।

SBC उन सेवाओं पर नहीं लगाया जाएग जिन्हें वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93(1) के अन्तर्गत सामान्य छूट और वित्त अधिनियम 93(2) के अन्तर्गत (विशेष आदेश[3] द्वारा) विमुक्ति दी गई है। या जिन पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अन्तर्गत सेवा कर नहीं लगता।

(vf/klpuk lq[;k 22@2015 fnukd 06-11-2015)

(iii) SBC के प्रायोजन से योग्य सेवाओं का मूल्य सेवाकर मूल्य निर्धारण नियम, 2006 के अनुसार निर्धारित मूल्य हो सकता है। आगे, इसे ही अधिसूचना संख्या 22/2015ST दिनांक 6.11.2015 के अन्तर्गत करयोग्य सेवा के न्यून (abated) मूल्य पर लगाया जाएगा।

(vf/klpuk lq[;k 22@2015&ST fnukd 06-11-2015 ftlls vf/klpuk lq[;k 23@2015&ST fnukd 06-11-2015 }kjk lq'kkf/kr fd;k x;k)

(iv) अधिसूचना संख्या 30/2012–ST में लगाए गए रिवर्स प्रभार के प्रावधान SBC Mutatis Mutandis के उद्देश्य से लागू रहेगा। **(vf/klpuk lq[;k 24@2015 ST fnukd 12-11-2015)**

(v) 15.11.2015 से प्रभावी, हवाई यात्रा एजेन्टों, जीवन बीमा, विदेशी विनिमय और लॉटरी के लिए के भुगतान की वैकल्पिक दर होगी :– lsokdj nkf;Ro x 0-5 ÷ 14 ऐसा सेवा कर नियमों 1994 में नियम (6) में नया उपनियम (7D) दाखिल करके किया गया है जिसका वर्णन v/;k; 6% lsokdj izfof/k;ksa में विस्तार से किया गया है।

(vi) SEZ में प्रयुक्त विशिष्ट सेवओं पर दिया गया SBC अधिसूचना संख्या 12/2013 ST दिनांक 1.7.2013 के अंर्तगत वापसी के लिए हकदार होगा। इसका v/;k; 5% foefDr vkj fj;;r dh lekfIr शीर्षक में विस्तार से वर्णन किया गया है।

(vii) सेवाकर नियम, 1994 के नियम 6A में वर्णित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होती है, जिनका निर्यात किया जाना है, पर दिया गया SBC vf/klpuk lq[;k 39@2012 fnukd 20-6-2012 के अंतर्गत छूट के लिए हकदार होगी।

(viii) ifji= lq[;k 188@7@2015 ST fnukd 16-11-2015 dk vuqPNsn SBC vyx ls[kkdu lfgrk (dkM) vkcafVr fd, x, gA

2- ljdkj ;k fdlh LFkkuh; izkf/kdkjh nokjk fdlh 0;olkf;d laLFkk dk izkjaHk dh xbZ dkbZ lsok 1-04-2016 ls dj;kX; [/kkjk 66D **(a) (iv)** vkj **65B(49)]**

3 अधिसूचना संख्या 05/2016 ST दिनांकित 17.2.2016 द्वारा डाले गये।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) सरकार या स्थानीय अधिकारी द्वारा कतिपय सेवाओं को छोडकर प्रदान की गई सेवाएं धारा 66D के वाक्यांश (a) के अधीन सेवाओं की नकारात्मक सूची में शामिल थी। बाहर रखी गई सेवाओं का वाक्यांश (a) के उपखंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट किया गया है।

(ii) किसी व्यावसायिक संस्थान को सेवा करयोग्य बनाने के अभिप्राय से प्रदान की गई समर्थन सेवांए उपवाक्य (iv) में शमिल की गई है।

(iii) वित्त अधिनियम, 2015 ने "fdlh Hkh lsok" शब्द को "leFkZu lsokvksa" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित कर उपखंड (iv) में संशोधन किया, जिसके द्वारा नकारात्मक सूची से उन सेवाओं को बाहर कर दिया गया जो व्यावसायिक संस्थान को सरकार या स्थानीय अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है।

(iv) परिणामस्वरुप, वित्त अधिनियम, 2015 के तहत धारा 65B(49) के अंतर्गत दी गई ''समर्थन सेवा'' की परिभाषा का भी लोप कर दिया गया।

(v) उक्त संशोधन, हालांकि, वित्त अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन के साथ प्रभावी नहीं बन पांए और इन्हें एक अन्य तिथि से प्रभावी बनाया जाना था, जो बाद में अधिसूचित की जानी थी।

(vi) अधिसूचना संख्या 6/2016–ST, दिनांक 18/2/2016 और 15/2016 ST दिनांक 1/3/2016 द्वारा प्रभावी तिथि 1.04.2016 अधिसूचित की गई है। इसलिए 1.4.2016 से सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यावसायिक संस्था को प्रदान सभी सेवाएं 1.04.2016 से करयोग्य होंगी।

(vii) आगे, रिर्वस चार्ज के अधीन, इन सेवाओं पर सेवा कर देय होगा। कथित संशोधन भी 1.04.2016 से प्रभावी होगा जैसा कि v/;k; 6% lsok dj izfof/k;k में विस्तृत रुप में वर्णित है।

(viii) साथ ही एक व्यावसायिक संस्थान जिसकी वार्षिक आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये तक है, को सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत सेवाएं सेवा कर से विमुक्त रखी गई है। (छूट में संशोधन विस्तृत रुप से v/;k; 5% NwV vkj fj;;r dh okilh में वर्णित है।)
(1.4.2016 ls izHkkoh)

(ix) CBEC ने व्यावसायिक संस्थानों को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के कराधान से संबंधित निम्न पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए दिनांक 13.4.2016 को परिपत्र संख्या 192/02/2016ST जारी की है।

Øe la-	ekeyk	Li"Vhdj.k
1	सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अन्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को प्रदत्त सेवाएं।	इस तरह की सेवाओं को अधिसूचना संख्या 25/2012 ST दिनांक 13/4/2016 द्वारा संशोधित किया गया के तहत छूट दी गई है। हालांकि इस छूट में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 D के वाक्यांश (a) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट सेवाओं को छूट के तहत कवर नहीं किया

© The Institute of Chartered Accountants of India

		गया है।
2	सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को व्यवसाय चलाने के लिए प्रदत्त सेवाएं।	1. पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए सेवाओं को अधिसूचना संख्या 25/2012 ST दिनांक 26.6. 2012 जिसे अधिसूचना संख्या 22/2016 ST दिनांक 13.4.2016 के द्वारा संशोधित किया गया है, के तहत विमुक्त है। 2. आगे, पांच हजार रुपए तक के करयोग्य मूल्य के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए नीचे क्रम संख्या पांच को देखा जाए।
3	करों, उपकरों या शुल्क पर सेवा कर	क्योंकि कर, उपकर या शुल्क किसी विशेष सेवा के लिए प्रतिफल नहीं होते है इसलिए इन पर सेवा कर नहीं लगाया जा सकता। इन करों, उपकरों या शुल्कों में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, राज्य वैट, CST, आयकर, स्टांप शुल्क, पेशे, व्यापार, आजीविका या रोजगार पर कर, चुंगी, मनोरंजन कर, विलासिता कर और संपति कर शामिल है।
4	जुर्माना और दण्ड पर सेवा कर	1. यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कानून, उपकानून, नियमों ये विनियमों के उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माना या दण्ड पर सेवा कर नहीं लगाया जाता। 2. सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय जुर्माना और समापन हर्जाना जो किसी अनुबंध (जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के साथ हुआ है) के गैर–निष्पादन के लिए दिया गया है, को vf/klwpuk l[;k 25@2012 ST fnukd 2016@2012 ftl vf/klwpuk l[;k 22@2016 ST fnukd 13@4@2016 }kjk l'kks/kr fd;k x;k के तहत छूट प्राप्त है।
5	सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रभारित शुल्क के बदले प्रदान की गई सेवाएं	1. यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिफल के बदले की गई कोई गतिविधि सेवा है और ऐसी गतिविधि के लिए ली गई राशि सेवा कर के लिए दायी है। यह बात मायने नहीं रखती कि ऐसी गतिविधियां कानून के तहत एक वैधानिक या अनिवार्यता के रुप में की गई है और चाहे ऐसी सेवा के लिए प्रभारित राशि का कानून में प्रावधान है या नहीं। जहां तक किसी सेवा को प्राप्त करने के बदले मे भुगतान किया गया है, (या शुल्क लिया गया है) इसे सेवा के लिए प्रतिफल समझा जाएगा और यह करयोग्य होगा चाहे इस

© The Institute of Chartered Accountants of India

		भुगतान को किसी भी नाम से पुकारा जाए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेवा कर किसी अनुमति या सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अनुदान, लाइसेंस के एवज में होने वाले किसी भुगतान पर देय है। 2. हालांकि, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निम्न प्रदान सेवाओं – i. कानून के तहत आवश्यक पंजीकरण ii. कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, सामान्य जनता की सुरक्षा या बचाव से संबंधित परीक्षण, कैलिब्रेशन, सुरक्षा चैक या प्रमाणीकरण जो किसी कानून के अन्तर्गत आवश्यक है को vf/klpuk l[;k 25@2012 ST fnukd 20-6-2012 ftl vf/klpuk l[;k 22@2016 ST fnukd 13@4@2016 }kjk l'kks/kr fd;k x;k] के तहत छूट प्राप्त है। 3. आगे, के सेवाएं जो सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई है और जहां ऐसी सेवाओं के लिए ली गई सकल राशि ₹ 5000 से अधिक नहीं है, को (vf/klpuk l[;k 25@2012 ST fnukd 20-6-2012 ftl vf/klpuk l[;k 22@2016 ST fnukd 13@4@2016 }kjk l'kks/kr fd;k x;k के तहत) छूट प्राप्त है हालांकि उपरोक्त छूट में वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66D के वाक्यांश (a) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट सेवाएं शामिल नहीं है। आगे, लगातार सेवा की स्थिति में, छूट तभी प्राप्त होगी यदि सेवा के लिए प्रभारित सकल मूल्य एक वित्तीय वर्ष में ₹ 5000 से अधिक नहीं है।
6	सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक किसान के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन की प्रकृति की सेवाएं	कृषि के प्रायोजनों के लिए एक किसान को प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन के माध्यम से दी गई सेवाओं की विमुक्त रखा गया है। (vf/klpuk l[;k 25@2012 ST fnukd 20-6-2012 ftl vf/klpuk l[;k 22@2016 ST fnukd 13@4@2016 }kjk l'kks/kr fd;k x;k के तहत) लेकिन व्यक्तिगत किसानों के अतिरिक्त सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए ऐसे आबंटनों/नीलामी पर सेवा कर लगेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

7	किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि के उपयोग के परिवर्तन व्यावसायिक इमारत के अनुमोदन, उपयोगिता सेवाओं की प्रकृति की प्रदत्त सेवाएं।	भूमि प्रयोग विनियमन, भवन निर्माण और अन्य सेवाएं जो संविधान की बारहवीं अनुसूची में दी गई हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत सरकार द्वारा नगर पालिकाओं को सौंपा गया है, पहले से ही vf/klwpuk lq[;k 25@2012 ST fnukd 20-6-2012 के तहत विमुक्त हैं। यदि ये सेवाएं सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती हैं तो भी इन्हें छूट प्राप्त है। (vf/klwpuk lq[;k 25/2012 ST fnukd 20-6-2012 ftl vf/klwpuk lq[;k 22/2016 ST fnukd 13@4@2016 }kjk lq'kkf/kr fd;k x;k के तहत)
8	संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी पंचायत को सौंपे गए किसी समारोह के संबधं में सेवाएं	ये सेवाएं vf/klwpuk lq[;k 25@2012 ST fnukd 20-6-2012 ftl vf/klwpuk lq[;k 22@2016 ST fnukd 13@4@2016 }kjk lq'kkf/kr fd;k x;k dq rgr छूट प्राप्त हैं।
9	प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग का अधिकार सौंपने पर, जबकि नीलामी मूल्य का भुगतान 10 या कोई भी संख्या वर्षों में या सार्वधिक किस्तों में 1.4.2016 के बाद सौंपे अधिकार के लिए स्थगित भुगतान विकल्प के तहत किया जाना है, सेवा कर भुगतान करने का दायित्व कब उत्पन्न होता है?	कराधान के बिन्दु नियमों 2011 के नियम 7 को अधिसूचना संख्या 24/2016 ST दिनांक 13.04.2016 द्वारा इस प्रावधान हेतु संशोधित किया गया कि यदि सेवाएं सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यावसायिक संस्थान को दी जाती हैं, तो कराधान की बिन्दु पहले की तिथि होगी जिस पर – a) किसी बीजक, बिल, चालान, या सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य प्रलेख में किसी सेवा के बदले में पूर्ण या आंशिक भुगतान का संकेत हो, या b) ऐसा भुगतान किया गया हो। इस प्रकार एक व्यापार इकाई के लिए सरकार द्वारा प्राकृतिक सं ाोधनों का उपयोग करने के लिए सेवाओं के अधिकार को सौंपने के मामले में कराधान का बिन्दु वह तिथि होगी जिस पर स्थगित भुगतान सहित कोई भी भुगतान इस तरह के काम के संबधं में भुगतान देय है या किया गया है दोनों में जो भी पहले हो, किया जाएगा। अतः यदि समनुदेशिती/आबंटी पूर्ण अग्रिम भुगतान को चुनता है तो सेवा कर पूर्ण अग्रिम मूल्य पर देय होगा। हालांकि, यदि समनुदेशिती कुछ भाग अग्रिम और शेष स्थगित भुगतान विकल्प के तहत चुनता है तो सेवा कर, भुगतान के देय होने या करने पर

© The Institute of Chartered Accountants of India

		दोनों में जो भी पहले हो, पर देय होगा।
10	सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किसी सेवा के लिए जो भुगतान, कराधान बिंदु का निर्धारण करने के लिए कारण बनता है, की तिथि का निर्धारण कैसे किया जाएगा?	वह तिथि जिस पर इस तरह का भुगतान देय है का निर्धारण सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी बीजक, बिल, चालान या अन्य प्रलेखों द्वारा, जिनसे भुगतान की मांग की गई है, निर्धारित किया जाएगा। [djk/kku d fcUnq fu;e] 2011 tks vf/klwpuk la[;k 24@2016 ST fnukad 13-04-2016 }kjk la'kksf/kr fd, x,]
11	क्या सरकार या एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रभारित ब्याज पर सेवा कर देय है जहां प्राकृतिक संसाधनों को सौंपने के लिए भुगतान स्थगित भुगतान विकल्प के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है।	सेवा कर नियम 2006 के नियम 6 (2)(iv) [मूल्य निर्धारण] को अधिसूचना संख्या 23/2016 **ST** दिनांक 13/4/2016 द्वारा संशोधित कर यह प्रावधान बनाया गया है कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई किसी सेवा के मामले में स्थगित भुगतान पर प्रभारित ब्याज को करयोग्य सेवा में शमिल किया जाएगा जहां ऐसी सेवा पर भुगतान ब्याज के भुगतान पर स्थगित किए जाने की अनुमति दी गई है।
12	प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग के अधिकार का आबंटी कब और किस प्रकार ऐसे प्राप्त अधिकार पर दिए गए सेवा कर पर **CENVAT** क्रेडिट लेने के लिए अधिकृत होंगे।	**CENVAT** क्रेडिट नियम, 2004 को अधिसूचना संख्या 24/2016 **CE (NT)** दिनांक 13/04/2016 द्वारा संशोधित किया गया है। परिणामस्वरुप, एक वर्ष में दिए गए सेवा कर पर एक बार प्रभार (चाहे अग्रिम या किस्तों में देय हो) के लिए **CENVAT** क्रेडिट तीन वर्ष की अवधि में समान रुप से स्वीकृत होगा [संशोधित क्रेडिट नियम, 204 का नियम 4 (7)] प्राकृतिक संसाधन या सावधि भुगतान के संबध में रॉयल्टी पर सेवा कर का भुगतान उस वर्ष में क्रेडिट के रुप में उपलब्ध होगा जिसमें उसका भुगतान किया गया है। **CENVAT** Credit नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ताकि **CENVAT** क्रेडिट को Cenvat क्रेडिट नियम, 2004 के नियम, 9 के उपनियम एक में निर्दिष्ट प्रलेखों के आधार पर ऐसे प्रलेखों के जारी किया जाने के एक वर्ष बाद भी स्वीकृत किया जा सके जहां पर ऐसी सेवाएं सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक संसाधन के अधिकार के प्रयोग के लिए प्रदान की गई है [**CENVAT** क्रेडिट नियम, 2004 के नियम, 4 के उपनियम (7) का पांचवा प्रावधान]
13	किन प्रलेखों के आधार	**CENVAT** क्रेडिट का लाभ सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

	पर **CENVAT** क्रेडिट को सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबध में प्रयुक्त किया जा सकता है।	सेवा करके भुगतान के साक्षी चालान के आधार पर लिया जा सकता है। [**CENVAT** Credit नियम, 2004 के नियम, 9 के उपनियम एक का वाक्य (e)]

नोटः कराधान के बिन्दु से संबंधित संशोधन, करयोग्य सेवाओं का मूल्यांकन छूट एवं Cenvat credit जिसका वर्णन ऊपर की सारिणी में किया गया है को अध्याय 3ः कराधान के बिन्दु, अध्याय 4ः करयोग्य सेवाओं का मूल्यांकन, अध्याय 5ः छूट एवं न्यूनीकरण और अध्याय 7ः Cenvat credit में विस्तार से किया गया है।

3. lHkh ijh{k.k vkj ijh{k.k dh lgk;d xfrfof/k;k tk cht dk ijh{k.k dk nkjku dh tkrh g udkjRed lpk e ’kkfey g vkj blfy, lsok dj dj fy, nk;h ugh g

मुद्दाः क्या बीज परीक्षण के लिए प्रासंगिक सभी गतिविधियाँ सेवा कर के लिए दायी है और केवल वह गतिविधि जो वास्तविक परीक्षण से संबंधित है, जिसे वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66D(i) के अन्तर्गत नकारात्मक सूची में रखा गया, कर से मुक्त है।

Li"Vhdj.k% बीज कृषि उपज की परिभाषा के तहत अन्तर्निहित नहीं है। परीक्षण सहित सीधे कृषि उपज के उत्पादन से संबंधित कृषि क्रियाओं के द्वारा कृषि से संबधित सभी सेवाएं धारा 66**D(i)** में अन्तर्निहित है परीक्षण और प्रमाणीकरण इस संबध में बनाए गए अधिनियम एवं नियमों के अनुसार किया जा सकता है। परीक्षण प्रमाणपत्र और अन्य सहायक गतिविधियों की पृथकता में नहीं किए जा सकते। परीक्षण यादृच्छिक नहीं हो सकता। किसी न किसी को परीक्षण कराने के लिए पंजीकृत करवाने की आवश्यकता है। ;fn izek.ki= ikIr ugh gkrk vkj cht dk Vx ugh fd;k x;k] rk ijh{k.k fujFkd gA blfy,] lHkh izfd;k,¡ lex izfØ;k dk fgLlk g vkj bUgs ijh{k.k dj fy, iFkd ugh fd;k tk ldrkA

कृषि कार्यों को वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में परिभाषित नहीं किया गया हैलेकिन इस तरह के आपरेशनों की एक समावेशी और सांकेतिक सूची को धारा 66D(i) अर्थात् , खेती, फसल कटाई, खलिहान, पौध संरक्षण या परीक्षण में शामिल किया गया है। इस प्रकार छूट केवल इन निर्दिष्ट क्रियाओं को करने के लिए सीमित नहीं है। कृषि कार्यों में परीक्षण से ‘बीज’ शब्द वित्त अधिनियम, 2013 के द्वारा हटा दिया गया था ताकि नकारात्मक सूची प्रविष्टि की कवरेज के दायरे को व्यापक बनाया जा सके और नकारात्मक सूची में कृषि कार्यों में परीक्षण को शामिल किया जा सके, जो कृषि उपज के सीधे उत्पादन से जुड़े हैं और केवल बीज के दायरे तक ही सीमित नहीं है।

उपरोक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट किया गया है कि बीज प्रमाणीकरण, तकनीकी निरीक्षण, तकनीकी परीक्षण, विश्लेषण, बीज की टैगिंग संबंधी सभी परीक्षण एवं सहायक गतिविधियां जो बीज के परीक्षण के दौरान प्रदान की गई हैं, के परीक्षण के अर्थ के भीतर

© The Institute of Chartered Accountants of India

कवर हैं जैसा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66D(i) में कहा गया है, इसलिए, इस तरह की सेवाएँ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66B के तहत सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।

[ifjis= l[;k 189@8@2015 ST fnukad 26@11@2015]

4- oL=k dj fuekZ.k lac/k esa ifj/kku fu;kZrdksa nokjk izkIr lsokvksa ij lsok dj dh iz;kT;rk% lsok izinkrk nokjk dh xbZ xfrfof/k dk nk;jk vkj le>kus dh 'krksZa ls izinku lsok dh izÑfr fu/kkZfjr gksxh tks ekeys nj ekeys fHkUu fHkUu gksxhA

eUnnk% क्या जॉब वक्र पर तीसरे पक्ष से परिधान निर्यातकों द्वारा प्राप्त सेवाएं जनशक्ति की आपूर्ति के लिए एक सेवा है जो न तो नकारात्मक सूची के अन्तर्गत आता है और न ही इसे विशेष छूट दी गई है और क्या यह सेवा सेवा कर के लिए कर उत्तरदायी है

;k

उनके द्वारा प्राप्त सेवाएँ जॉब वक्र है जिसमें ऐसी प्रक्रिया शमिल है जो वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण से संबद्ध हैं और अतः नकारात्मक सूची के अंतगर्त आते हैं और इसलिए सेवा कर के दायरे में नहीं आते ?

Li"Vhdj.k% सी.बी.ई.सी. ने इसे निम्न तरह स्पष्ट किया गया है:

tu'kfDr vkiwfrZ lsok% जनशक्ति आपूर्ति सेवा की प्रकृति जॉब वक्र की सेवा से काफी अलग है। जनशक्ति की आपूर्ति सेवा की आवश्यक विशेषताएँ ये हैं कि आपूर्तिकर्ता जनशक्ति प्रदाता है जो निपटान और अस्थायी तौर पर, अनुबंध की अवधि में सेवा प्राप्तकर्ता के प्रभावी नियंत्रण में है। सेवा प्रदाता की जवाबदेही मानवशक्ति की गुणवत्ता और सीमा तक है। जनशक्ति की तैनाती सामान्य रुप से सेवा प्राप्तकर्ता के साथ टिकी हुई है। सेवा के मूल्य का तैनात जनशक्ति, अर्थात् (जनशक्ति X दर) से एक सीधा संबंध है। दूसरे शब्दों में, जनशक्ति आपूर्तिकर्ता, जनशक्ति की आपूर्ति के लिए प्रभार लेगा, भले ही जनशक्ति निष्क्रिय बनी हुई है।

tkc dk;Z% दूसरी ओर, जॉब वक्र सेवा की आवश्यक विशेषताएँ ये हैं कि सेवा प्रदाता को एक कार्य सौंपा गया है जैसे परिधान के मामले में निर्माण/सिलाई कपड़ों की लेबलिंग आदि। सेवा प्रदाता जो कार्य वह लेता है उसके लिए जवाबदेह है। यह सेवा प्रदाता को तय करना है कि वह कैसे तैनाती करता है और अपनी जनशक्ति का उपयोग करता है। सेवा प्राप्तकर्ता केवल जॉब वक्र के कार्य से संबंधित है। दूसरे शब्दों में सेवा प्राप्तकर्ता जनशक्ति के बारे में चिंतित नहीं है। सेवा का मूल्य किए गए जॉब वक्र की मात्रा अर्थात् बनाए गए परिधानों की संख्या आदि का कार्य है। यह बात महत्वहीन है कि क्या जॉबकर्ता अपने परिसर में जॉब कार्य चलाता है या सेवा प्राप्तकर्ता के परिसर में।

इसलिए, सेवा की सही प्रकृति प्रत्येक मामले में तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए जो मामला दर मामला भिन्न होती है। समझौते की शर्तें और सेवा प्रदाता द्वारा की गई गतिविधि का कार्य क्षेत्र सेवा की प्रकृति का निर्धारण करेंगी। यह ध्यान रखनेयोग्य है कि

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रत्येक जॉब वक्र नकारात्मक सूची में शमिल नहीं है।

यदि जॉब में केवल एक प्रक्रिया शामिल है जिस पर उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 3 के तहत लगाए जाने है, तभी यह वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65B(40) के साथ पढ़ते हुए धारा 66D(f) के अन्तर्गत नकारात्मक सूची के तहत कवर किया जाएगा।

सेवा कर के लागू करने के मुद्दे का तदनुसार समझौता/अनुंबध की प्रकृति और प्रदत्त सेवा को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा।

[ifji= l[;k 190@9@2015 ST fnukd 15@12@2015]

5- dEI;wVj vkj{k.k i.kkyh difu;ksa l gokbZ ;k=k ,tsV nokjk izkIr izkRlkgu lsok dj d fy, mRrjnk;h gA

एयर ट्रैवल एजेंट कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली (CCRS) प्रदान करने वाली कम्पनियों जैसे गैलीलियो, Amadus आदि से प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। CCRS, ATAs से हवाई टिकट की बुकिंग कराने के लिए अपने इंटरनेट प्रणाली को पहुंच प्रदान करने के लिए कोई भी राशि चार्ज नहीं करते । बल्कि CCRS हवाई टिकट की बुकिंग के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कतिपय प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं या उनके सॉफटवेयर सिस्टम का उपयोग कर हवाई टिकट की बुकिंग के लिए उनकी वफादारी के लिए यह प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं।

यह स्पष्ट किया गया है कि कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली प्रदान करने वाली कंपनियों से ATAs द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन गैलीलियो, Amadus जैसे सॉफटवेयार और मंच प्रयोग करने के लिए है। CCRS हवाई टिकट बुकिंग के निर्धारण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या उनके सॉफटवेयर सिस्टम का उपयोग कर लॉयलटी के लिए ये प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार CCRS द्वारा प्रदान की गई सेवा हवाइ कंपनियों के लिए है और हवाइ कंपनियों को CCRS द्वारा प्रदान की गई सेवा को ATAs बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार CCRS को ATAs द्वारा प्रदान की गई सेवा न तो नकारात्मक सूची के तहत कवर है (वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66(D) और न ही अधिसूचना द्वारा छूट प्राप्त है इसलिए उस पर सेवा कर लगाया है।

[DOF l 334@8@2016TRU fnukd 29@02@2016]

6- Hkk"kk eSustesaV (ILMS) d lLFkku nokjk inku dh xbZ lsok,a lsok dj d fy, nk;h gS

भाषा मैनेजमेंट के संस्थानों विभिन्न स्कूलों/संस्थाओं द्वारा नियुक्त किए गए हैं जो छात्रों के ज्ञान और भाषा कौशल को विकसित करते हैं। ILMS द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएँ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66D(1) या अधिसूचना सं 25/2012 की एंट्री 9 की धारा द्वारा कवर नहीं हैं क्योंकि वे पूर्व स्कूल शिक्षा या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक (या समकक्ष) कानून द्वारा मान्यता प्राप्त, योग्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रदान

© The Institute of Chartered Accountants of India

नहीं कर रहे हैं। यह उन स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों जिसमें छात्र प्रवेश लेते हैं, के लिए है जो इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। ILMS इस तरह के शैक्षिक संस्थानों को सेवाएं प्रदान करता है जो नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाएँ प्रदान करने में इस तरह के शैक्षिक संस्थानों की मदद करता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट किया जाता है कि ILMS द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएँ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66D(1) या अधिसूचना संख्या 25/2012 ST की क्रम संख्या 9 के तहत छूट की पात्र नहीं है।

[DOF l: 334@8@2016 TRU fnukad 29@02@2016]

v/;k; 3% djk/kku d: fcUnq

(i) tc lfoZl VSDl nunkjh ;k lsok izkIrdrkZ d: nkf;Ro dh lhek e: dkbZ ifjorZu gksrk gS rks pkyku tkjh djus dh rkjh[k fu;e] 7 d: rgr djk/kku fcUnq gksxh] vxj lsok inku dh xbZ gS vkSj bl rjg d: ifjorZu dh frfFk l: igys pkyku tkjh fd;k x;k gS] yfdu Hkqxrku ,sls frfFk d: vk/kkj ij ugha fd;k x;k gS **(fu;e] 7)**

अधिसूचना सं. 21/2016 दिनांक 30/03/2016 के तहत नियम, 7 में एक तीसरा परन्तुक सम्मिलित किया गया है। नए प्रावधान में बताया गया है कि जहां दायित्व या एक व्यक्ति के दायित्व की सीमा में परिवर्तन होता है जो सेवा के प्राप्तकर्ता के रुप में कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है और जिसे वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68(2) के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है, के मामले मे सेवा प्रदान की है और चालान इस तरह के परिवर्तन की तिथि से पहले जारी कर दिया गया है, लेकिन भुगतान ऐसी तिथि के आधार पर नहीं किया गया है, कराधान के बिंदु चालान जारी करने की तारीख होगी।

[30@3@2016 l: izHkkoh]

(ii) 0;olkf;d lLFkkvksa dk ljdkj nokjk miyC/k djkbZ xbZ lsokvksa d: ekeys e] fu;e] 7 d: rgr djk/kku fcUnq **[POT]** og frfFk gksxh ftl ij Hkqxrku n; gks tkrk gS ;k ftl ij Hkqxrku fd;k tkrk g] tks Hkh igys gks [fu;e] 7]

चौथा परन्तुक (अधिसूचना सं. 24/2016 दिनांक 13/04/2016 के तहत) नियम, 7 में तीसरे परन्तुक के साथ जोड़ा गया है जिससे एक सरकार या किसी भी व्यापार इकाई के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के मामले में, कराधान के बिंदु निम्न तारीखों में जो पहले हो, होगा।

(a) कोई भी भुगतान पूर्ण या आंशिक किसी तरह की सेवा के संबध में देय है जो चालान, बिल, चालान या सरकार या स्थानीय प्राधिकारी इस तरह के भुगतान की मांग द्वारा जारी किए गए किसी अन्य दस्तावेज में निर्दिष्ट है: या

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) ऐसी सेवाओं के लिए किया गया भुगतान

[13@4@2016 l: iHkkoh]

v/;k; 4% dj;kX; lsok dk eY;kdu

1- ,d 0;kikj bdkbZ dk ljdkj nokjk inku dh xbZ lsok d: ekey: e: LFkfxr Hkxrku ij iHkkfjr C;kt dj;kX; lsok d: eY; e: 'kkfey fd;k tkuk [lsok dj eY; d: fu/kkj.k fu;e] 6(2)(iv), 2006 d: fu;e]

नियम, 6(2), सेवा कर मूल्य का निर्धारण नियम, 2006 विभिन्न लागत/भुगतान आदि को, जो कि किसी भी करयोग्य सेवा के मूल्य में शामिल नहीं किए गए हैं, सूचीबद्व करता है। सेवाओं के प्रावधान या संपत्ति (चल या अचल) की बिक्री के लिए किसी भी प्रतिफल के लिए विलंबित भुगतान पर ब्याज एक तरह के भुगतान है जो नियम, 6 के उपनियम (2) के वाक्यांश (iv) के सदंर्भ में करयोग्य सेवा के मूल्य में शामिल नहीं है।

अधिसूचना सं 23/2016 ST दिनांक 13/04/2016 के तहत नियम, 6(2)(iv) में एक प्रावधान यह निर्धारित करने के लिए सम्मिलित किया गया है कि उक्त खंड एक व्यापार इकाई के लिए सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी सेवा पर लागू नहीं होगा जहाँ इस तरह की सेवा के लिए भुगतान ब्याज या किसी अन्य प्रतिफल के भुगतान को टाल दिए जाने की अनुमति दी है। दूसरे शब्दों में, एक व्यापार इकाई को किसी सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी सेवा के मामले में स्थगित भुगतान पर प्रभार ब्याज करयोग्य सेवा के मूल्य में शामिल किया जाएगा, जहां इस तरह की सेवा के लिए भुगतान ब्याज के भुगतान या किसी अन्य प्रतिफल को टाल दिए जाने की अनुमति दी है।

[13@04@2016 l: iHkkoh]

v/;k; 5% NwV vkj U;wuhdj.k

NwV%

1- egk NwV vf/klwpuk e: l'kks/ku

मेगा छूट अधिसूचना संख्या 25/2012 ST दिनांक 20/06/2012 को, अधिसूचना संख्या 9/2016 ST दिनांक 01/03/2016 के द्वारा, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, संशोधित किया गया है। संशोधन को दो व्यापक श्रेणियों में चर्चा कर रहे हैं:

(A) नई रियायतों/मौजूदा छूट का दायरा बढ़ाया

(B) छूट वापस लिया/प्रतिबंधित

(A) ubZ NwV@ekStwnk NwV dk c<+k nk;jk (Ldksi)

(i) Hkkjrh; izcU/ku lLFkku vkbZ-vkbZ-,e- nokjk inku fufn"V lsokvksa dk NwV

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) को भारत सरकार के अधीन पदों पर

© The Institute of Chartered Accountants of India

भर्ती के प्रयोजन के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को मान्यता देने के साथ निहित शक्तियों के साथ स्पष्ट किया गया है कि आई आई एम द्वारा प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम और फैलोशिप के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वे एम.बी.ए. और पी.एच.डी. डिग्री, क्रमशः के समकक्ष हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इंटर–यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया आदि जैसे संगठनों द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है।

इसे देखते हुए एक नई प्रविष्टि 9B मेगा छूट अधिसूचना में जोड़ी गई। जिसके द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को, केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने छात्रों के लिए, निम्न शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से (कार्यकारी विकास कार्यक्रम को छोडकर) विमुक्त रखा गया है:

a. दो वर्षीय पूर्णाकालिक प्रंबधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंधन में आवासीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम जिसके दाखिले के लिए जो कॉमन एडमिशन टेस्ट–कैट, आई.आई.एम. द्वारा आयोजित, के आधार पर किया जाता है।
b. प्रंबधन में सहयोगी कार्यक्रम (Fellow Programme)
c. प्रबंधन में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Programme)

सी.बी.ई.सी. ने DOF संख्या 334/8/2016-TRU दिनांक 29/02/2016 के द्वारा स्पष्ट किया है कि क्योंकि आई.आई.एम. को ऊपर कार्यक्रमों के लिए दी गई छूट, स्पष्टीकरण की प्रकृति में है, सेवा कर का दायित्व पूर्व अवधि के कथित कार्यक्रमों के संबंध में भुगतान करने में निष्फल हो जाएंगे।

[01@03@2016 l iHkkoh]

(ii) vkdyu djus okyh lLFkk,a ftUgsa SDI ;kstuk ds rgr izf'k{k.k egkfunsZ'kky;] (DGT) dkS'ky fodkl vkj mn;fer e=ky; nokjk dsUnzh; iuy esa 'kkfey fd;k x;k g] }kjk inku lsokvksa ds fy, foeqDr

कौशल विकास पहल योजना SDI के तहत आंकलन के माध्यम से प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता द्वारा केन्द्रीय पैनल कृत आंकलन संस्थाओं द्वारा सेवाओं को छूट देने के लिए एक नई प्रविष्टि 9C डाली गई।

dkS'ky fodkl vkj mn;fer e=ky; (MSDE)]विभिन्न कौशल विकास के देश भर में खंडित प्रयासों को समन्वित करता है ताकि न केवल मौजूदा नौकरियों के लिए बल्कि उन नौकरियों के लिए जिनकी उत्पत्ति होनी है, के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे के निर्माण, कौशल उन्नयन, नए कौशल का निर्माण और अभिनव सोच पैदा की जा सके । SDI योजना MSDE द्वारा शुरु की गई।

DGT, MSDE/SDI आंकलन संस्थाओं को योजना के तहत प्रशिक्षित की दक्षता का आंकलन करने के लिए पैनल करता है। इस तरह के मूल्यांकन के लिए उच्च क्षमता, ख्याति के लिए सैक्टर वार और क्षेत्र वार मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाता है।

[01@04@2016 l iHkkoh]

(iii) DDU-th-dh-okbZ izf'k{k.k inkrkvksa }kjk dkS'ky@;ksX;rk izf'k{k.k ds

© The Institute of Chartered Accountants of India

ek/;e l iinku dh xbi lokvk dk NVA

एक नई प्रविष्टि 9D द्वारा कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश के माध्यम से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) ग्रामीण विकास के मंत्रालय (MoRD) के तहत प्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना कार्यन्वयन एजेंसियों) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को छूट देने के लिए सम्मिलित की गई है। इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यावसायिक कोर्स चलाए जा रहे हैं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की गरीब और वंचित ग्रामीण युवाओं के लिए स्किलिंग और प्लेसमेंट पहल है। कौशल प्रशिक्षण, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जो विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों, शिक्षा और प्रशिक्षण या गैर–सरकारी संगठनों, जिन्होंने स्किलिंग, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में प्रतिष्ठता प्राप्त हैं, प्रदान किया जा रहा है। वे कौशल अंतराल के मूल्यांकन, नामांकन, प्रशिक्षण, परामर्श, नियुक्ति पद स्थापना समर्थन, कैरियर में प्रगति और अन्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

[01@04@2016 l iHkkoh]

(iv) Ykkd ;k lxhr@uR;@fFk,Vj d 'kkL=h; dyk #ik e प्रति in'ku लिए जाने वाले ifrQy ij ikjfEHkd NVA dh lhek 1]00]000 l c<kdj 1]50]000 dhA

इससे पहले (i) संगीत या (ii) नृत्य या (iii) थिएटर के लोक या शास्त्रीय कला रुपों में एक प्रदर्शन कलाकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए छूट तभी उपलब्ध थी यदि प्रति प्रदर्शन ली जाने वाली रा ि रु 1,00,000 तक थी। अब 1/4/2016 से प्रभावी लोक या संगीत/नृत्य/थिएटर के शास्त्रीय कला रुपों में एक प्रदर्शन कलाकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए प्रतिफल की प्रारम्भिक छूट की सीमा प्रति प्रदर्शन रु 1,00,000 से बढ़ा कर रु 1,50,000 तक दी गई है।

यह भी नोट किया जाए कि ब्रांड एंबेसडर के रुप में एक कलाकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएँ पहले की तरह योग्य रहेंगी। [01@04@2016 l iHkkoh]

(v) Tkujy fujke; LokLF; chek ;kstuk d rgr inku lekU; chek dk NV

निर्दिष्ट योजनाओं के तहत प्रदान की सामान्य बीमा कारोबार की सेवाओं को प्रविष्टि 26 के द्वारा छूट दी गई है। नेशनल ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदान की सामान्य बीमा कारोबार की सेवाओं को छूट देने के लिए कथित प्रविष्टि में नया वाक्यांश (q) सम्मिलित किया गया है।

VªLV% सेरेब्रल पाल्सी, ओटिस्म मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 से संबद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए नेशनल ट्रस्ट के प्रावधानों के तहत एक ट्रस्ट गठित किया गया।

fujke; LokLF; chek ;kstuk% नेशनल ट्रस्ट द्वारा, विकलांग व्यक्तियों को जो autism सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) मानसिक मंदता और बहु विकलांगता से

© The Institute of Chartered Accountants of India

ग्रस्त हैं, एक सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना, Niramaya स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, सार्वजनिक/निजी बीमा कंपनियों के सहयोग से शुरु की है।

[01@04@2016 l: izHkkoh]

(vi) u'kuy iSa'ku fLVe d: rgr okf"kdh ij NwV

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत भारतीय पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित एन.पी.सी. के तहत वार्षिकी के माध्यम से प्रदान की जीवन बीमा कारोबार की सेवाओं को छूट देने के लिए एक नई प्रविष्टि 26C को डाला गया है।

[01@04@2016 l: izHkkoh]

(vii) fufn"V fudk;k sa nokjk lsok ij NwV

49 से 52 तक की नई प्रविष्टियों को निम्न निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को छूट देने के लिए डाला गया है।

(a) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (EPFMP) अधिनियम, 1952 के तहत संचालित व्यक्तियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की सेवा।

(b) भारतीय बीमा नियामक एंव विकास प्राधिकरण (IRDAI) अधिनियम के तहत बीमा कर्ताओं को भारतीय बीमा नियामक एंव विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की सेवा।

(c) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम, 1992 के बोर्ड के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए और प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देने के माध्यम से प्रदान की सेवाएं।

(d) कोल्ड चैन ज्ञान के प्रचार–प्रसार के माध्यम से कोल्ड चैन विकास के राष्ट्रीय केन्द (NCCCD) द्वारा कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन प्रदत्त सेवाएं।

[01@04@2016 l: izHkkoh]

© The Institute of Chartered Accountants of India

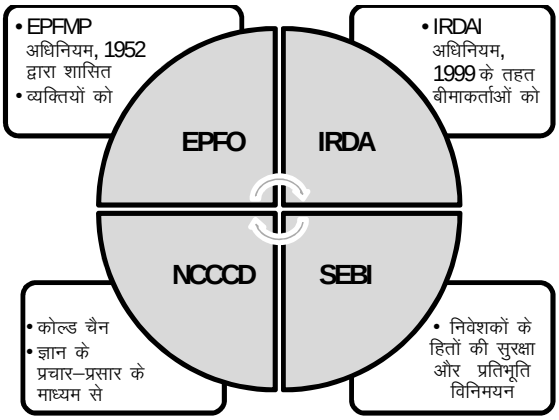

(viii) /kekZFk xfrfof/k;ksa dh ifjHkk"kk esa ;ksx 'kkfey

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीकृत एक इकाई द्वारा धर्मार्थ गतिविधियों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं को सेवा कर से एंट्री 4 के तहत छूट दी गई है।

'धमार्थ गतिविधियों', अन्य बातों के साथ की परिभाषा में धर्म या अध्यात्म की उन्नति से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। अब अधिसूचना सं. 20/2015ST दिनांक 21.10.2015 द्वारा योग को भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा योगा की उन्नति के लिए प्रदत्त संबंधित सेवाओं पर सेवा कर नहीं लगेगा जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित योगा शिविरों के लिए प्रभारित शुल्क पर सर्विस टैक्स देय नहीं होगा।

[21@10@2015 ls izHkkoh]

(ix) fuEu lsok,a lsok dj ls foeDr gSa

(i) प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कवर बेसिक बचत बैंक जमा खातों के संबंध में व्यापार सुविधा/व्यापार संवाददाता द्वारा प्रदान सेवाएं (ii) इस तरह की सेवाओं के संबंध में व्यापार सुविधा/व्यापार संवाददाता के एक मध्यस्थ के द्वारा प्रदान सेवाएं

एक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रविष्टि 29 में अधिसूचना संख्या 20/2015 दिनांक 21.10.2015 के द्वारा संशोधन कर दिया गया है ताकि प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा कवर बेसिक बचत बैंक जमा खातों के संबधं में एक बैंकिंग कंपनी को एक व्यापार सुविधा या एक व्यापार संवाददाता द्वारा बैंकिंग कंपनियों के ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं में खाता खोलना, नकद जमा, नकद निकासी, प्राप्त करने के लिए ई–जीवन प्रमाण पत्र और आधार सीडिंग के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को सेवा कर से छूट दी जा सके। इसके अलावा एक मध्यस्थ के रुप में एक व्यापार सुविधा या ऊपर उल्लेख किया सेवाओं के लिए एक व्यापार संवाददाता के रुप में

© The Institute of Chartered Accountants of India

किसी भी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को भी सेवा कर से छूट दी गई है।

इस प्रयोजन के लिए बेसिक बचत बैंक जमा खाते का मतलब एक बुनियादी बचत बैंक जमा खाता होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उससे संबंधित जारी किए गए दिशा–निर्देशों के तहत खोले गए हैं।

[21@10@2015 ls izHkkoh]

0;kikj lqfo/kk@0;kikj lqoknnkrk@cSd fe=

बिजनेस फैसिलिटेटर या व्यापार संवाददाता लोकप्रिय नाम बैंक मित्र के रुप में एक बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष रुप से जहां एक ईंट और मोर्टार से बनी शाखा व्यवहार्य नहीं हैं वहां यह एक बैंक को अपनी पहुंच का विस्तार और कम लागत पर बैंकिंग सेवाओं की सीमित रेंज की पेशकश करने में सक्षम बनाता है।

बैंक मित्र की गतिविधियों के दायरे पैसे का प्रबंधन और ऋण परामर्श, संभावित ग्राहकों की पहचान, संग्रह और प्राथमिक जानकारी/डेटा, अनुप्रयोगों के भरने के सत्यापन सहित जमा करने के लिए विभिन्न रुपों की प्रारंभिक प्रसंस्करण के प्रबंधन पर बचत और अन्य उत्पादों और शिक्षा और सलाह के बारे में जागरुकता पैदा करने में शामिल/खाता रुपों , संग्रह और छोटे मूल्य जमा और निकासी, रसीद और छोटे मूल्य के प्रेषण की सुपुर्दगी/अन्य भुगतान के निर्देश, मिनी खाते विवरण और अन्य खाते की जानकारी, आदि आते हैं।

[21@10@2015 ls izHkkoh]

(x) ljdkj ;k fdlh LFkkuh; izkf/kdkjh nokjk izoorhZ foRrh; o"kZ esa 10 yk[k #i;s rd ds dkjksckj ds lkFk ,d 0;kikj bdkbZ ds fy, inku dh xbZ lsokvksa dk NwV

अधिसूचना संख्या 07/2016 ST दिनांक 18.02.2016 द्वारा एक नई प्रविष्टि 48 सम्मिलित किया गया है जिसके तहत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये तक के कारोबार के साथ एक व्यापार ईकाई के लिए सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को छूट दी गई है।

[01@04@2016 ls izHkkoh]

(xi) ljdkj ;k fdlh LFkkuh; izkf/kdkjh nokjk nh xbZ fufn"V lsokvksa ij NwV

सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई निम्न सेवाओं पर vf/klwpuk la[;k 22@2016 ST fnukad 13@04@2016 ds rgr NwV nh xbZ gS&

1. lfo/kku ds vuqPNsn 243w ds rgr ,d uxj ikfydk dks lkSai fdlh Hkh lekjkg ds lapkyu esa

किसी भी गतिविधि के माध्यम से एक सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान सेवाएं एंट्री 39 के जरिये सेवा कर से मुक्त थी। उक्त प्रविष्टि में सरकार या एक स्थानीय प्राधिकारी

© The Institute of Chartered Accountants of India

द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए दी गई छूट का विस्तार करने के लिए संशोधन किया गया है।

[01@04@2016 l: iHkkoh]

2- vU; ljdkj ;k LFkkuh; izkf/kdkjh dk nh xbZ lqfo/kk,a

एक नई प्रविष्टि 54 जोड़ी गई है ताकि अन्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को छूट दी जा सके।

;kf=;k ;k eky dk ifjogu ;k ,d foeku ;k ,d ikr dh lqjf{kr e lok,a ;k Mkd foHkkx }kjk inku dh fufn"V lqfo/kk dh lqjf{kr e;g NwV miyC/k ugh gSA

gkykafd foÙk vf/kfu;e] 1994 dh /kkjk 66D dh mi[kaM (i), (ii) vkSj (iii) e fufn"V ljdkj ;k fdlh LFkkuh; izkf/kdkjh nokjk inku fuEufyf[kr lqfo/kk dh fy, ;g NwV miyC/k ugh gS]

(i) डाक विभाग द्वारा सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा, और एजेंसी सेवाओं के माध्यम से प्रदत्त सेवाएं।

(ii) एक विमान या एक पोत, एक बंदरगााह या एक हवाई अड्डे के परिसर के अंदर या बाहर के संबधं में सेवाएं

(iii)माल या यात्रियों के परिवहन

(13-04-2016 l: iHkkoh)

3- ikliksV] cht] Mkbfox ykbl;l] tUe izek.ki= ;k eR;q izek.ki= tkjh djus dh #i e inku dh xbZ lqfo/kk,aA

एक नई प्रविष्टि 55 को जोडा गया है ताकि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ड्राईविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र य मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के रुप में उपलब्ध कराई गई सेवाओं को छूट दी जा सके।

(13-04-2016 l: iHkkoh)

4- lqfo/kk] tgk iHkkfjr ldy jkf'k ₹ 5000 l vf/kd ugh gSA

एक नई प्रविष्टि 56 को जोड़ा गया है ताकि सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जहां इस तरह की सेवाओं के लिए शुल्क राशि 5,000 से अधिक नहीं है, प्रदान की गई सेवाओं को छूट दी जा सके।

;kf=;k ;k eky dk ifjogu ;k ,d foeku ;k ,d ikr dh lqjf{kr e lok,a ;k Mkd foHkkx }kjk inku dh fufn"V lqfo/kk dh lqjf{kr e Fk'kkYM lhek ykxw ugh gSA

हालांकि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66D के वाक्यांश (a) के उप खंड (i), (ii),

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) में निर्दिष्ट सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान निम्नलिखित सेवाओं के संबंध ₹ 5,000 की उक्त सीमा में लागू नहीं होगी।

(i) डाक विभाग द्वारा सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति स्पीड पोस्ट सेवाओं, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट जीवन बीमा और एजेंसी सेवाएं

(ii) एक विमान या एक पोत, एक बंदरगाह या एक हवाई अड्डे के परिसर के अंदर या बाहर के संबंध में सेवाएं

(iii) माल या यात्रियों के परिवहन।

lsokvksa dh lrr vkiwfrZ ds ekeys esa Fkzs'kkYM lhek

किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की सतत आपूर्ति के मामले में, छूट तभी लागू होगी, यदि ऐसी सेवा के लिए सकल शुल्क राशि एक वित्तीय वर्ष में 5,000 से अधिक नहीं है।

कराधान नियम के बिंदु 2011 के खंड नियम, 2(C) में परिभाषित के रुप में।

(13-04-2016 ls izHkkoh)

5- ,d vuqc/k ds xSj&fu"iknu dk lgu djus ds ek/;e ls lsok

एक नई प्रविष्टि 57 जोड़ी गई है ताकि सरकार या एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा एक अनुबंध के गैर–fuष्पादन को सहन करने के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं को छूट को दी जा सके जिसके प्रतिफल के रुप में जुर्माना या नष्ट हर्जाना ऐसे अनुबंध के तहत सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय है।

(13-04-2016 ls izHkkoh)

6. fdlh dkuwu ds rgr vko';d izfdz;k] ijh{k.k] vk'kkdu **(Calibration),** dehpkfj;ksa] miHkksDrkvksa ;k cM+s ifjeku ij turk dh lqj{kk@lqj{k.k lacaf/kr lqj{kk p[d@izek.ki= ls lacf/kr lsok,a

एक नई प्रविष्टि 58 को सरकार या एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई निम्न सेवाओं के माध्यम से छूट देने के लिए डाला गया है:

(a) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन आवश्यक पंजीकरण

(b) तत्समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत परीक्षण, कैलिब्रेशन, कार्यकर्ताओं, उपभोक्ताओं या जनता की सुरक्षा या सरंक्षण संबंधी सुरक्षा चैक या प्रमाणीकरण

(13-04-2016 ls izHkkoh)

7- 1 vizy 2016 ls igys lkoZtfud lqfo/kkvksa dk mi;ksx djus dk vf/kdkj

यह स्पष्ट करने के लिए कि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी प्राकृतिक

© The Institute of Chartered Accountants of India

संसाधनों के प्रयोग के अधिकार को सौंपने संबंधी सेवाएं जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल 2016 से पहले सौंपा गया, एक नई प्रविष्टि 61 के द्वारा सेवा कर से विमुक्त किया गया है।

हालांकि ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के अधिकार पर कथित छूट केवल एक बाद देय प्रभार पर देय सेवा कर लागू होगी, चाहे भुगतान पूर्ण या किस्तों में किया गया है।

,d 0;fDrxr fdlku dk Ñf"k d mí'; ls ikdfrd lalk/kuksa dk mi;ksx djus dk vf/kdkj lkSik tkuk

सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कृषि के उद्देश्यों से प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग का अधिकार सौंपने संबंधी प्रदत्त सेवाएं सेवा कर से विमुक्त है चाहे इन्हें 1 अप्रैल 2016 को इसके बाद सौंपा गया हो। यह रियायत एक नई प्रविष्टि 59 के द्वारा दी गई है।

[13@04@2016 ls izHkkoh]

8- lfo/kku dk vuPNsn 243G d rgr ,d iapk;r dk lkSai x, fdlh lekjksg dk lapkyu esa

एक नई प्रविष्टि 60 के द्वारा सरकार, स्थानीय अधिकारी या सरकारी अधिकारी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243G के अन्तर्गत किसी समारोह को पंचायत को सौंपे जाने संबंधी गतिविधि के रुप में प्रदत्त सेवाएं कर से मुक्त कर दी हैं।

[13@04@2016 ls izHkkoh]

9. dk;kZy; le; d ckn ;k NqfVV;ksa esa vk;kr fu;kZr eky d lapkyu esa fujh{k.k] dUVuj HkjkbZ vkfn dh lsok,aA

एक नई प्रविष्टि 63 जोड़ी गई है तांकि सरकार के द्वारा कार्यालय समय के बाद या छुट्टियों में आयात निर्यात माल के निरीक्षण या कंटेनर भराई का अन्य ऐसे कार्यों को मर्चेंट ओवरटाइम प्रभार (MOT) के भुगतान द्वारा अधिकारियों की Deputation पर नियुक्ति करके प्रदत्त सेवाओं को विमुक्त किया जा सके।

[13@04@2016 ls izHkkoh]

(B) NVV okfil yh xbZ@izfrcU/kr

(i) ,d ofj"B vf/koDrk }kjk fdlh vf/koDrk ;k vf/koDrkvksa dh lkaxhnkjh Qeksa dk vkj ,d fookpu U;k;kf/kdj.k ij izfrfuf/kRo djus okyh 0;fDr d }kjk nwljs fookpu U;k;kf/kdj.k dk inRr lsokvksa d lapkyu esa NVV dh okfil h

1.4.2016 से प्रभावी, प्रविष्टि 6 में वाक्यांश (b) और (c) को प्रतिस्थापित किया गया है ताकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किसी अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की सांझेदारी फर्म को और किसी

© The Institute of Chartered Accountants of India

व्यावसायिक संस्थान को किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 10 लाख रु. तक है और एक विवाचन न्यायाधिकरण पर प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा दूसरे विवाचन न्यायाधिकरण को प्रदत्त सेवाओं के संबंध में दी गई छूट वापिस ले ली गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता का अर्थ वही है जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 में दिया गया है जो यह प्रावधान करता है कि किसी अधिवक्ता को उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकित किया जा सकता है, यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का विचार है कि उसके अदालत (Bar) में खड़े रहने की योग्यता या विशेष ज्ञान या अनुभव के कारण, वह इस विशिष्टता का हकदार है। वरिष्ठ अधिवक्ता पर, प्रैक्टिस के मामले में कानूनी पेशे के हित में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो वह आवश्यक समझती है।

ifof"V 6 e% l'kk/ku l% iwo% vkj mld% i'pkr~ dh rqyukRed fLFkfr uhps lkfj.kh e% of.kr dh xbZ g%

lsok inku dh xbZ	D;k lsok dj l% foeDr g%	
	l'kk/ku l% iwo%	l'kk/ku d% i'pkr~
एक विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा – (i). व्यावसायिक इकाई के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को या (ii) एक व्यावसायिक इकाई को जिसका आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 10 लाख रु. तक है।	✓	✓
अधिवक्ताओं की एक साझेदारी फर्म या एक अकेले अधिवक्ता द्वारा (वरिष्ठ अधिवक्ता को छोड़कर) कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु – (i). कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म को (ii) एक व्यावसायिक इकाई के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को (iii) एक व्यावसायिक इकाई को जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में आवर्त 10 लाख रु. तक है।	✓	✓
एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कानूनी सेवाओं के रूप में किसी अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म को जो कानूनी सेवाएं प्रदान कर रही है।	✓	X
एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कानूनी सेवाएं व्यावसायिक संस्था को छोड़कर किसी व्यक्ति को प्रदान करने के रुप में अर्थात् एक व्यक्ति जो सामान्यतः उद्योग, वाणिज्य या किसी अन्य व्यापार अथवा पेशे से सम्बन्धित गतिविधियां चलाता है।	✓	✓

© The Institute of Chartered Accountants of India

एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा एक व्यावसायिक इकाई को जिसका पूर्ववर्ती वितीय वर्ष में आवर्त 10 लाख रु. तक है।	✓	X
एक व्यक्ति, जो विवाचन न्यायाधिकरण का प्रतिनिधित्व करता है, के द्वारा विवाचन न्यायाधिकरण को	✓	X

[1@04@2016 l% izHkkoh]

(ii) jkiw] dcy dkj ;k gokbZ VkeoS d% }kjk ;kf=;k d% ifjogu ij NwV dh okfil h

1.4.2016 से प्रभावी, प्रविष्टि 23 में वाक्यांश (c) को हटा दिया गया है ताकि जो छूट रोपवे, केबल कार या हवाई ट्रामवे के साथ समान की ढुलाई सहित या उसके बिना यात्रियों के परिवहन पर उपलब्ध थी को हटाया जा सके।

[01@04@2016 l% izHkkoh]

II vU; NwV

1. BIRAC l% ekU;rk izkIr tSfod bUD;qcsVjksa }kjk bUD;qcsVh l dk izn Rr lsokvksa ij NwV

अधिसूचना संख्या 32/2012 ST दिनांक 20.06.2012 के द्वारा विज्ञान एंव तकनीकी विभाग, NSTEBD द्वारा मान्यता प्राप्त TBI/STEP द्वारा प्रदत्त सभी करयोग्य सेवाओं को सेवा कर से मुक्त रखा गया है बशर्ते TBI/STEP कथित अधिसूचना में वर्णित सभी शर्तों को पूरा करती हों।

01.04.2016 से प्रभावी, यह छूट भारत सरकार के बायो टैक्नोलोजी विभाग के अधीन BIRAC से मान्यता प्राप्त जैविक इन्क्यूवेटरों द्वारा प्रदान की गयी करयोग्य सेवाओं पर भी बढ़ा दी गई है बशर्ते ऐसे जैविक इन्क्यूवेटरों वर्णित शर्तों को पूरा करते हों। यह संशोधन अधिसूचना संख्या 12/2016ST दिनांक 01.03.2016 द्वारा की गई है।

TBI का अर्थ है – टैक्नोलोजी विजिनेस इन्क्यूवेटर

STEP का अर्थ है –साईंस एंड टैक्नोलोजी एन्ट्रीपरिनियोरशिप पाक्र

NSTEBED अर्थात् – नेशनल साईंस एंड टैक्नोलोजी एन्ट्रीपरिनियोरशिप डिवल्पमैंट बोर्ड

BIRAC अर्थात् – बॉयोटैक्नोलोजी इण्डस्ट्री रिसर्च असिस्टैंस काउंसिल

[1.4.2016 l% izHkkoh]

2. SEZ ;qfuVksa@fMosyij dk LoPN Hkkjr midj dh okfil h

अधिसूचना संख्या 12/2013 ST दिनांक 01.07.2013 विशेष आर्थिक जोन (SEZ) में स्थित इकाई या SEZ डिवेलपर के द्वारा प्राप्त सेवाओं को उन पर लगने वाले संपूर्ण सेवा कर से करमुक्त करती है जिनका प्रयोग अधिकृत प्रक्रियाओं के लिए होता है। यह छूट प्रारम्भ से

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्राप्त होगी यदि सेवाएं अधिकृत प्रक्रियाओं के लिए की गई हैं और छूट का दावा किया जाता है। हालांकि जहां छूट प्रारम्भ से ही प्राप्त है परंतु इसका दावा नहीं किया गया, तो सेवा कर की वापिसी स्वीकृत है। अधिसूचना संख्या 02/2016 ST दिनांक 03.02.2016 द्वारा कथित अधिसूचना में संशोधन किया गया ताकि सेवा कर के साथ स्वच्छ भारत उपकर की भी ऐसे मामले में वापिसी का प्रावधान हो सके।

आगे, अधिसूचना संख्या 12/2013 ST यह प्रावधान करती है कि सेवा कर की वापिसी उन मामलों में भी स्वीकृति होगी जिनमें निर्दिष्ट सेवाएं अनन्य रुप से अधिकृत क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होती। निर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान, जो SEZ की अधिकृत क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होती। निर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान, जो SEZ की अधिकृत संचालन एवं घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA Unit) के लिए सामान्य है, CENVAT क्रेडिट नियम, 2004 के नियम, 7 में वर्णित तरीके से SEZ यूनिट/डिवेलपर और DTA में यूनिट (स) में बांटा जाता है। SEZ यूनिट/डिवेलपर को बांटे गए सेवा कर की राशि वापिसी के रुप में उपलब्ध होगी। (इस संदर्भ में इसे (A) निर्दिष्ट किया गया) इस मामले में स्वच्छ भारत उपकर की वापिसी का प्रावधान करने के लिए अधिसूचना संख्या 02/2016 में संशोधन किया गया जिसका निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा।

= (A) x स्वच्छ भारत उपकर की प्रभावी दर = [{(A) x 0.5}/14] %)

सेवाकर की दर

[03@02@2016 l: i:Hkkoh]

3. vf/klpuk l[;k 41@2012ST fnukd 29-06-2012 d: rgr fufn"V lokvk dh ifjHkk"kk e: l'kks/ku

अधिसूचना संख्या 41/2012 दिनांक 29.062012 वस्तुओं के निर्यातकों को ऐसी वस्तुओं के निर्यात में प्रयुक्त निर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर में रियायत प्रदान करता है।

अधिसूचना संख्या 01/2016 ST, दिनांक 03/02/2016 द्वारा निर्दिष्ट सेवाओं की परिभाषा के वाक्यांश (i) को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है:

l'kks/ku l: i:o:	l'kks/ku d: i'pkr·
"निर्दिष्ट सेवा" का अर्थ है:	"निर्दिष्ट सेवा" का अर्थ है:
(i) उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में, करयोग्य सेवाएं जिनका प्रयोग कथित वस्तुओं के निर्यात के लिए हटाने के स्थान से परे किया गया है।	(i) उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मामले में, करयोग्य सेवाएं जिनका प्रयोग कथित वस्तुओं के निर्यात के लिए फैक्ट्री या किसी अन्य स्थल या उत्पादन के परिसर या कथित वस्तुओं के निर्माण से परे किया गया है।

परिणामतः 'हटाने के स्थान' की परिभाषा को कथित अधिसूचना में हटा दिया गया है।

[03@02@2016 l: i:Hkkoh]

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. 'kfDr e=ky; dh ikoj fLVe fMoyieV Ldhe d vUrxr inÙk lokvk dk lok dj l foefDr%

अधिसूचना संख्या 17/2015 दिनांक 19/05/2015 के द्वारा पावर सिस्टम डिवेलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत निम्न रुप से प्रदत्त सेवाओं को सेवा कर से विमुक्ति दी गई है।

(A) गैस अथोरटी ऑफ इंडिया लि. के द्वारा आयोजित Liquid Natural Gas (LNG) के पुनः गैसीकरण के मामले में

(B) निर्दिष्ट पॉवर जनरेटिंग कम्पनियों या प्लांटों को अतिरिक्त Re-gasified Liquified Natural Gas (RLNG) के परिवहन के लिए।

यह छूट अधिसूचना में वर्णित कतिपय शर्तों को पूरा करने की शर्त पर आधारित है।

हालांकि यह छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि ऐसी RLNG और LNG का प्रयोग बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 2(8) में परिभाषित कैपटिव जेनरेटिंग प्लांट द्वारा बिजली उत्पादन के लिए हुआ है।

आगे, यह छूट केवल 31.3.2017 तक वैध होगी।

(19-05-2015 l iHkkoh)

पुनः–गैसीकरण Liquid Natural Gas (LNG) को वायुमंडलीय तापमान पर वापिस प्राकृतिक गैस में बदलने की प्रक्रिया है। प्रायः प्राकृतिक गैस को परिवहन में आसानी के लिए द्रव्य में बदला जाता है।

U;wuhdj.k

1- U;wuhdj.k vf/klwpuk l[;k 26@2012 ST fnukd 20-06-2012 dk vf/klwpuk l[;k 8@2016 ST fnukd 1-3-2016 }kjk l'kksf/kr fd;k x;k gA

dj;kX; lok dk o.ku	U;wuhdj.k %		iHkkoh frfFk	'krksa esa ifjorZu] ;fn dkbZ gks
	iwoZ	i'pkr		
jsy ;k ty;ku }kjk ifjogu				
रेल द्वारा वस्तुओं का परिवहन (fuEu fufn"V lokvksa d vykok)	70	70	01-04-2016	U;wuhdj.k dk nkok djus d fy, inRr 'krksa dk] dj;kX; lok inku djus okyh buiV lokvksa ij lwpuoV ØfMV dk i;kx] lwpuoV ØfMV fu;e] 2004 d ikyu d rgr ugha fy;k tkuk pkfg,] nj dj fn;k x;kA bl idkj vc buiV lokvksa ij lwpuoV ØfMV U;wuhdj.k ykHk d lkFk fy;k tk ldrk gA
Hkkjrh; jsy d vfrfjDr fdlh vU; O;fDr }kjk jsy l dVuj }kjk oLrvksa dk ifjogu	70	60	01-04-2016	
रेल द्वारा यात्रियों का परिवहन (सामान के साथ	70	70	01-04-2016	

© The Institute of Chartered Accountants of India

या बिना)				
जलयान से माल का परिवहन	70	70	01-04-2016	
eky ifjogu ,oa tgkt dh lsok,a				
bLrseky ?kjsyw lkeku dh vykok अन्य वस्तुओं के परिवहन के संबध में माल परिवहन ऐजेंसी की सेवाएं	70	70	01.04.2016	न्यूनीकरण का लाभ उठाने के लिए स्थिति में कोई बदलाव नहीं है चाहे सेवा का इस्तेमाल घरेलू सामान या उसके अलावा अन्य किसी भी माल की परिवहन के संबंध में किया गया है।
bLrseky ?kjsyw oLrqvksa dh ifjogu dh lqfo/kk esa eky ,oa tgkt dh lsok,a	70	60	01-04-2016	
vU; lsok,a				
fpV Q.M dh Qkjeu }kjk fpV dh lqfo/kk esa miyC/k djokbZ xbZ lsok,a	Nil	30	01-04-2016	dj;kX; lsok inku djus dh fy, buiVj] ithxr oLrqvksa] buiVj lsokvksa ij lquoVj ØfMV] lquoVj ØfMV fu;eksa] 2004 dh izko/kkuksa dh rgr ugha fy;k x;k gSA
,d Vj vkijsVj }kjk fuEu dh lqfo/kk esa lsok,a% (i) fdlh Hkh 0;fDr dh fy, dsoy vkokl dh 0;oLFkk ;k cfdx dh iz;kstu ls ,d Vj]	90	90	01-04-2016	शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं
(ii) mijksDr (i) dh vfrfjDr ,d Vj	75/60	**70**	01-04-2016	शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं
uksV% न्यूनीकरण अधिसूचना में किए गए संशोधन मोटे अक्षरों में दिए गए हैं।				

DOF संख्या 334/8/2016TRU दिनांक 29/02/2016 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कंटनेर ट्रेन की ढुलाई के कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों CTOs को भारतीय रेल द्वारा प्रदत्त सेवा ''रेल द्वारा माल के परिवहन'' की एक सेवा है और इसलिए यह न्यूनीकरण और कर उपचार के लिए पात्र है अर्थात् यह इनपुट सेवाओं के क्रेडिट के साथ 70 प्रतिशत की दर से न्यूनीकरण के लिए योग्य होगी।

परिणामतः 01.04.2016 से प्रभावी "पैकेज टूर'' की परिभाषा हटा दी गई है।

fdjk, dh ekVj dSc ij U;wuhdj.k dk ykHk yus ds fy, izHkkfjr ifrQy esa bZ/ku dh ykxr 'kkfey djuk

मोटर कैब सेवा के किराए पर देने के संबंध में न्यूनीकरण के उद्देश्य से प्रभारित राशि होगी– सेवा के लिए प्रभारित कुल राशि जिसमें सभी वस्तुओं का उचित बाजार मूल्य ईंधन सहित

© The Institute of Chartered Accountants of India

और सेवा में या सेवा के संबंध में प्राप्तकर्ता द्वारा सेवाओं की आपूर्ति शामिल है। चाहे यह आपूर्ति उसी अनुबंध या किसी अन्य अनुबन्ध के अन्तर्गत की गई है अथवा नहीं।

लेकिन माल और सेवाओं की आपूर्ति का उचित बाजार मूल्य का निर्धारण सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्वांतों के अनुरूप किया जाएगा।

[01-04-2016 l: i:Hkkoh]

1- GTA }kjk eky dh <ykbZ d: nkjku i:nRr lgk;d lsokvksa ij 70 izfr'kr U;wuhdj.k dh miyC/krk

यह स्पष्ट किया गया है कि सहायक सेवाएं जैसे– लोडिंग/अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, लदान, अस्थायी भण्डारन इत्यादि माल परिवहन एजेंसी (GTA) सेवा का भाग बनेगी यदि द्वारा ये सेवाएं माल के परिवहन के दौरान की जाती है और ऐसी सेवाओं का शुल्क GTA द्वारा जारी बीजक में शामिल किया जाता है, न की किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार GTA सेवा के लिए लागू 70 प्रतिशत की न्यूनीकरण सहायक सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेगी। न्यूनीकरण सहायक सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेगी। दूसरे शब्दों में एक समग्र सेवा को उसके घटकों में तोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है और उसको अलग सेवाओं के गठन के रुप में समझे जाने की आवश्यकता नहीं है यदि इसे व्यवसाय की सामान्य गतिविधि के दौरान प्रदान किया जाता है इस प्रकार एक समग्र सेवा मुख्य अथवा प्रिंसीपल सेवा के आधार पर एकल सेवा के रुप में मानी जानी चाहिए।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां GTA एक निर्धारित समय में एक गन्तव्य पर माल देने की जिम्मेदारी लेता है, इसे माल के परिवहन के संबंध में GTA की सेवाओं के रुप में माना जाना चाहिए इस प्रकार 70 प्रतिशत की न्यूनीकरण लागू होगी यदि माल की पूरी परिवहन सड़क मार्ग से है और GTA एक प्रेषण नोट किसी भी नाम से जारी करता है।

(ifji= l:[;k 186@5@2015 fnukd 10@5@2015)

v/;k; 6% lsok dj izfof/k;k

1. vf/klwpuk l:[;k 19@2016 ST fnukd 01-03-2016 d: rgr] tc rd vU;Fkk fufn"V u gk] lsok dj fu;e] 1994 e: fuEufyf[kr l'kks/ku fd, x, g%

i. ,d ofj"B vf/koDrk }kjk i:nRr dkuuh lsokvksa ij lsok dj dk vfxe i:Hkkj (Forward Charge) d: rgr Hkqxrku fd;k tkuk [fu;e 2(1) (d) (i) (D) (ii)]

01.04.2016 से पूर्व नियम, 2(1)(d)(i)(D)(ii) में वर्णित किया गया कि किसी भी व्यावसायिक इकाई को जो करयोग्य क्षेत्र में स्थित है, एक अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की फर्म द्वारा कानूनी सेवाओं के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं के सम्बंध में, ऐसी सेवा का प्राप्तकर्ता सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

नियम, 2(1)(d)(i)(D)(ii) में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि अधिवक्ताओं की फर्म या एक अकेले अधिवक्ता द्वारा, वरिष्ठ अधिवक्ता को छोड़कर, कानूनी

© The Institute of Chartered Accountants of India

सेवाओं के माध्यम से प्रदत्त सेवा के लिए, ऐसी सेवा का प्राप्तकर्ता सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। इस प्रकार, एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रदत्त कानूनी सेवाओं के मामले में अग्रिम प्रभार देय होगा। यह उल्लेखनीय है कि 01/04/2016 से प्रभावी, एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा एक वकील या वकीलों की साझेदारी फर्म को प्रदत्त सेवाओं पर छूट को वापिस ले लिया गया है। (v/;k; 5% NVV vkj U;wuhdj.k e% lanfHkZr)

fjoly pkt d rgr vf/klpuk l[;k 30@2012 ST fnukd 20-06-2012 e% ifj.kkeh l'kks/ku vf/klpuk l[;k 18@2016 ST fnukd 0@03@2016 d }kjk fd;k x;k gA

(01-04-2016 l iHkkoh)

(ii)E;pvy QM ,tVk@forjdk d }kjk fdlh E;pvy QM ;k ifjlEifr icU/ku dEiuh dk inRr lokvk d ekey e lok dj fjoly pkt l QkjoM pkt ij LFkkukrfjr dj fn;k x;k gA

केन्द्रीय बजट, 2015 में, छूटों की छंटाई करने के नीतिगत निर्णय के रुप में, म्यूचुअल फंड ऐजेंटों/वितरकों के द्वारा म्यूचुअल फंड या परिसम्पति प्रबंधन कम्पनी को प्रदान सेवाओं पर छूट वापिस ले ली गई है। हालांकि इन सेवाओं को रिवर्स चार्ज दायित्व में रखा गया है अर्थात् म्यूचुअल फंड और परिसम्पति प्रबंधन कम्पनी को प्रदान सेवाओं पर छूट वापिस ले ली गई है। हालांकि इन सेवाओं को रिवर्स चार्ज दायित्व में रखा गया है अर्थात् म्यूचुअल फंड और परिसम्पति प्रबंधन कम्पनी द्वारा ऐसे एजेंटों या वितरकों से प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर देय होगा। मद (EEA) को नियम, 2(1)(d)(i)(D)(ii) में जोड़ा गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एक म्यूचुअल फंड एजेंट/वितरक के द्वारा म्यूचुअल फंड/परिसम्पति कम्पनी प्रबंधन को प्रदत्त सेवाओं के संबंध में, सेवा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

इस वर्ष से नियम, 2(1)(d)(EEA) को हालांकि समाप्त कर दिया गया है ताकि ऐसी सेवाओं को फॉरवर्ड चार्ज के तहत लाया जा सके अर्थात् म्यूचुअल फंड ऐजन्टों/वितरकों को सेवा कर के लिए दायी बनाया गया है। वितरण श्रृंखला के नीचे वाले छोटे उप–ऐजेंट अभी भी छोटी सेवा प्रदाता छूट के पात्र होंगे {आवर्त सीमा 10 लाख रु. प्रतिवर्ष}

vf/klpuk l[;k 18@2016 ST fnukd 01-03-2016 d rgr vf/klpuk l[;k 30@2012 fnukd 20@06@2012 e% ifj.kkeh l'kks/ku fd, x, gA

[01-04-2016 l iHkkoh]

(iii) (a) प्राप्ति के आधार पर सेवा कर के त्रैमासिक भुगतान और सेवा कर के भुगतान की सुविधा को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए सेवा आवर्त वाले OPC के लिए बढ़ाया गया। (b) HUF के लिए सेवा कर के त्रैमासिक भुगतान की सुविधा [नियम 6(i)]।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के माध्यम से भारत के एक व्यक्ति कम्पनी (OPC) लागू किया गया ताकि उन उद्यमियों को सीमित दायित्व वाली एकल व्यक्ति आर्थिक इकाई बनाने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु समर्थन दिया जा सके जो स्वयं एक उद्यम शुरु करने में सक्षम है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

OPC को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(62) में परिभाषित किया गया है। प्राप्ति के आधार पर सेवा कर के त्रैमासिक भुगतान और सेवा कर के भुगतान का लाभ जो व्यक्तियों और सांझेदारी फर्मों को उपलब्ध है, उसे उन OPC तक बढ़ा दिया गया है जिनकी एक या एक से अधिक परिसरों में सेवा का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए तक है।

इसके अलावा, सेवा कर के त्रैमासिक भुगतान का लाभ HUF के लिए भी बढ़ा दिया गया है।

नियम, 6 जो सेवा कर के भुगतान और व्यक्ति या एकल फर्म या साझेदारी फर्म के लिए रियायत का प्रावधान करता है, में भी इसके अनुसार संशोधन किया गया है।

[01-04-2016 l: i:Hkkoh]

(iv) ,dy i:fe;e okf"kdh ikfyl h d: ekey: e: l:;kt u nj i:Hkkfjr ,d i:fe;e dk 1-4% gkuk [fu;e] 6 (7A)]

नियम, 6 के उपनियम, (7A) में कर का भुगतान करने के लिए जीवन बीमा, कारोबार करने वाले एक बीमाकर्ता के लिए एक विकल्प का प्रावधान है:

(i) एक पॉलिसी धारक से चार्ज सकल प्रीमियम में से निवेश के लिए आबंटित राशि या पॉलिसी धारक की ओर से बचत घटाकर, यदि ये राशि सेवा प्रदान करते समय पॉलिसी धारक को सूचित की गई हो।

(ii) अन्य सभी मामलों में पॉलिसी धारक से प्रथम वर्ष में लिए जाने वाले प्रीमियम को 3.5% और बाद के वर्षों में पॉलिसी धारक से लिया जाने वाले प्रीमियम का 1.75%।

अपने सेवा कर दायित्व का भुगतान करने के लिए बजाय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66B में निर्दिष्ट दर से।

सेवा कर का भुगतान करने से नियम, 6 के उप–नियम, (7A) में एक नया खंड (ia) जोड़ा गया है ताकि उपरोक्त खंड (i) में कवर के अतिरिक्त एकल प्रीमियम वार्षिकी बीमा नीतियों पर सेवा कर दायित्व को युक्ति संगत बनाया जा सके (अर्थात् ऐसे मामलों में जहाँ पॉलिसी धारक की ओर से निवेश या बचत के लिए आबंटित राशि सेवा प्रदान करते समय पॉलिसी धारक को सूचित की गई है) अब इस तरह के एकल प्रीमियम वार्षिकी पॉलिसी के मामले में प्रभावी वैकल्पिक सेवा कर की दर (संयोजन दर) पॉलिसी धारक से लिया जाने वाला एकल प्रीमियम 1.4% होगा।

(01-04-2016 l: i:Hkkoh)

(v) gokbZ ;k=k ,t Vk] thou chek] fon'kh eqnk vkj ykVjh d: fy, LoPN Hkkjr midj d: fy, l:;kt u nj r; (fu;e] 6 d: u, mi&fu;e] (7D))

नियम, 6 के उपनियम, (7), (7A), (7B) और (7C) चार सेवाओं अर्थात् हवाई यात्रा के लिए हवाई यात्रा एजेंट द्वारा टिकटों की बुकिंग की सेवा, जीवन बीमा सेवा, विदेशी मुद्रा के क्रय–विक्रय जिसमें मुद्रा परिवर्तन और संवर्धन शामिल है, विपणन सहित लॉटरी के आयोजन

© The Institute of Chartered Accountants of India

या आयोजन में सहायता, के मामले में सेवा कर के वैकल्पिक दरों का प्रावधान करते हैं

अधिसूचना संख्या 25/2015 ST दिनांक 12.11.2015 के द्वारा नियम, 6 में एक नया उपनियम, (7D) जोड़ा गया है ताकि उन सेवाओं में स्वच्छ भारत उपकर (SBC) के लिए वैकल्पिक दर निश्चित किया जा सके जो उपनियम, (7), (7A), (7B) और (7C) के अन्तर्गत मामला हो, की गई वैकल्पिक दरों के आधार पर 0.5 से गुणा और उत्पाद को 14 से विभाजित कर सेवा कर दायित्व गणित किया जाता है। उक्त विकल्प एक बार प्रयोग में लाने के बाद ऐसी सभी सेवाओं पर एक समान रुप से लागू होगी और किसी भी हालात में वित्तीय वर्ष के दौरान बदला नहीं जा सकता।

(vi) okf"kd fjVu% nkf[ky dju% d: fy, 'k# fd, x, i:ko/kku (fu;e] 7)

नियम, 7 रिटर्न दाखिल करने प्रावधानों को वर्णित करता है। नियम, 7 में निम्नलिखित संशोधन किए गए है।

(a) नियम, 7 में एक नए उपनियम को जोड़ा गया है ताकि ये प्रावधान किया जा सके कि उपनियम, (1) में कोई बात होते हुए भी प्रत्येक करदाता उसे वित वर्ष की अपनी वार्षिक रिटर्न जिस वर्ष से वह संबंधित है को अगले वित वर्ष के 30 नबम्बर तक जमा करवाएगा। फॉर्म और रिटर्न दाखिल करके का तरिका CBEC द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(b) नियम, 7 के उपनियम, (4) जो CBEC को विशेष प्रकृति की परिस्थितियों में ST-3 रिटर्न को फाइल करने की अन्तिम तारीख को बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है, को संशोधित किया गया है तांकि यह प्रावधान किया जा सके कि CBEC ऐसी वार्षिक रिटर्न को फाइल करने के अंतिम तिथि विशेष प्रकृति की परिस्थितियों में भी बढ़ा सके।

(C) नियम, 7 में एक नया उपनियम, (3B) शामिल किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार इस तरह की स्थितियों या सीमाओं के अधीन एक निर्धारित या निर्धारित वर्ग को ऐसी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट दे सकती है।

[01-04-2016 l: i:Hkkoh]

(vii) vfUre frfFk rd nkf[ky okf"kd fjVu% dk nkf[ky dju% dh rkjh[k l: ,d eghu% d: vUnj l:'kkf/kr fd;k tk ldrk g% **[fu;e 7B(2)]**

नियम, 7B ST – 3 रिटर्न में संशोधन करने के लिए प्रावधानों को वर्णित करता है। नियम, 7B में एक नया उप–नियम (2) इसलिए जोड़ा गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एक करदाता जिसने नियत तिथि तक नियम, 7 के उप–नियम, (3A) के अर्न्तगत वार्षिक रिटर्न दाखिल की है वह ऐसी कथित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि से एक महीने के अन्दर–अन्दर संशोधित रिटर्न जमा कर सकता है।

[01-04-2016 l: i:Hkkoh]

(viii) वार्षिक रिटर्न देरी से दाखिल करने पर चूक की अवधि में 100 रु. प्रतिदिन विलम्ब शुल्क के आधार पर अधिकतम् 20 हजार रुपए की सीमा [नियम, 7C (2)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

नियम, 7C ST 3 रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि निर्धारित करता है। नियम, 7 में एक नया उपनियम, (2) जोड़ा गया है जो यह प्रावधान करता है कि जहां एक करदाता द्वारा नियम, 7 के उपनियम, (3A) के अन्तर्गत वार्षिक रिटर्न नियत तिथि के बाद दाखिल की है, करदाता को ऐसी रिटर्न दाखिल करने में देरी की अवधि के लिए प्रतिदिन 100 रु. की दर से 20,000 रु. तक की अधिकतम राशि केन्द्र सरकार के क्रेडिट में भुगतान करनी होगी।

[01-04-2016 ls izHkkoh]

2. 01-04-2016 ls (fufn"V lsokvksa dk NksM+dj) ljdkj }kjk ;ksxkf;d lqfo/kkvksa dk miyC/k djkbZ xbZ lsokvksa ds lac/k esa lsok dj izkIrdrkZ }kjk nsa; lsok dj

सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा करयोग्य क्षेत्र में स्थित किसी व्यावसायिक इकाई को उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध करवाने की सहमति द्वारा प्रदान कतिपय समर्थन सेवाओं के संबंध में ऐसी सेवा का प्राप्तकर्ता ही सेवा कर देने के लिए दायी था।

हालांकि वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66(D)(a)(iv) में किए गए संशोधन के फलस्वरुप, एक व्यावसायिक इकाई को सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी सेवाओं को नकारात्मक सूची से हटा दिया गया था। इसलिए नियम, 2(1)(d)(i)(E) में संशोधन यह प्रावधान बनाने के लिए किया गया कि करयोग्य क्षेत्र में स्थित किसी व्यावसायिक इकाई को सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा (कतिपय निर्दिष्ट सेवाओं को छोडकर) प्रदान या प्रदान करने की स्वीकृति के मामले के सभी करयोग्य सेवाओं (केवल समर्थन सेवाएं नहीं) के मामले में ऐसी सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा कर देय होगा।

हालांकि नकारात्मक सूची में संशोधन वित्त अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन के साथ प्रभावी नहीं हुए और इसके प्रभावी बनने की तिथि बाद में अधिसूचित की जानी थी। अतः नियम, 2(1)(d)(i)(E) के संशोधन को प्रभावी नहीं बनाया गया।

अब, क्योंकि नकारात्मक सूची में संशोधन 01/04/2016 से प्रभावी हो गया है इसलिए नियमों में संशोधन भी अधिसूचना संख्या 17/2016 ST दिनांक 01/03/2016 के तहत 01/04/2016 से प्रभावी हो गया है।

इसी तरह रिवर्स चार्ज अधिसूचना संख्या 30/2012 ST दिनांक 20/06/2012 में संशोधन अधिसूचना संख्या 16/2016 ST दिनांक 01/03/2016 के तहत 01/04/2016 से प्रभावी हो गया है। आगे, कथित अधिसूचना में अधिसूचना संख्या 18/2016 ST दिनांक 01/03/2016 के तहत परिणामी संशोधन भी किया गया है।

[01@04@2016 ls izHkkoh gk x;k gA]

3- अधिसूचना संख्या 24/2015 दिनांक 12.11.2015 यह प्रावधान करती है कि रिवर्स चार्ज अधिसूचना के प्रावधान (अर्थात् अधिसूचना संख्या 30/2012 ST दिनांक 20.06.2012) SBC यथोचित परिवर्तनों सहित के उद्देश्य के लिए लागू होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

v/;k; 7% lsuo VSfMV

1. सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 (CCR) में अधिसूचना संख्या 13/2016 CE (NT) दिनांक 01.03.2016 के तहत जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

(i) iwathxr oLrqvksa dh ifjHkk"kk dk nk;jk c<k (fu;e] 2(a))

पूँजीगत सम्पत्तियों की परिभाषा के कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया गया है ताकि इसकी परिधि में निम्न वस्तुओं को शामिल किया जा सके :

(a) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप–शीर्षक 860692 के अन्तर्गत आने वाले वैगन

(b) फैक्ट्ररी में स्थित कारखाने में प्रयोग होने वाले उपकरण या औजार–यह ध्यान रखने योग्य है कि सेनवैट क्रेडिट केवल उन उपकरणों या औजारों पर स्वीकृत होगा जो फैक्ट्ररी में स्थित ऑफिस में प्रयोग हो रहे है न की फैक्ट्ररी के बाहर।

(c) पूँजीगत सामान जिसका प्रयोग फैक्ट्ररी में कैप्टिव प्रयोग के लिए फैक्ट्ररी के बाहर अन्तिम उत्पाद के उत्पादन के लिए पानी की पंपिंग के लिए।

(01-04-2016 ls izHkkoh)

(ii) buiqV dh ifjHkk"kk dk nk;jk dk c<k;k x;k [fu;e] 2(K)]

आदानों (Inputs) की परिभाषा के दायरे को बढ़ाया गया है ताकि इसकी परीधि में निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल किया जा सके:

(a) कैप्टिव प्रयोग के लिए पानी की पंपिंग के लिए प्रयुक्त सभी वस्तुएँ

(b) lHkh iwathxr oLrq,a ftudk eY; 10 gtkj #i;s ifr en gS – इस प्रकार ऐसी पूंजीगत वस्तुओं पर सारा क्रेडिट उसी वर्ष में लिया जा सकता है जिसमें उन्हें प्राप्त किया गया है मद (C) में परिणामी संशोधन किया गया है ताकि इनपुट में से उन पूंजीगत वस्तुओं को बाहर किया जा सके जिनका मूल्य ₹ 10,000 से अधिक है।

(01-04-2016 ls izHkkoh)

(iii) dehZku dh vk/kkj ij mRikn 'kYd ;kX; oLrqvksa dh fcØh dk ek/;e ls lsok foØ; lso/kku gS vkSj bl rjg ,d ik= buiqV lsok gS [fu;e] 2(l)]

परिपत्र संख्या 943/04/2011 CX दिनांक 29.04.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि क्रेडिट कमीशन के आधार पर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की बिक्री की सेवाओं पर स्वीकार्य है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी कमीशनर बनाम अंबिका ओवरसीज 2012 (25) STR 348 (P& H) के मामले में फैसला दिया कि विक्रय कमीशन पर क्रेडिट स्वीकार्य होगा। हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय ने कमीशनर बनाम मै. कैडिला हैल्थकेयर लि. 2013 (4) STR (3) (Guj) में यह फैसला दिया कि कमीशन एजेंट का सीधा संबंध विक्रय से है न कि विक्रय संवर्धन से और इसलिए कमीशन एजेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएँ नियम में 2 (l) वर्णित इनपुट सेवा की परिभाषा के मुख्य या समावेशी भाग के दायरे में नहीं आती।

विवाद को समाप्त करने के लिए अधिसूचना संख्या 2/2016CE (NT) दिनांक 03.02.2016 के तहत नियम, 2 (l) के अन्तर्गत इनपुट सेवा की परिभाषा में स्पष्टीकरण को जोड़ा गया है कि

© The Institute of Chartered Accountants of India

ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विक्रय संवर्धन सेवाओं में कमीशन के आधार पर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की बिक्री के माध्यम से सेवा शामिल है।

[03-02-2016 l iHkkoh]

(iv) tgkt rkMu dh bdkb;k ij d doy 85 ifr'kr luoV ØfMV dk ykHk yu d ifrcU/k dk lekIr fd;k x;k [fu;e] 3(1)(vii)]

नियम, 3(i) के खंड (vii) के प्रावधान जहाज, जाब और अन्य तैरने वाले डांचों को तोड़ने पर सीमा शुल्क की प्रविष्टि 89080000CVD के भुगतान पर [जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3(i) के अंतगर्त लगाया जाता है] सेनवैट क्रेडिट को 85 प्रतिशत सीमित करती है।

कथित प्रावधान को अधिसूचना संख्या 1/2016 CE (NT) दिनांक 01.02.2016 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 01.03.2015 से हटा दिया है। इस प्रकार जहाज तोडने की इकाईयों को, 01. 03.2015 से प्रभावी, CVD के भुगतान पर 100 प्रतिशत क्रेडिट पाने का हक होगा।

[01-03-2015 l iHkkoh]

संशोधन के औचित्य को परिपत्र संख्या 1014/2/2016 CX दिनांक 01.02.2016 द्वारा विस्तार से बताया गया है इस प्रावधान के विलोपन के कारणों को समझने के लिए, इसको शामिल किए जाने के औचित्य को पहले समझना आवश्यक है।

नियम, 3(1)(vii) में परन्तुक को अधिसूचना संख्या 3/2011 CE (NT) दिनांक 01.03.2011 द्वारा शामिल किया गया। जहाजों को तोड़कर धारा के XV उत्पाद (बेस मैटल और बेस मैटल का सामान) प्राप्त होते हैं जिन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के प्रथम अनुसूची की धारा XV में दी गई धारा नोट 9 के अनुसार उत्पादित माना गया है। दूसरी ओर, बहुत सी इस्तेमाल उपयोगी सामग्री जैसे पंप, वातानुकूलित यंत्र, फर्नीचर, रसोई के उपकरण, लकड़ी के पैनल इत्यादि भी उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हें आमतौर पर जहाज तोड़ने वाली इकाइयों के द्वारा पुरानी वस्तुओं के रुप में बेचा जाता है और इन पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं दिया जाता क्योंकि के निर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं हुए हैं। साथ ही जहाज तोड़ने वाली इकाइयों को जहाज पर दिए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क के पूरे क्रेडिट का लाभ स्वीकृत किया गया जब इसे तोड़ने के लिए आयातित किया गया था। इस विंसगति कारण सेनवैट क्रेडिट का अधिक उपयोग उत्पन्न हो रहा था। तदनुसार, नियम, 3 में संशोधन किया गया, यह वर्णित करने के लिए कि सेनवैट क्रेडिट तोड़ने के लिए आयातित जहाजों, नावों आदि पर अतिरिक्त सीमा शुल्क के भुगतान के 85 प्रतिशत से अधिक स्वीकृत नहीं होगा।

2015 के बजट में नियम, 6 में और संशोधन किया गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में उत्पादित उप–उत्पाद के रुप में गैर–उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर क्रेडिट को रिवर्स किया जाना आवश्यक होगा। इस संशोधन ने गैर–उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं और छूट प्राप्त वस्तुओं को बराबरी पर ला दिया है और उन पर अब कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार गैर–उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के संबंध में, जो जहाज के तोड़ने के दौरान उभर कर सामने आई, क्रेडिट को पलटने के बारे में एक संहार्ज पैदा हुआ अर्थात् क्या नियम, 6 के

© The Institute of Chartered Accountants of India

अन्तर्गत या नियम, 3(i)(vii) के प्रावधानों के अर्न्तगत क्रेडिट को पलटने/प्रतिबन्धित करने की जरुरत है। इस संघर्ष को हल करने के लिए नियम, 3(i)(vii) के प्रावधानों के अन्तर्गत सेनवैट क्रेडिट को 85 प्रतिशत करने के प्रावधान को हटा दिया गया।

नतीजन 01/03/2015 से प्रभावी जहाज तोड़ने की इकाईयों को CVD के 100 प्रतिशत क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने का हक होगा लेकिन साथ ही 01/03/2015 से प्रभावी नियम, 6 के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता होगी। यह लाभकारी संशोधन जिससे नियम, 3(i)(vii) को 01.03.2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से हटाया गया है अर्थात् उस तिथि से जो गैर–उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए सेनवैट क्रेडिट के पलटने के लिए नियम, 6 में प्रदान की गई है।

(v) LoPN Hkkjr midj fdlh vU; M;wVh dh lqoV ØsfMV dk mi;ksx }kjk Hkqxrku ugh fd;k tk ldrk

अधिसूचना संख्या 2/2016 CE (NT) दिनांक 03.02.2016 के तहत नियम, 3(4) में एक नया प्रावधान यह वर्णित करने के लिए शामिल किया गया है कि किसी ड्यूटी के सेनवैट क्रेडिट जो, नियम, 3 (i) में निर्दिष्ट है, का प्रयोग स्वच्छ भारत उपकर के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा।

(03-02-2016 ls izHkkfor)

(vi) dsoy NCCD dh lqoV ØsfMV dk mi;ksx lHkh eky ij n; NCCD ds Hkqxrku ds fy, [fu;e] 3(iv)]

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक ड्यूटी (NCCD) वर्तमान में वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अन्तर्गत पान–मसाला, तम्बाकू उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम, मोबाइल फोन और मोटर वाहनों पर लगाया जाता है। नियम, [3(iv)] यह स्वीकृति देता है कि केवल NCCD क्रेडिट का प्रयोग टैरिफ मदें 8517 12 10 और 8517 12 90 पर देय NCCD के भुगतान के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य वस्तुएं जैसे पान–मसाला, तम्बाकू उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम, मोबाइल फोन और मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले NCCD के भुगतान के लिए नियम, 3(i) के अंतर्गत अन्य स्वीकृत शुल्कों के क्रेडिट के उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

हालांकि 01.03.2016 से प्रभावी नियम, 3(iv) में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि NCCD को छोड़ कर उपनियम, (i) में निर्दिष्ट किसी ड्यूटी के सेनवैट क्रेडिट को वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अंतर्गत किसी उत्पाद पर लगाए जाने वाले NCCD के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।

(01-03-2016 ls izHkkoh)

(vii) vkHk"k.k fuekZrk (lkn pkanh vkHk"k.kksa ds fuekZrk dk NksMdj) ftldh iwoorhZ o"kZ esa vkorZ 12 djksM #i, rd Fkh] ftlds iathxr oLrqvksa ij mudk Ø; ds o"kZ esa 100 izfr'kr lqoV ØsfMV dk ykHk yus dk ik= gksxkA [fu;e] 4**(2)(a)]**

नियम, 4(2)(a) में दिए गए स्पष्टीकरण को कथित नियम के तीसरे परन्तुक के साथ पढ़ते

© The Institute of Chartered Accountants of India

हुए, एक करदाता जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी का सकल मूल्य 4 करोड़ रु. से अधिक नहीं था। (SSI अधिसूचना के अनुसार गणित) वह वितीय वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं पर जिसमें उन्हें प्राप्त किया गया, 100 प्रतिशत सेनवैट क्रेडिट ले सकता है।

01.03.2016 से प्रभावी उत्पादन शुल्क आभूषण उत्पादों पर भी लगा दिया गया है। (हीरे, रुबी, नीलम या पन्ना जड़ित के अतिरिक्त चांदी के आभूषणों को छोडकर) इसके लिए एक वर्ष में उच्चतर प्रारंभिक छूट 6 करोड़ रु. और पात्रता सीमा 12 करोड़ रु. है। परिणाम–स्वरुप नियम, 4(2)(a) के स्पष्टीकरण में संशोधन किया गया ताकि इस तरह के आभूषणों के उत्पादक को पूंजीगत वस्तुओं पर खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेने की स्वीकृत दी जाएगी यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी का सकल मूल्य 12 करोड़ रु. से अधिक नहीं था।

(01-03-2016 l: iHkkoh)

(viii) dUnzh; mRikn 'kYd d: v/;k; 82 d: midj.k] oLrqvk d: mRiknu d: fy, ,d vU; fuekZrk ;k tkc oØj d: fy, Hkqrku ij lqoV ØfMV dh Loh—r (fu;e] 4(5)(b)] bll: iwo fu;e] 4(5)(b) d: }kjk lkpj] fQd'kpj] ftXl vkj Mkb] rd lqoV ØfMV dk c<k;k x;k g] tk vfUre mRikn d: fuekZrk }kjk Hkqrku xb: gA

(a) वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक अन्य निर्माता को या

(b) उसकी ओर से उसके अपने निर्देशों के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक जॉब वक्रर को

[नियम, 4(5)(b)] में अब संशोधन किया गया है तांकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अध्याय 82 के उपकरणों पर जिग्स, फिकश्चरस, गोल्ड और डाई पर क्रेडिट के अतिरिक्त अन्तिम उत्पाद के निर्माता को सेनवैट क्रेडिट स्वीकृत किया जा सके जब उन्हें एक अन्य निर्माता या एक जॉब वक्रर को अपने निर्देशानुसार वस्तुओं के उत्पादन के लिए भेजा जाए।

एक निर्माता को ऐसी वस्तुओं पर क्रेडिट लेने की भी अनुमति दी गई है जब उन्हें अन्य निर्माता को ऐसी वस्तुओं पर केडिट लेने की भी अनुमति दी गई है जब उन्हें अन्य निर्माता या जॉब वक्रर के पास अपने परिसर में लाए बिना सीधे भेजा गया हो।

(1-04-2016 l: iHkkoh)

(ix) ,d tkc oØj dk dkj[kkus l: ckgj bui;V@vkf'kd #i l: i:Ldr bui;V Hkqrku d: fy, vuqefr vkj mu ij 'kYd Hkqxrku dk lek'kk/ku rhu foRrh; o"kZ d: fy, o/k gkuk [fu;e] 4(6)]

इससे पहले [नियम, 4(6)] के अन्तर्गत एक जॉब वक्रर को अपनी फैक्टरी से बाहर इनपुट या आंशिक प्रसंस्कृत इनपुट भेजने के लिए और उन पर शुल्क के भुगतान के समाशोधन के लिए एक सहायक कमीशनर अथवा उपायुक्त द्वारा अन्तिम वस्तुओं के उत्पाद को दी गई स्वीकृति एक वित्तीय वर्ष के लिए वैध थी। नियम, 4 के उपनियम, (6) के यह प्रावधान करने के लिए

© The Institute of Chartered Accountants of India

संशोधन किया गया कि कथित अनुमति तीन वित्तीय वर्षों के लिए वैध होगी।
(1-04-2016 l s iHkkoh)

(x) ,d ikdfrd lalk/ku d vfHkgLrkdu iHkkj ij lok dj d Hkxrku dk ftru le; d fy, vf/kdkj lkSi x, mru le; e luoV ØfMV iHkkfjr dju dh vuefr [fu;e] 4(7)]

1. इनपुट सेवा पर क्रेडिट का लाभ उठाने की एक वर्ष की समय सीमा प्राकृतिक संसाधनों की उपयोग के अधिकार सौंपने के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं के मामले में लागू नहीं होगी। नियम, 4(7) में यह प्रावधान करने के लिए सं ोधन किया गया कि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्राकृतिक साधन के प्रयोग के अधिकार को सौंपने के माध्यम से पद्धति सेवाओं के मामले में सेनवैट क्रेडिट [नियम, 9(1)] में निर्दिष्ट प्रलेखों के आधार पर ऐसे प्रलेखों की जारी किए जाने की तिथि के एक वर्ष बाद भी लिया जा सकता है।
vf/klpuk l[;k 24@2016 CE (NT) fnukd 13-04-2016
(13-04-2016 l s iHkkoh)

2. vf/klpuk l[;k 24@2016 CE (NT) fnukd 13-04-2016 d }kjk fu;e] 4(7) e nk ikso/kkuk dk Mkyk x;k g tk fuEufyf[kr g&

a) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग का अधिकार सौंपने की सेवा के लिए एक बार पूर्ण अदायगी या किस्तों में भुगतान पर एक वित्तीय वर्ष में सेवा कर भुगतान के लिए सेनवैट क्रेडिट समान रुप से तीन वर्ष की अवधि मे फैलाया जाएगा।

b) जहां माल का उत्पादक या उत्पादन सेवा प्रदाता जैसा भी मामला हो, ऐसे अधिकार को जो उसे सरकार या किसी अन्य व्यक्ति ने सौंपा, किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिफल के बदले सौंपता है, शेष सेनवैट क्रेडिट की ऐसी राशि जो ऐसी आगे सौंपने के प्रतिफल पर देय सेवा कर से अधिक नहीं है उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत होगी।

(13-04-2016 l s iHkkoh)

(xi) fu;e] 6 dk ljy vkj ;fDr lxr cuk;k (fu;e] 6)

नियम, 6 में उपनियम, (1), (2), (3), (3A), (3B) और (4) का पुनः आलेखन करके और नए उपनियम, (3AA) और (3AB) जोड़कर उप–नियम, (7) में संशोधन करके महत्वपूर्ण संशोधन किए गए है इनमें से प्रत्येक संशोधन पर नीचे चर्चा की गई है।

ifrLFkkfir mifu;e](1)

1. foeDr oLrqvk@foeDr lokvk d ikso/kku d fy, mRiknu e i;Dr buiqV@buiqV lokvk ij dkbZ luoV ØfMV Lohdr ughZ निम्न पर सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) इनपुट की ऐसी मात्रा जो विमुक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए या विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए या संबंध में प्रयुक्त होती है।

या

(ii) विमुक्त वस्तुओं के उत्पादन और उनके हटाए जाने के स्थान तक निकासी या विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त या उनके संबंध में इनपुट सेवा जो क्रेडिट स्वीकृत नहीं है।

उसकी गणना और भुगतान उपनियम, (2) या उप–नियम, (3) जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा।

viokn&vkHk"k.k tkc oØj% एक जॉब वक्रर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 (आभूषण जॉब वक्रर) के नियम, 12AA में सदंर्भित है को इनपुट पर सेनवैट क्रेडिट से इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि कथित इनपुट ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं जिन्हें उस नियम, के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना शुल्क भुगतान किए मंजूरी दे दी गई है। (उपनियम, (1) के प्रावधान)

क्योंकि नियम, 12 AA के अनुसार शुल्क भुगतान करने का दायित्व प्रधान निर्माता पर है, जॉब वक्रर के द्वारा शुल्क का भुगतान किए उनकी मंजूरी दी गई है हालांकि इस तरह के सामान के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर सेनवैट क्रेडिट उपरोक्त नियम, 6(i) के प्रावधानों के अनुसार इन्कार नहीं है।

2- foeDr oLrq,a@vfUre mRiknksa esa xSj&mRikn 'kYd ;ksX; oLrqvksa dk 'kkfey gksuk% इस नियम के उद्देश्य से नियम 2 के वाक्यांश (d) और (h) में परिभाषित विमुक्त वस्तुओं और अन्तिम उत्पादों में फैक्टरी से किसी प्रतिफल के लिए मंजूर गैर–उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ शामिल है। (स्पष्टीकरण 1)

इस नियम के परियोजन से गैर–उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य बीजक मूल्य होगा यदि ऐसा बीजक मूल्य उपलब्ध नहीं है तो मूल्य का निर्धारण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 में दिए गए मूल्यांकन के सिद्वान्तों और उसके अन्तर्गत बने नियमों के साथ संगत करते हुए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करके, किया जाना चाहिए। (स्पष्टीकरण 2)

यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण केवल नियम 6 के लिए लागू है कथित स्पष्टीकरण के आधार पर गैर–उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाएँ नियम 6 के उलटाव प्रावधानों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन में सामान्य इनपुट और इनपुट सेवाओं को प्रयोग में लाता है तो गैर–उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार पलट दिया जाना होगा।

3. foeDr lsok esa ,slh xfrfof/k 'kkfey gS tks lsok ugha gS%

इस नियम के प्रायोजन से विमुक्त सेवा जो नियम 2 के वाक्यांश (e) में परिभाषित है में ऐसी गतिविधि शामिल है जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65B(44) में परिभाषित

© The Institute of Chartered Accountants of India

'सेवा' नहीं है। बशर्ते ऐसी सेवा में इनपुट या इनपुट सेवाओं [4]का प्रयोग हुआ हो। (स्पष्टीकरण 3)

ऐसी गतिविधि का मूल्य जो ऊपर स्पष्टीकरण 3 में निर्दिष्ट है बीजक/समझौता/अनुबंध मूल्य होगा। यदि ऐसा मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो मूल्य जो ऊपर स्पष्टीकरण 3 में निर्दिष्ट है बीजक/समझौता/अनुबंध मूल्य होगा। यदि ऐसा मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो मूल्य का निर्धारण, वित्त अधिनियम, 1994 में दिए गए मूल्यांकन के सिद्धांतों और उसके अंतर्गत बने नियमों के साथ संगत करते हुए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करके, किया जाना चाहिए। (स्पष्टीकरण 4)

यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण केवल नियम 6 के लागू हैं। स्पष्टीकरण 3 के आधार पर किसी गतिविधि के प्रावधान में प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाएँ जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65B(44) के अंतर्गत सेवा नहीं है, जैसे बिना प्रतिफल के सेवा प्रदान करना। नियम 6 में अन्तर्गत उल्टाव प्रावधानों को भी आकर्षित करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक सेवा प्रदाता सामान्य इनपुट या इनपुट सेवाओं का प्रयोग करयोग्य सेवा और एक गतिविधि जो सेवा नहीं है के लिए करता है तो इनपुट और इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट जो किसी गतिविधि के प्रावधान में प्रयुक्त होते है जो सेवा नहीं है, उसका नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार पलटाव करना होगा।

यह यहां ध्यान देने योग्य है कि अन्य बातों के साथ क्योंकि विमुक्त सेवा का अर्थ है ऐसी सेवाएं जिन पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66B के अन्तर्गत कोई सेवा कर देय नहीं है, इनपुट और इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट जो गैर–करयोग्य सेवाओं के प्रावधान में प्रयुक्त होता है, को नियम 6 के अन्तर्गत उलट करना आवश्यक है।

(01-04-2016 l% izHkkoh)

ifrLFkkfir mfu;e (2)

buiqV@buiqV lsokvksa ij lkoZ ØsfMV ftl foeDr oLrqvksa foeDr lsokvksa dk iko/kku dj fy, fo'ks"k #i l% i;qDr fd;k x;k dk iyVuk%

एक उत्पादक जो विशेष रुप से हटाए जाने के स्थान तक उनकी निकासी के लिए विमुक्त वस्तुओं का उत्पादन करता है या एक सेवा प्रदाता जो विशेष रुप से विमुक्त सेवाएं प्रदान करता है को इनपुट या इनपुट सेवाओं की क्रेडिट की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करना पड़ता है। (अर्थात् उल्ट) इस प्रकार वास्तव में ऐसा उत्पादक या सेवा प्रदाता किसी इनपुट या इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होंगे।

(01-04-2016 l% izHkkoh)

ifrLFkkfir mfu;e (3)

foeDr oLrqvksa dk eYy; ij 6 ifr'kr ;k foeDr lsokvksa ;k fjoly vuqkfrd

4 अधिसूचना संख्या 24/2016 CE (NT) दिनांक 13.04.2016 से डाला गया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

ØfMV d% 7 ifr'kr Hkqxrku dk fodYi%

(a) एक उत्पादक जो निम्न दो वर्गों की वस्तुओं का उत्पादन करता है अर्थात्

(i) गैर–मुक्त वस्तुओं को हटाना

(ii) विमुक्त वस्तुओं को हटा दिया

या

एक उत्पादन सेवा प्रदाता जो दो वर्गों की सेवाएं प्रदान करता है अर्थात्

(i) गैर–मुक्त सेवाएं

(ii) विमुक्त सेवाएं

उसे उसके लिए लागू निम्न विकल्पों में से किसी एक का अनुसरण करना पड़ता है।

(i) विमुक्त वस्तुओं के मूल्य के 6 प्रतिशत के बराबर और विमुक्त सेवाओं के मूल्य के 7 प्रतिशत के बराबर रा ि का भुगतान जो अवधि के प्रारम्भ में उपलब्ध इनपुट और इनपुट सेवाओं के क्रेडिट जिस अवधि से ये भुगतान संबंधित है और उस अवधि में लिए गए इनपुट और इनपुट सेवाओं के क्रेडिट के प्रारम्भिक शेष के कुल योग के अधिकतम तक सीमित हो।

[अधिसूचना संख्या 13/2016 CE (NT) दिनांक 01.03.2016 को अधिसूचना संख्या 23/2016 CE (NT) दिनांक 01.04.2016 के साथ पढ़ा जाए।

(ii) उपनियम (3A) के अधीन निर्धारित राशि का भुगतान

2. NVV nh xbZ oLrqvksa ij 'kwU; dk Hkqxrku 6 ifr'kr dh jkf'k esa lsa ?kVk;k tkuk%

यदि किसी उत्पाद शुल्क का भुगतान विमुक्त वस्तुओं पर किया गया है तो उसे वाक्यांश (1) के अन्तर्गत देय राशि में से घटाया जाएगा। उदाहरण के लिए जिन वस्तुओं की निकासी अधिसूचना संख्या 1/2011 CE दिनांक 01.03.2011 के अन्तर्गत हुई है, CCR के नियम 2 की शर्तों में विमुक्त वस्तएँ है। और ऐसी वस्तुओं पर 2 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता है इसलिए ऐसा 2 प्रतिशत शुल्क 6 प्रतिशत राशि में से घटा दिया जाएगा। (mifu;e 3 dk igyk ijUrqd)

3. nwj jkf'k dj;kX; lsok d% foeDr eYy; dk 7 ifr'kr gksxh] ØfMV dk ykHk u fy, tkus dh 'krZ ij vkf'kd NVV d% ekeys e%

यदि करयोग्य सेवा के मूल्य के किसी भाग पर इस शर्त पर छूट दी गई है कि ऐसी करयोग्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए कोई सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया गया तो वाक्यांश (1) में निर्दिष्ट राशि ऐसे विमुक्त मूल्य का 7 प्रतिशत होगी उदाहरण के लिए रेडियो, टैक्सी सेवाओं पर 60 प्रतिशत न्यूनीकरण उपलब्ध है यदि इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजी वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट, जो उपरोक्त सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया गया, नहीं लिया जाता। इसलिए विमुक्त सेवा के मूल्य पर 7 प्रतिशत

© The Institute of Chartered Accountants of India

राशि देय होगी अर्थात् कथित सेवा के लिए भारित सकल राशि का 60 प्रतिशत अन्य शब्दों में जो राशि देने के आवश्यकता है वह रेडियो टैक्सी सर्विस के पूरे मूल्य का 4.2 प्रतिशत होगी। (7% of 60)

(उपनियम 3 का दूसरा परन्तुक)

4. jy }kjk eky@;kf=;k d ifjogu d ekey e foeDr eY; dk 2 ifr'kr n; jkf'k dk gkuk&

रेल द्वारा सामान या यात्रियों के परिवहन के मामले में वाक्यांश (1) के तहत जिस राशि का भुगतान किया जाना है वह विमुक्त सेवा के मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर होगी।

(उपनियम (3) का तीसरे परन्तुक)

5. i;Dr fodYi lHkh foeDr oLrqvk ;k foeDr lsokvk ij vkj ijs o"k d fy, ykxw gkuk%

यदि वस्तुओं का निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता इस उपनियम के अन्तर्गत किसी विकल्प का प्रयोग करता है तो उसे ऐसा विकल्प उसके द्वारा उत्पादित सभी विमुक्त वस्तुओं या जैस भी मामला हो, उसके द्वारा प्रदत्त सभी विमुक्त सेवाओं पर लागू करना होगा और ऐसे विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग में वापिस नहीं लिया जा सकता। स्पष्टीकरण – 1

6- fdlh Hkh eky ;k lsok ij fn, x, dj ;k 'kYd ij dksbZ lsuoV ØfMV ugh fy;k tk ldrk tks buiqV ;k buiqV lsok,a ugh gA Li"Vhdj.k & 2

7- Li"Vhdj.k 3 d vuqlkj bl mfu;e vkj mfu;e **(3A)**d mn~n';s d fy,&

(a) xSj&foeDr eky dk gVk;k tkus dk vFk gS fd अन्तिम उत्पाद, विमुक्त वस्तुओं का छोड़कर हटाए जाने के स्थान तक उत्पादन और निकासी की गई।

(b) foeDr eky gVk, tkus dk vFk gS fd विमुक्त वस्तुओं को हटाए जाने के स्थान तक उनका उत्पादन और निकासी की गई

(c) xSj&foeDr lsokvk dk vFk gS विमुक्त सेवाओं को छोड़कर उत्पादन सेवाएँ

01-04-2016 ls izHkkoh

ifrLFkkfir mfu;e (3 A)

तत्कालीन नियम 6 के उपनियम (3A) के अन्तर्गत निर्धारित फार्मूले में प्रयुक्त (जिस P या G के रुप में चिहिन्त किया गया) ''इनपुट सेवाओं पर लिए गए कुल सेनवैट क्रेडिट अभिव्यक्ति के संबंध में एक विवाद उत्पन्न हुआ। विभाग का मत था कि क्योंकि नियम में शब्द इनपुट सेवाओं पर लिया गया कुल सेनवैट क्रेडिट'' है इसलिए सारा सेनवैट क्रेडिट इनपुट के उत्पादन सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट सहित जिसे शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन या करयोग्य उत्पादन सेवाओं के प्रावधान में विशेष रुप से प्रयुक्त किया जाता है) जो निर्धारिती के द्वारा लिया गया उसे उलटाव के उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ निर्धारितियों की ये दलील थी कि सेनवैट क्रेडिट में सामान्य इनपुट सेवाओं को शामिल किया जाएगा जिसके लिए पृथक् खाते नहीं बनाए जा सकते। विभाग के रुख के कारण विमुक्त सेवाओं या विमुक्त

© The Institute of Chartered Accountants of India

वस्तुओं में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं में अबंटनीय क्रेडिट की अपेक्षा सेनवैट क्रेडिट का कहीं अधिक उत्क्रमण (पलटाव) हुआ।

3- foeDr lsok e ,slh xfrfof/k 'kkfey gS tks lsok ugh gS%

इस नियम के प्रायोजन से विमुक्त सेवा जो नियम 2 के वाक्यांश (e) में परिभाषित है में ऐसी गतिविधि शामिल है जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65B(44) में परिभाषित 'सेवा' नहीं है। (बशर्ते ऐसी सेवा में इनपुट या इनपुट सेवाओं का प्रयोग हुआ हो)। (Li"Vhdj.k & 3) ऐसी गतिविधि का मूल्य जो ऊपर स्पष्टीकरण 3 में निर्दिष्ट है बीजक/समझौता/अनुबंध मूल्य होगा। यदि ऐसा मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो मूल्य जो ऊपर स्पष्टीकरण 3 में निर्दिष्ट है बीजक/समझौता/अनुंबध मूल्य होगा। यदि ऐसा मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो मूल्य का निर्धारण, वित्त अधिनियम, 1994 में दिए गए मूल्यांकन के सिद्धांतों और उसके अंतर्गत बने नियमों के साथ संगत करते हुए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करके, किया जाना चाहिए। (Li"Vhdj.k&4)

यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण केवल नियम 6 के लागू हैं। स्पष्टीकरण 3 के आधार पर किसी गतिविधि के प्रावधान में प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाएँ जो वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65B(44) के अंतर्गत सेवा नहीं है, (जैसे बिना प्रतिफल के सेवा प्रदान करना) नियम 6 में अन्तर्गत उल्टाव प्रावधानों को भी आकर्षित करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक सेवा प्रदाता सामान्य इनपुट या इनपुट सेवाओं का प्रयोग करयोग्य सेवा और एक गतिविधि जो सेवा नहीं है के लिए करता है तो इनपुट और इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट जो किसी गतिविधि के प्रावधान में प्रयुक्त होते है जो सेवा नहीं है, उसका नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार उलटाव करना होगा।

इस मुद्दे पर CESTAT के विभिन्न पीठों के अलग–अलग मत थे। CESTAT की चेन्नई पीठ ने सिफी टैक्नोलॉजी के मामले कं 2014 –TIOL-60-CESTAT-MAD में एक अन्तरिम स्थगन आदेश देते समय एक प्रथम दृष्टया निर्धारिती समर्थक विचार लिया और माल की वसूली के विरुद्ध रोक लगा दी। ट्रिब्यूनल ने फैसला लिया कि वर्णित फार्मूला सामान्य इनपुट सेवाओं पर उपलब्ध केवल सेनवैट क्रेडिट पर लागू करना आवश्यक है। हलांकि CESTAT की मुम्बई पीठ ने Thyssenkrupp Inustries (I) Pvt. Ltd. v CCE, पुणे 2014 (310) ELT 317 (Tri-Mumbai) के मामले में स्थगन आदेश जारी करते हुए यह प्रथम दृष्ट्या मत लिया कि नियम 6(3A) में उत्क्रम के लिए वर्णित फार्मूला निर्धारित द्वारा वर्ष के दौरान ली गई सभी इनपुट क्रेडिट पर सेनवैट क्रेडिट लागू किया जाना आवश्यक है न कि सेनवैट क्रेडिट लागू किया जाना सामान्य इनपुट सेवाओं पर उसके द्वारा उठाए गए लाभ पर।

एक नया फार्मूला अब संशोधित उपनियम (3A) के तहत उपरोक्त विंसगति को दूर करने के लिए वर्णित किया गया है। उपरोक्त फार्मूला नियम 6 के समग्र उद्देश्य के साथ मेल खाता है जो विमुक्त वस्तुओं के उत्पादन या विमुक्त सेवाओं को प्रदान करने में विशेष रुप से प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के क्रेडिट को नामंजूर करता है। और शुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन या करयोग्य सेवाओं को प्रदान करने में विशेष रुप से प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के लिए गए क्रेडिट को पलटने की कल्पना नहीं करता। इस प्रकार नया फार्मूला शुल्क योग्य और विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त सामान्य इनपुट और इनपुट

© The Institute of Chartered Accountants of India

सेवाओं के संबंध में केवल क्रेडिट के पलटने की आवश्यकता जताता है।

नए उपनियम (3A) के प्रावधानों की चर्चा नीचे की जा रही है।

vuqikfrd ØfMV iyVus dh fy, izfof/k;k ,oa 'krsZ%

उपनियम (3) के वाक्यांश के तहत भुगतान के लिए आवश्यक राशि के निर्धारण के लिए वस्तुओं के निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता को निम्न प्रक्रिया और शर्तों का पालन करेंगे

(a) वस्तुओं का निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को लिखित रुप में निम्न विवरणों के साथ सूचित करेगाः

(i) वस्तुओं के निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता का नाम, पता और पंजीकरण संख्या।

(ii) वह तिथि जिससे इस वाक्यांश के तहत विकल्प का प्रयोग किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है।

(iii) हटाई गई विमुक्त वस्तुओं के उत्पादन या विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के संबंध में या विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए संबंध में या विशेष रुप से प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं का विवरण और हटाई गई ऐसी विमुक्त वस्तुओं और ऐसी विमुक्त सेवाओं का विवरण।

(iv) हटाई गई गैर विमुक्त वस्तुओं के उत्पादन और गैर–विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के संबंध में या विशेष रुप से प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं का विवरण और हटाई गई गैर विमुक्त वस्तुओं और ऐसी गैर विमुक्त सेवाओं का विवरण

(v) इस शर्त के तहत विकल्प प्रयोग करने की तिथि पर इनपुट और इनपुट सेवाओं के सेनवैट केडिट का बकाया शेष।

vuqikfrdiyVko fd, tkus dh jkf'k dk fu/kkj.k dk Qkeyk%

(b) निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता माह के दौरान इनपुट और इनपुट सेवाओं के कुल क्रेडिट में से, जिसे Tद्वारा चिन्हित किया गया, दिए जाने वाले क्रेडिट का निर्धारण निम्न अनुक्रमिक चरणों में करेगा और प्रत्येक माह उसका अंतिम भुगतान करेगा जिसकी राशि का निर्धारण उपनियम (i) और (iv) के तहत होगा –

(i) हटाई गई विमुक्त वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में या विमुक्त सेवाओं के प्रावधान लिए या विशेष रुप से प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के कारण सेनवैट क्रेडिट की राशि कहा जाएगा और इसे A के रुप में चिन्हित किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

(ii) हटाई गई गैर–विमुक्त वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में या गैर–विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए या विशेष रुप से प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के कारण सेनवैट क्रेडिट की राशि को पात्र केडिट कहा जाएगा और इसे के रुप में चिन्हित किया जाएगा और इसका भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iii) उपखंड (i) और (ii) के तहत क्रेडिट रोपण के बाद शेष क्रेडिट को सामान्य क्रेडिट कहा जाएगा जिसे C के रुप में चिन्हित किया जाएगा और जिसकी निम्न अनुसार

© The Institute of Chartered Accountants of India

गणना की जाएगी।

C=T-(A+B)

Li"Vhdj.k– जहॉ संपूर्ण क्रेडिट उपवाक्यांश (i) और (ii) के अर्थात् अयोग्य क्रेडिट और पात्र केडिट के तहत रोपित किया गया है वहां आगे रोपण के लिए कोई आम क्रेडिट छोड़ा नहीं जाएगा।

(iv) हटाई गई विमुक्त वस्तुओं या विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए रोपित आम क्रेडिट की राशि को अयोग्य सामान्य क्रेडिट कहा जाएगा जिसे D के रुप में चिन्हित किया जाएगा और उसकी गणना और भुगतान निम्न प्रकार से होगाः

D=(E/F)xC

tgk¡ E fuEu dk dqy ;ksx g%

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान

(a) प्रदत्त विमुक्त सेवाओं का मूल्य और

(b) हटाई गई विमुक्त वस्तुओं का मूल्य

tgk¡ F fuEu dk dqYk ;ksx g¡

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान

(a) गैर–विमुक्त प्रदत्त सेवाओं का मूल्य

(b) विमुक्त प्रदत्त सेवाओं का मूल्य

(c) हटाई गई गैर–विमुक्त वस्तुओं का मूल्य

(d) हटाई गई विमुक्त वस्तुओं का मूल्य

हालांकि जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई अन्तिम उत्पाद का उत्पादन नहीं हुआ या कोई उत्पादन सेवा प्रदान नहीं की गई, वहां अयोग्य सामान्य क्रेडिट को रोपित सेनवैट क्रेडिट सामान्य क्रेडिट का 50 प्रतिशत समझा जाएगा।

(v) आम क्रेडिट का शेष पात्र सामान्य क्रेडिट कहा जाएगा जिसे के G रुप में चिन्हित किया जाएगा जहां G=C-D

Li"Vhdj.k–शंकाओं को पूरा करने के लिए या घोषित किया जाता है कि कुल क्रेडिट T में से जो A, B,D और G का कुल योग है, निर्माता या उत्पादन सेवा का प्रदाता अंतिम रोपण के लिए योग्य होगा B और G और क्रेडिट को पात्र क्रेडिट और पात्र सामान्य क्रेडिट को बनाए रख सकेगा और A और D के क्रेडिट की राशि का अनंतिम भुगतान करेगा जो क्रम ाः अयोग्य क्रेडिट और अयोग्य सामान्य क्रेडिट हैं।

(vi) जहां निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता वाक्यांश (i) या उपवाक्यांश (ii) के तहत निर्धारित राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, वह भुगतान की नियत तिथि से ऐसी राशि के भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(c) निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान लिए गए कुल क्रेडिट जिसे

© The Institute of Chartered Accountants of India

'T' के रुप में चिन्हित किया गया (वार्षिक) में से हटाई गई विमुक्त वस्तुओं और विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए रोपित सेनवैट क्रेडिट की राशि का निर्धारण निम्न तरीके से करेगा–

(i) वित्तीय वर्ष में प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के आधार पर हटाई गई विमुक्त वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में और विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए या विशेष रुप से इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए रोपित सेनवैट क्रेडिट को वार्षिक अयोग्य क्रेडिट कहा जाएगा और इसे A (वार्षिक) के रुप में चिन्हित किया जाएगा।

(ii) वास्तविक रुप से प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के आधार पर हटाई गई गैर विमुक्त वस्तएँ के उत्पादन के संबंध में या गैर–विमुक्त वस्तएँ के उत्पादन के संबंध में या गैर–विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए या विशेष रुप से प्रयुक्त इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए रोपित सेनवैट क्रेडिट को वार्षिक पात्र क्रेडिट कहा जाएगा और B (वार्षिक) के रुप में चिन्हित किया जाएगा।

(iii) आगे रोपण के लिए शेष सामान्य क्रेडिट को C (वार्षिक) के रुप में चिन्ह्ति किया जाएगा और निम्न रुप में उसकी गणना की जाएगी।

C (वार्षिक)= T (वार्षिक) – [A (वार्षिक) + B (वार्षिक)]

(iv) हटाई गई विमुक्त वस्तुओं या विमुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए रोपित सामान्य क्रेडिट वार्षिक अयोग्य सामान्य क्रेडिट कहलाएगा और इसे D (वार्षिक) द्वारा चिन्हित किया जाएगा और इसकी गणना निम्न प्रकार से होगी।

D(वार्षिक)=(H/I) x C (वार्षिक)

;gk ij **H** fuEu dk dqy ;ksx gA

एक वित्तीय वर्ष के दौरान

(a) विमुक्त प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य और

(b) हटाई गई विमुक्त सेवाओं का मूल्य

;gk **I** fuEu dk dqy ;ksx g

एक वित्तीय वर्ष के दौरान

(a) गैर–विमुक्त प्रदत्त सेवाओं का मूल्य

(b) विमुक्त प्रदत्त सेवाओं का मूल्य

(c) हटाई गई गैर–विमुक्त वस्तुओं का मूल्य

(d) हटाई गई विमुक्त वस्तुओं का मूल्य

(d) निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व वार्षिक अयोग्य सामान्य क्रेडिट और आयोग्य क्रेडिट की कुल राशि एवम् सम्पूर्ण वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य सामान्य क्रेडिट में अंतर के बराबर राशि का भुगतान करेगा अर्थात् [{A (वार्षिक) + D (वार्षिक) – (A+D) पूरे वर्ष के लिए कुल जमा}] जहां दो राशियों में पूर्व राशि बाद की राशि की तुलना में अधिक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(e) जहां वाक्यांश (d) के तहत राशि का भुगतान आगामी वितिय वर्ष में 30 जून तक नहीं किया जाता, वस्तुओं का निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता वाक्यांश (d) के तहत भुगतान क्रेडिट की राशि के अतिरिक्त इस राशि पर अगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(f) निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता वित्तीय वर्ष के अन्त में अयोग्य क्रेडिट की कुल जमा राशि एवम सम्पूर्ण वर्ष के दौरान दिए गए अयोग्य सामान्य क्रेडिट और वार्षिक आयोग्य क्रेडिट की कुल राशि एवम वार्षिक अयोग्य सामान्य क्रेडिट के बीच अंतर के बराबर राशि का क्रेडिट लेगा अर्थात् [{A+D सम्पूर्ण वर्ष के लिए कुल जमा}–{A (वार्षिक)] + D (वार्षिक)}] जहां दो राशियों में पूर्व राशि बाद की राशि की तुलना में अधिक है।

vU; 'kr%

(g) वस्तुओं का निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक को वाक्यांश (d), (e) और (f) के प्रावधानों के अनुसार भुगतान या समायोजन की तिथि के 15 दिनों के भीतर निम्न विवरणों को सूचित करेगा अर्थात् –

(i) पात्र क्रेडिट, अयोग्य क्रेडिट, योग्य सामान्य क्रेडिट और अयोग्य सामान्य क्रेडिट के प्रतिरुपति क्रेडिट का माह–वार पूरे वित्तीय वर्श के लिए वाक्यांश (b) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित विवरण

(ii) वाक्यांश (C) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सेनवैट क्रेडिट का पूरे वित्तीय वर्ष के लिए योग्य क्रेडिट, अयोग्य क्रेडिट, योग्य सामान्य क्रेडिट और अयोग्य सामान्य क्रेडिट में वार्षिक रोपण

(iii) वाक्यांश (d) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित एवम् भुगतान की गई राशि यदि कोई है, राशि के भुगतान की तिथि के साथ

(iv) वाक्यांश (e) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित ब्याज की देय राशि और भुगतान का निर्धारण यदि कोई है

(v) क्रेडिट लेने की तिथि से वाक्यांश (f) के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट का निर्धारण एवम् उसे लेना, यदि कोई है

(01-04-2016 l% izHkkoh)

mifu;e **(3A)** d% mijkDr izko/kkuk dk fuEu j[kkfp= e lkj #i e fnf'kr:k x:k gA

© The Institute of Chartered Accountants of India

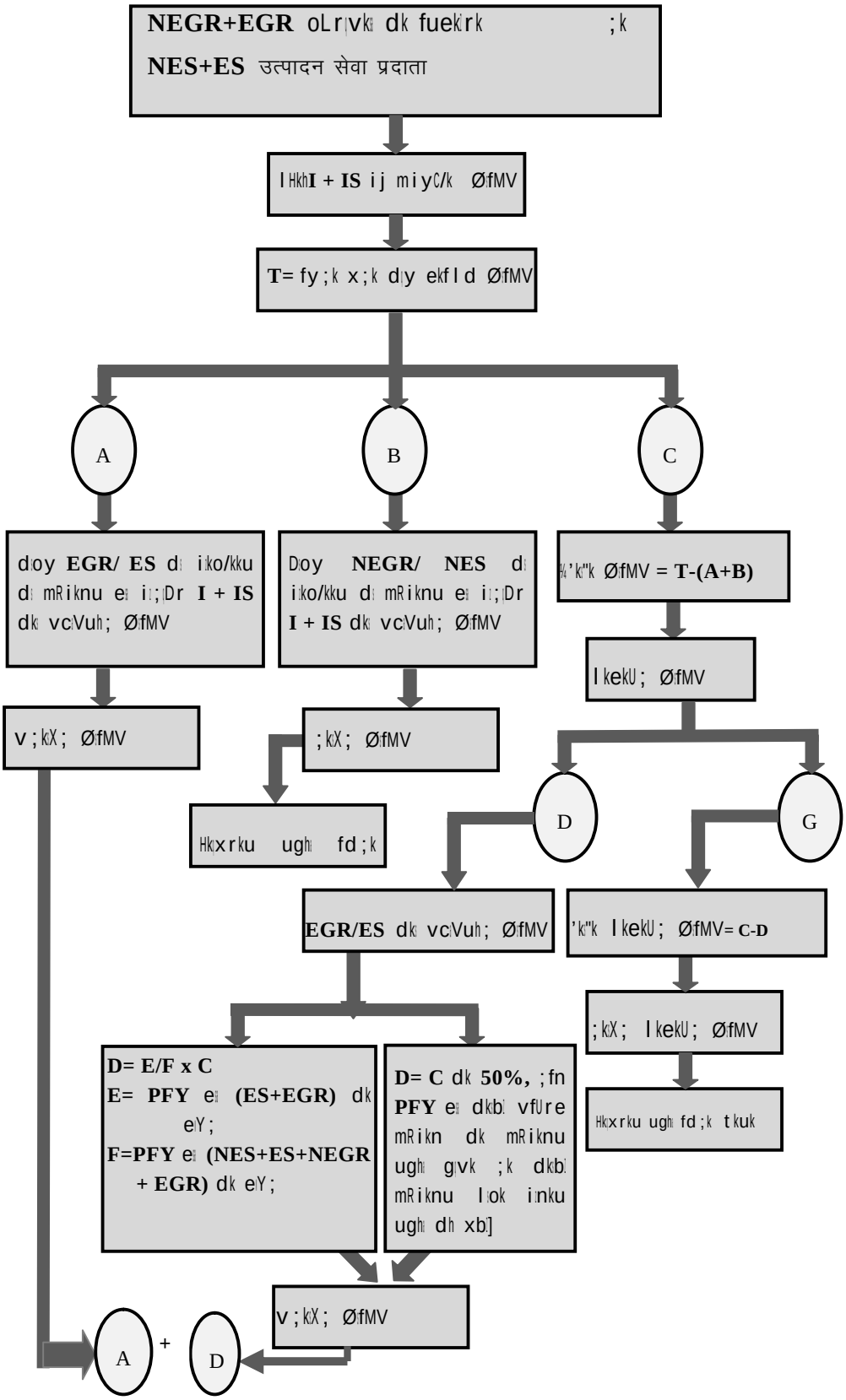

© The Institute of Chartered Accountants of India

वर्ष के अन्त में A+D की वास्तविक राशि की गणना पूरे वर्ष के लिए समान तरीके से उपरोक्त वर्णित रुप में E & F के स्थान पर TB & C और H (ES का मूल्य + वित्तीय वर्ष के दौरान (EGR) & I [NES का मूल्य + ES + NEGR + EGR वित्तीय वर्ष के दौरान] की जाएगी। यदि कोई कमी है तो उसका भुगतान आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून तक किया जाएगा। अन्यथा 30 जून से लेकर भुगतान करने की तिथि तक 15 प्रतिशत ब्याज देय होगा।

यदि किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है तो उसे क्रेडिट के रुप में लिया जा सकता है। यदि किसी अंतिम राशि का भुगतान किया जाना है, भुगतान की नियत तिथि तक नहीं किया जाता तो भुगतान की नियत तिथि से ऐसी राशि के भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

NEGR	हटाई गई गैर विमुक्त वस्तुएँ
EGR	हटाई गई विमुक्त वस्तुएँ
NES	गैर विमुक्त वस्तुएँ
ES	विमुक्त सेवाएँ
I	इनपुट
IS	इनपुट सेवाएँ
PFY	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष
FY	वित्तीय वर्ष
SFY	आगामी वित्तीय वर्ष

u;k mifu;e **(3AA)**

dUnzh; mRikn 'kYd vf/kdkjh mifu;e **(3)(ii)** d vrxZr luoV ØfMV d vuqikfrd mRØe.k dh vuqefr n ldrk g Hkyk gh ml le; lqpuk ugh nh xbZ

एक निर्माता या उत्पादन सेवा प्रदाता जो उपनियम (3A) के अर्न्तगत पूर्व सूचना देने की प्रक्रिया का अनुसरण करने में नाकाम रहा है, उसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा, जो ऐसे मामले पर निर्णय लेने में सक्षम हो, उपनियम (3) (ii) के तहत प्रक्रिया का अनुसरण करने और राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है। यथोचित परिवर्तनों सहित उपनियम (3A) (c) के अनुसार प्रत्येक माह के लिए राशि की गणना और प्रत्येक माह के लिए नियत तिथि से भुगतान की तिथि तक उस राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज की गणना करेगा।

(01-04-2016 ls izHkkoh**)**

© The Institute of Chartered Accountants of India

u;k mifu;e (3AB)

lØe.kdkyhu izko/kku: उपनियम (3AB) के तहत एक संक्रमणकालीन प्रावधान जोडा गया है ताकि यह प्रावधान किय जा सके कि CCR के मौजूदा नियम 6, 30.06.2016 तक उन इकाइयों के लिए क्रियान्वित रहेंगे जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015–16 के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वाहन करना है।

(01.04.2016 से प्रभावी)

izfrLFkkfir mifu;e (3B)

cSd vkj vU; foRrh; lLFkku ;k rks mifu;e dh 'krksa esa luoV ØsfMV iyV ldrs gSa (1), (2), ;k (3)iznku ekg 50 izfr'kr ykHk mBk, x, ØsfMV dk iyV ldrs gSaA

एक बैंकिंग कम्पनी और एक वित्तीय संस्थान जिसमें गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी शामिल है जो उपनियम (1), (2), या (3) में दिए गए विकल्प के अतिरिक्त जमा, ऋण या अग्रिम के विस्तार के लिए सेवाएँ प्रदान करने में लगी है, उन्हें इनपुट और उस महीने में इनपुट और इनपुट सेवाओं पर उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट के 50 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान प्रतिमाह करने का विकल्प होगा।

इसलिए नया उपनियम बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को पहले उपलब्ध 50 प्रतिशत उत्क्रमण के केवल मात्र विकल्प के अतिरिक्त वास्तविक आधार पर विमुक्त सेवाओं के संबंध में क्रेडिट के उत्क्रमण की स्वीकृति देता है।

(01-04-2016 l izHkkoh)

izfrLFkkfir mi&fu;e (4)

foeDr oLrqvksa dk mRiknu@foeDr lsokvksa dk iznku djus esa fo'ks"k #i ls iz;Dr ithxr oLrqvksa ij luoV ØsfMV okf.kfT;d mRiknku@lsokvksa dh izko/kku dh izkjEHk ls 2 lky rd Lohdr ughaA

विमुक्त वस्तुओं के उत्पादन या विमुक्त सेवा प्रदान करने में विशेष रुप से प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट वाणिज्यिक उत्पादन या सेवाओं के प्रावधान जैसा भी मामला हो, के प्रारम्भ से 2 साल तक स्वीकृत नहीं होगा जहां पर पूँजीगत वस्तुएँ वाणिज्यिक उत्पादन या सेवा के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, की तिथि के बाद प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की पूंजीगत वस्तुओं के स्थापन की तिथि से गणना की जाएगी।

Where capital goods are received after the date of commencement of commercial production or provision of services, as the case may be, the period of two years will be computed from the date of installation of such capital goods.

हालांकि, यह प्रावधान अन्तिम उत्पाद के उत्पादन या उत्पादन सेवाओं के प्रावधान में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य या मात्रा या प्रदत्त सेवाओं के आधार पर विमुक्त है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(01-04-2016 l% iHkkoh)

(xii) phuh ekSle 2015&16 esa xUuk fijkbZ l% lfØr 'kjkc l% mRikfnr bFkukWy dh ekStwnk esa fu;e 6 dk vUrxZr ØfMV dh okfil dh vkKk ugha gS (lUnHkZ ØfMV fu;e] 2004 dk fu;e 6(6) esa Mkyk okD; (ix)

नियम 6 का उपनियम (1), (2), (3) तथा (4) का प्रावधान चीनी मौसम 2015–16 अर्थात् 1 अक्तूबर, 2015 से अधिसूचना संख्या 12/2012CE दिनांक 17.03.2012 के अन्तर्गत पैट्रोल का मिश्रण के उद्देश्य के लिए इंडियन ऑयल कम्पनी, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन अथवा भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आपूर्ति के लिए गन्ना पिराई से सृजित शीरा में उत्पादित इथनोल पर लागू नहीं होगा। ऐसा अधिसूचना संख्या 12/2012CE दिनांक 17.03.2012 के तहत उपनियम (6) में वाक्यांश (ix) सम्मिलित करके किया गया है।

इस प्रकार की निकासी के मामलें में, यद्यपि इथनोल को शुल्क के भुगतान के बिना निकासी की है, इथनोल के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट/पूंजीगत वस्तु/इनपुट सेवा का सेनवैट क्रेडिट को प्राप्त किया जा सकता है। आगे, जहां पर एक जैसे इनपुट/इनपुट सेवा का क्रेडिट को प्राप्त किया जा सकता है। आगे, जहां पर एक जैसे इनपुट/इनपुट सेवा को इथनोल तथा अन्य शुल्कयोग्य अंतिम उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया है, इथनोल की निकासी पर राशि का क्रेडिट का रिवर्सल अथवा राशि के भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

(अधिसूचना संख्या 21/2015CE (NT) दिनांक 07.10.2015)

(01-10-2015 l% iHkkoh)

(xiii) buiqV lsok forjd }kjk ØfMV dk forj.k dh rjhdk ifrLFkkiu fu;e 7%

नियम 7 जो एक इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट सेवाओं के क्रेडिट के वितरण से संबंध रखता है को फिर से लिखा गया है तांकि एक इनपुट सेवा वितरक अपने स्वयं के विनिर्माण इकाइयों के अलावा भी एक आउटसोर्स विनर्माण इकाई के लिए इनपुट सेवा क्रेडिट वितरण करने की अनुमति दी जा सके।

नियम 2(m) में इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में भी परिणामी संशोधन किया गया है।

नियम 7 के संशोधित प्रावधानों की व्याख्या नीचे की जा रही है:

इनपुट सेवा वितरक अपनी विनिर्माण इकाइयों या उत्पादन सेवा प्रदाता इकाई या आउटसोर्स विनिर्माण इकाइयों के द्वारा इनपुट सेवा पर सेवा कर भुगतान के संबंध में निम्न शर्तों के साथ सेटवैट क्रेडिट वितरित करेगा।

(a) नियम 9 में निर्दिष्ट एक प्रलेख के विरुद्ध वितरित क्रेडिट उस पर भुगतान सेवा कर की राशि से अधिक नहीं है।

(b) एक विशेष इकाई पर इनपुट सेवा के रुप में देय सेवा कर के क्रेडिट को केवल उसी यूनिट के लिए वितरित किया जाएगा।

(c) एक से अधिक परन्तु सभी इकाइयों पर नहीं के इनपुट सेवा के रुप में देय सेवा कर

© The Institute of Chartered Accountants of India

के क्रेडिट को ऐसी इकाइयों में वितरित किया जाएगा जिन के फलस्वरुप इनपुट सेवा है और इस तरह के वितरण संगत अवधि के दौरान ऐसी इकाइयों के आवर्त के आधार पर, और इस तरह की सभी इकाइयों के कुल आवर्त, जो इस तरह इनपुट सेवा के फलस्वरुप हैं और चालू वित वर्ष में परिचालन कर रहें हैं के आधार पर आनुपातिक होगा।

(d) सभी इकाइयों के इनपुट सेवा के रुप में आरोपित सेवा कर के क्रेडिट को संगत अवधि में आवर्त और संगत अवधि में सभी इकाइयों के कुल आवर्त के अनुपात के आधार पर वितरित किया जाएगा जो चालू वर्ष में परिचालित हैं।

(e) आउटसोर्स विनिर्माण इकाई इनपुट सेवा वितरकों में से प्रत्येक से प्राप्त इनपुट सेवा क्रेडिट के लिए अलग खाता रखेगी और संबद्ध इनपुट सेवा वितरक के लिए उत्पादित वस्तुओं पर केवल शुल्क के भुगतान के लिए ही प्रयोग करेगी।

(f) इनपुट सेवाओं पर दिया गया सेवा कर का क्रेडिट जो इनपुट सेवा वितरत के पास 31.03.2016 तक उपलब्ध है को किसी भी आउटसोर्स विनिर्माण इकाई को हस्तांरित नहीं किया जाएगा और ऐसे क्रेडिट को विनिर्माण इकाई को छोडकर इकाइयों के बीच वितरित किया जाएगा। इस वाक्यांश के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ किसी आउटसोर्स निर्माता पर भी लागू होंगे जो 01.04.2016 को या उसके बाद वस्तुओं का उत्पादन शुरु करता है।

(g) नियम 6 के प्रावधान विनिर्माण वस्तुओं या उत्पादन सेवा प्रदाता की इकाइयों पर लागू होंगे और किसी इनपुट सेवा वितरक पर लागू नहीं होंगे।

इस नियम के प्रायोजन के लिए –

(i) ''यूनिट'' (इकाई) में एक उत्पादन सेवा प्रदाता का परिसर या कारखाने सहित निर्माता का परिसर शामिल है, चाहे पंजीकृत है या अन्यथा या एक आउटसोर्स विनर्माण इकाई का परिसर है। (स्पष्टीकरण – 1)

(ii) कुल आवर्त उसी तरीके से निर्धारित की जाएगी जैसा नियम 5 में वर्णित है। एक आउटसोर्स विनिर्माण इकाई के आवर्त में ऐसी आउटसोर्स उत्पादन द्वारा इनपुट सेवा वितरक के लिए उत्पादित वस्तुओं का आवर्त होगा। (स्पष्टीकरण–2)

(iii)''प्रासंगिक अवधि का अर्थ है –

(a) यदि निर्धारिती का पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान आवर्त है जिसमें क्रेडिट का वितरण मासिक या त्रैमासिक, जैसा भी मामला हो, होना है उसके लिए कथित वितीय वर्ष;

(b) यदि निर्धारिती का कुछ या सभी इकाइयों के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में आवर्त नहीं है अन्तिम तिमाही जिसके लिए सभी इकाइयों का आवर्त उपलब्ध है, महीने या तिमाही से पहले जिसमें क्रेडिट का वितरण किया जाना है। (स्पष्टीकरण–3)

(iv) ''आउटसोर्स विनिर्माण इकाई'' का अर्थ है–

© The Institute of Chartered Accountants of India

एक जॉब वक्रर जो एक इनपुट सेवा वितरक के लिए वस्तुओं के उत्पादन या एक निर्माता जो किसी अनुबंध के तहत इनपुट सेवा वितरक के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) नियम, 2000 के नियम 10A के अर्न्तगत निर्धारित मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस तरह के इनपुट सेवा वितरक के ब्राण्ड नाम को धारण करता है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4A के तहत निर्धारित मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी है। (स्पष्टीकरण–4)

(01-04-2016 l: iHkkoh)

(xiv) db fofuekZ.k bdkb;ksa d: fuekZrkvksa dk buiV d: fy, lkekU; xkneke cuk, j[kus vkj iR;sd mRiknu bdkb;ksa dk ØfMV d: lkFk buiV forj.k dju: e: l{ke **[**u;k fu;e 7**B]**

''निर्माता के गोदाम से इनपुट पर क्रेडिट के वितरण'' से संबंधित प्रावधानों को वर्णित करने के लिए एक नया नियम, 7B डाला गया है।

नए नियम के अनुसार एक निर्माता जिसके एक या अधिक कारखाने है उसे उक्त निर्माता के गोदाम द्वारा जारी बीजक के कवर के तहत इनपुट पर क्रेडिट लेने की अनुमति होगी जो ऐसे इनपुट के क्रय पर नियम 9 के तहत निर्दिष्ट प्रलेखों के कवर के तहत इनपुट प्राप्त करता है। प्रथम चरण डीलर या द्वितीय चरण डीलर को लागू प्रक्रिया यथोचित परिवर्तन के साथ ऐसे निर्माता के गोदाम के संबंध में लागू होंगे। (अधिसूचना संख्या 13/2016 CE (NT) दिनांक 01.03.2016 को अधिसूचना संख्या 23/2016 दिनांक 01.04.2016 के साथ पढ़ा जाए।

01-04-2016 l: iHkkoh

(xv) ,d lsok inkrk }kjk buiV@ipxr oLrqvksa dh fudklh d: fy, tkjh cht d fu;e 9 d: vUrxZr ,d ik= iy[k gkuk **(fu;e 9(1) (a) (i)]**

01.04.2016 से पूर्व, केवल एक निर्माता के द्वारा इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं की निकासी के लिए जारी बीजक को ही नियम [नियम 9(1)(a)(i)] के तहत सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेने के लिए एकपात्र प्रलेख माना जाता था। अब नियम (नियम 9(1)(a)(i)] में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एक सेवा प्रदाता द्वारा इनपुट/पूंजीगत वस्तुओं की निकासी के लिए जारी बीजक भी सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेने के लिए वैध प्रलेख माना जाएगा।

01-04-2016 l: iHkkoh

(xvi) lhek 'kYd d: eY;kdd d: }kjk tkjh i:ek.ki=] vf/kd`r dkfj;j d: ek/;e l: vk;kfrr eky d: fy,] fu;e 9 d: rgr ,d o/k nLrkost gkuk **(fu;e 9(1) (d).**

31.12.2015 से पूर्व, सीमा शुल्क के एक मूल्यांकक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र नियम 9(1) (d) के अन्तर्गत एक विदेशी डाकघर के माध्यम से आयातित माल के संबंध में क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए वैध दस्तावेज था।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अधिसूचना संख्या 27/2015 CE (NT) दिनांक 31.12.2015 के तहत नियम 9 के उपनियम (1) के उपखंड (d) में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि सीमा शुल्क के मूल्यांकक के द्वारा एक अधिकृत कोरियर को, जो सीमा शुल्क के प्रधान कमिशनर या सीमा शुल्क के प्रधान कमिशनर या सीमा शुल्क हवाई अड्डे के प्रभारी, सीमा शुल्क कमिशनर के पास पंजीकृत है, जारी प्रमाणपत्र सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेने के लिए वैध प्रलेख माना जाएगा।

(31-12-2015 ls izHkkoh**)**

2. lokvksa dh fu;kr dh ekeys esa fu;e 5 dh rgr luoV ØfMV dh fy, fjQaM vkonu ,d o"kZ dh Hkhrj nkf[ky djuk gksxkA ;fn **(a)** Hkqxrku dh izkfIr dh frfFk ls ;fn lsok dk izko/kku ,sls Hkqxrku dh izkfIr ls iwoZ iwjk gks pqdk gSA **(b)** cht d tkjh djus dh frfFk ls ;fn ukfVl tkjh djus dh frfFk ls igys vfxze Hkqxrku izkIr gks pqdk FkkA vf/klwpuk l[;k **27/2012 CE (NT)** fnukad 18-06-2012**]**

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 5 अधिसूचना संख्या 27/2012 CE (NT) दिनांक 18.06. 2012 के तहत वर्णित प्रक्रियाओं, सुरक्षा उपायों, शर्तों और सीमाओं के मद्देनजर सेनवैट क्रेडिट की वापिसी की अनुमति देता है।

उपरोक्त अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 14/2016 CE (NT) दिनांक 01.03.2016 के तहत यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किया कि रिफंड के लिए आवदेन Form A में उसमें निर्दिष्ट प्रलेखों और संलग्नों के साथ, जो उस तिमाही से सम्बंधित हे जिसके लिए रिफंड का दावा किया जा रहा है, निम्न प्रकार दाखिल किया जाएगाः

(i) निर्माता के मामले में – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11B में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले

(ii) सेवा प्रदाता के मामले में – निम्न की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पहलेः

(a) परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति, जहां सेवा का प्रावधान ऐसे भुगतान से पूर्व पूरा कर लिया गया; या

(b) बीजक जारी करना, जहाँ सेवा के लिए भुगतान बीजक जारी करने की तिथि से पहले अग्रिम रुप में प्राप्त कर लिया गया।

(01-03-2016 ls izHkkoh)

3. tu'kfDr dh vkifr@lqj{kk lsok,a inku djus okyh lsok inkrkvksa dh fy, fu;e 5**B** dh rgr luoV ØfMV dk dkbZ okfiI ugha & vf/klwpuk l[;k 12**/2014 CE (NT)** fnukd 03-03-2014

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 5B यह प्रावधान करता है कि जो सेवा प्रदाता अधिसूचित रिवर्स चार्ज सेवाएं प्रदान करते हैं और उत्पादन सेवाओं पर सेवा कर भुगतान के लिए इनपुट और इनपुट सेवाओं पर उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट का लाभ लेने में असमर्थ है, को ऐसे अनुपयुक्त सैनवेट क्रेडिट की वापिसी की स्वीकृति होगी। इस संबंध में, पहले

© The Institute of Chartered Accountants of India

निम्नलिखित आंशिक रिवर्स चार्ज सेवाओं को अधिसूचना संख्या 12/2014 CE (NT) दिनांक 03.03.2014 द्वारा अधिसूचित किया गयाः

(i) किसी भी व्यक्ति को, जो एक समान कारोबार में लगा हुआ नहीं है, गैर–न्यूनीकृत (non-abaited) मूल्य यात्रियों को ले जाने के लिए बनाए गए एक मोटर वाहन को किराए पर दिया।

(ii) किसी भी उद्देश्य या सुरक्षा सेवाओं के लिए मानव शक्ति की आपूर्ति

(iii) कार्य अनुबंध के निष्पादन में सेवा भाग

क्योंकि 01.04.2015 से प्रभावी, किसी भी उद्देश्य या सुरक्षा सेवाओं के लिए मानव शक्ति की आपूर्ति के संबंध में सेवा कर पूर्ण रिवर्स चार्ज पर देय है, उक्त सेवाओं के सेवा प्रदाता सेनवैट क्रेडिट की वापिसी के लिए पात्र नही होंगे। आगे, रिफंड का दावा करने के लिए Form A में आवेदन को भी उपयुक्त संशोधित किया गया है।

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना संख्या 15/2015 CE (NT) दिनांक 19.05.2015 के तहत किया गया है।

(01-04-2015 ls izHkkoh)

4- ifji=k dh fudkyh@[kksbZ **(Bagasse)**] vY;qfefu;e@tLrk dhV **(Zinic Dross)** dh mRikn 'kYd ;kX;rk ij funsZ'k

परिपत्र संख्या 904/24/09 CX दिनांक 28.10.2009 से यह स्पष्ट किया गया कि उत्पादन के दौरान उत्पन्न हुई और बेचे जाने में सक्षम खोई, अल्यूमिनियम/जस्ता कीट और अन्य अपशिष्ट उत्पादों के संबंध में शुल्क की दर के मामले में टैरिफ में शून्य है या वे किसी विमुक्ति अधिसूचना की शर्तों में शुल्क योग्य और विमुक्त वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया गया, सेनवैट क्रेडिट लिया गया है तो सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 के अनुसार निर्धारित को आनुपातिक क्रेडिट रिवर्स करना होगा या 6 प्रतिशत राशि देनी होगी। उक्त परिपत्र हाल ही में कुछ कानूनी निर्णयों के प्रकाश में वापिस ले लिया गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि सेनवैट क्रेडिट नियम (CCR) 2004 के नियम 6 में 01.03.2015 से इस नियम में उपनियम (1) में स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 शामिल करके संशोधन किया गया था। ये स्पष्टीकरण वर्तमान नियम 6 में भी जारी है। परिणामस्वरुप खोई, कीट और अलौहे उत्पाद की स्किमिंग या ऐसी वस्तु या अपशिष्ट जो गैर–उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं हैं और जिनकी कारखाने से किसी प्रतिफल के लिए निकासी की गई है, उन्हें सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 के अनुसार इनपुट और इनपुट सेवाओं के क्रेडिट के उत्क्रमण के उद्देश्य से विमुक्त वस्तुओं की भांति व्यवहार किया जाना चाहिए।

ifji= ls[;k 1027@15@2016 **CX** fnukad 25-04-2016

छात्र ध्यान से कि नवम्बर 2016 के लिए 30.4.2016 तक जारी अधिसूचना/परिपत्र प्रांसगिक है। उपरोक्त अधिसूचनाएँ/परिपत्र 01/05/2015 और 30/04/2016 के बीच जारी किए गए हैं जो नबम्बर 2016 की परीक्षा के लिए प्रासंगिक है। छात्र इन अधिसूचनाओं और परिपत्रों को ध्यान से पढ़ें क्योंकि नबम्वर 2016 की परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय इन्हें

© The Institute of Chartered Accountants of India

लागू करना आवश्यक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

Hkkx&II iz'u vkSj mRrj

iz'u

fuokluh; fLFkfr vkSj dj vk; dk {ks=

1.(a) मि. अलोक एक भारतीय नागरिक है और सिंगापुर जाने वाले भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य है जो अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में यात्रियों को ले जाने में लगा है और 6 जून 2015 को मुम्बई बन्दरगाह से प्रस्थान कर रहा है। निम्नलिखित विवरण से गत वर्ष 2015–16 के लिए मि. अलोक की आवासीय स्थिति कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए यह मानते हुए निर्धारित करें कि उसका पूर्व के चार गत वर्षों में भारत (2015–16 गत वर्ष से पूर्ववर्ती) में चार सौ दिन रहा और पिछले सात गत वर्षों (2015–16 गत वर्ष से पूर्ववर्ती) में 750 दिन रहा।

fooj.k	frfFk
श्री आलोक द्वारा जहाज में शामिल होने के संबंध में सत्त निर्वाहण प्रमाणपत्र में दर्ज तिथि	06 जून 2015
श्री आलोक द्वारा जहाज को विदा देने के संबंध में सत्त निर्वाहण प्रमाणपत्र में दर्ज तिथि	09 दिसम्बर 2015

(b) श्री श्रवण, एक भारतीय नागरिक और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ने एक काम के लिए आस्ट्रेलिया में अपने स्थानान्तरण के कारण 11.02.2015 को पहली बार भारत छोड़ा। उसके गत वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी समय भारत की यात्रा नहीं की। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उसकी आय के निम्नलिखित विवरणों से कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए उसकी सकल कुल आय की गणना कीजिए।

क्रम सं.	विवरण	रु.
(i)	वेतन	6,10,1000
(ii)	विदेशी भत्ता सरकार द्वारा आस्ट्रेलिया में सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान किया	4,55,000
(iii)	भारत में बैंक से स्थायी जमा पर ब्याज	1,10,000
(iv)	मलेशिया में कृषि से आय	3,50,000
(v)	मलेशिया में गृह संपत्ति से आय	2,25,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

vk; tks dqy vk; dk Hkkx ugha curh

2- आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निम्न की करयोग्यता या अन्यथा के बारे में चर्चा करें

(i) सुश्री डॉली, एक अनिवासी ने कॉचीपुरम, तमिलनाडू से दो लाख रु. की कृषि आय अर्जित की।

(ii) श्री राजेश, एक निवासी व्यक्ति के द्वारा प्रासंगिक नियमों के आधार पर पब्लिक प्रोविडेन्ट फंड से 5,00,000 रु. की राशि निकाली गई।

(iii) श्री अभि ने 1.04.2012 को जारी जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि के रुप में 31. 03.2016 को रु. 1,30,000 प्राप्त किए। वार्षिक प्रीमियम और बीमित पूंजी राशि 23,000 रु. और 1,20,000 क्रमशः है।

(iv) श्री दिनेश ने सीमित देयता साझेदारी की आय में से 5,60,000 रु. साझेदार हिस्से के रुप में प्राप्त किए।

(v) श्री रोशन ने केन्द्र सरकार से आपदा के कारण मुआवजे के रुप में 350,000 रु. प्राप्त किए।

oru ls vk;

3. निम्नलिखित अनुलाभों की करयोग्यता या अन्यथा के बारे में बताइए और श्री सार्थक के हाथों में जो असम टी लिमिटेड में मुख्य अनुपालन अधिकारी के रुप में कार्यरत है, गत वर्ष 2015–16 के लिए करयोग्य अनुलाभों के कुल मूल्य की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि उनका मूलभूत वेतन 60,000 रु. प्रति माह है।

(i) श्री सार्थक ने अपने घरेलू नौकर को 6,000 रु. प्रति माह दिया जिसकी प्रतिपूर्ति पूर्ण रुप से उसके नियोक्ता द्वारा की जाती है।

(ii) तीन वर्ष पूर्व 50,000 रु. की लागत से खरीदा गया एयर कंडीशनर श्री सार्थक के नौकर को बिना कीमत के दे दिया गया।

(iii) कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में उसके परिवार को दी गई चिकित्सा सुविधा का अनुमानित मूल्य रु. 85,000 है।

(iv) कम्पनी के स्वामित्व में और बनाए रखे गए स्कूल में उसके दो बच्चों अवनि और आरब को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। अवनि के लिए इस तरह की शिक्षा की लागत रु. 950 प्रतिमाह और आरब के लिए रु. 1250 प्रतिमाह गणना की गई। इस तरह शिक्षा की सुविधा के लिए श्री सार्थक से कम्पनी ने कोई राशि बरामद नहीं की।

(v) श्री सार्थक के निवास पर टेलीफोन उपलब्ध करवाया गया और उसके कुल मिला कर रु 27000 का बिल का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया।

xg lEifr ls vk;

1- श्रीमती ललिता, निवासी व्यक्ति, San Diego, USA में एक घर और लखनऊ में दो मंजिला घर की मालकिन है। गत वर्ष 2015–16 के लिए निम्नलिखित विवरण से गृह संपत्ति से उसकी आय की गणना करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) San Diego esa ?kj

–किराया $ 3500 प्रतिमाह की दर से

–नगरपालिका कर का भुगतान $ 2100

–एक $ की कीमत रु. 65 ली जानी है।

(ii) y[kuÅ esa ?kj

–ग्राउंड फलोर उसके अपने निवास के लिए प्रयोग किया जाता है।

–पहली मंजिल रु. 13,500 मासिक किराए पर दी हुई है।

–प्रत्येक मंजिल का मानक किराया रु. 15,000 प्रति माह है।

–प्रत्येक मंजिल का उचित किराया रु. 12,500 प्रति माह है।

–नगरपालिका करों का भुगतान किया रु. 8000

–रु 40,000 के ब्याज सहित रु. 85,000 के आवास ऋण का पुनर्भुगतान किया।

0;kikj vFkok i'k lqykHk rFkk vtZu

2- (a) श्री वरुण स्पेयर पार्टस के निर्माण के व्यापार में संलग्न है। निम्न विवरणों से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए स्वीकृत ह्रास की गणना कीजिए।

(#i, yk[k esa)

(i) खंड का प्रारम्भिक अपलिखित मूल्य (WDV)	
(15 प्रतिशत कर दर)	49
(ii) 18.11.2015 नई मशीनरी खरीदी	18
(iii) 21.05.2015 कैलिफोर्निया से मशीनरी आयात की इस मशीन को पहले कैलिफोर्निया में ही इस्तेमाल किया गया था और निर्धारिती भारत में प्रथम उपयोगकर्ता है।	12
(iv) 15.07.2015 को विनिर्माण इकाई में नया कम्प्यूटर स्थापित किया गया।	06

(b) पुरनीत एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए निम्नलिखित व्ययों की कटौती या अन्यथा के बारे में 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी व्यवस्था की आय की गणना करते समय चर्चा करें।

(i) अपने व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर रु. 5,65,000 का आयगत व्यय

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सितम्बर 2015 में भूमि और भवन (भूमि की लागत रु. 9,50,000) का अधिग्रहण रु. 22,00,000 में किया ।

(iii) धारा 80CCD में वर्णित पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारियों के खाते में रु. 45,00,000 का अंशदान किया। इसमें कर्मचारियों के वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक राशि रु. 6,80,000 है।

(iv) कर्मचारियों को प्रदान गैर मौद्रिक अनुलाभ पर रु. 5,50,000 का कर नियोक्ता ने

© The Institute of Chartered Accountants of India

वहन किया।

ipthxr ykHk

3- श्री सुतानु Purple Enterprises का मालिक है जिसकी दो इकाइयाँ X और Y है। 31.03.2015 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार है।

दायित्व	यूनिट X (रु.)	यूनिट Y (रु.)	सम्पत्तियां	यूनिट X (रु.)	यूनिट Y (रु.)
स्वामी पूंजी	25,72,500	10,27,500	भवन	22,00,000	11,00,000
पुनर्मूल्यांकन कोष	5,00,000		मशीनरी	5,00,000	6,00,000
बैंक ऋण	4,40,000		देनदार	3,25,000	2,40,000
व्यापारिक लेनदन	1,37,500	8,60,000	अन्य सम्पत्तियां	6,25,000	3,60,000
		4,12,500			
कुल	36]50]000	23]000]00		36]50]000	23]00]000

उसने मंदी के कारण 01.04.2015 को यूनिट X रु. 50,00,000 के कुल प्रतिफल के बदले में बेच दिया। यूनिट X वर्ष 2005–06 में शुरु किया गया था उसके हस्तांतरण पर रु. 68,000 व्यय किए गए।

(i) यूनिट X के भवन के मूल्य को ऊपर की ओर संशोधित करके पुनर्मूल्यांकन कोष बनाया गया।

(ii) हस्तांरण विलेख में किसी भी संपत्ति के व्यक्तिगत मूल्य को विचारा नहीं गया।

(iii) यूनिट X की अन्य संपत्तियों में पेटैंट शामिल है जिन्हें 13.05.2013 को रु. 2,50,000 में खरीदा गया। जिन पर कोई मूल्य ह्रास नहीं लगाया गया।

लगत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII):

F.Y. 2005-06 : 497, F.Y. 2015-16: 1081

करनिर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए पूंजी लाभ की गणना करें।

vU; Lkkrk l vk;

4- श्रीमती रुपाली ने 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित निम्न जानकारी प्रस्तुत की है:

(i) उसने अपने एक मित्र से एक सूचीबद्व कम्पनी के 100 समता अंश रु. 80,000 में खरीदे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्रय की तारीख पर स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य रु. 1,55,000 था।

(ii) अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर उसने अपनी मित्र सुश्री अंजलि से 1,01,000 का नकद उपहार प्राप्त किया।

(iii) उपरोक्त अवसर पर उसे सिंगापुर में रहने वाले अपने भाई से रु. 2,50,000 मूल्य की एक प्लेटिनम की अंगूठी भी प्राप्त हुई।

(iv) उसे अपनी पुत्री के विवाह, दिनांक 11.11.2015 को, के अवसर पर उसके चार मित्रों से कुल रु. 25000 के नकद उपहार मिले।

(v) उसे अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर उसके मामा से रु. 49000 चैक के द्वारा उपहार के रुप में प्राप्त हुए।

श्रीमती रुपाली के हाथों में कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए ''अन्य स्रोतों से आए'' शीषक्र के तहत करयोग्य राशि का निर्धारण कीजिए।

vU; 0;fDr;ksa d vk; dk fu/kkfjrh dh dyk vk; e 'kkfey djuk

5- श्री संग्राम, श्रीमती संगीता (पत्नी) और उनके दो नाबालिग बेटों मास्टर आयु और अभि से संबंधित गत वर्ष 2015–16 में हुए लेन–देन का विवरण नीचे दिया गया है।

(a) मास्टर आयु ने एक व्यापार में रु. 3,25,000 के निवेश द्वारा रु. 51,000 अर्जित किए। उक्त राशि अर्थात् रु. 3,25,000 उसे अपने पिता श्री संग्राम से उपहार के रुप में प्राप्त हुई थी।

(b) श्री संग्राम की केनरा बैंक में रु. 2,00,000 की सावधि जमा थी। उसने अपने बैंक को निर्देश दिया कि 01.04.2015 से 31.03.2016 तक उसकी जमा पर 9 प्रतिशत की दर से बयाज उसके भाई के पुत्र मिस्टर बबलू के बचत बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाए ताकि उसकी पढ़ाई में उसे मदद मिल सके।

(c) मास्टर अभि ने अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग करके रु. 35,000 की आय प्राप्त की।

(d) श्री संग्राम ने 1 अप्रैल 2015 को श्रीमती संगीता को एक फलैट उपहार के रुप में दिया गत वर्ष 2015–16 के दौरान श्रीमती संगीता की गृह सम्पत्ति से आय रु. 5,12,000 (computed) थी।

(e) श्री संग्राम का एक सांझेदारी फर्म में 75 प्रतिशत हिस्सा है। श्रीमती संगीता ने उस फर्म से वेबपेज डिजाइन करने के लिए रु. 32,500 पारिश्रमिक के रुप में प्राप्त किये। श्रीमती संगीता के पास कोई तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता नहीं है।

वर्ष के दौरान श्री संग्राम को रु. 50,000 की मासिक पेंशन प्राप्त हुई उसकी कोई अन्य आय नहीं थी।

श्रीमती संगीता को एक पार्टटाइम जॉब से रु. 12,000 प्रति माह प्राप्त हुए।

प्रत्येक व्यवहार पर कर प्रभावों की चर्चा करें और श्री संग्राम, श्रीमती संगीता और उनके

© The Institute of Chartered Accountants of India

नाबालिग बेटों की कुल आय की गणना कीजिए।

gkfu;ka dk lVV vkQ djuk vkj vkxs yk tkuk

6- निम्नलिखित विवरणों से श्री हरिहरन की करनिर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए सकल कुल आय की गणना कीजिए।

fooj.k	jkf'k
निम्न मदों का समायोजन करने से पहले व्यापार की आय	3,45,000
(a) व्यावसायिक हानि कर निर्धारण वर्ष 2013–14 आगे लाई गई।	65,000
(b) चालू मूल्य ह्रास	32,500
(C) पूर्व वर्ष का अशोधित मूल्य ह्रास	1,95,000
मकान संपत्ति से आय	5,23,000
नगर पालिका करों का भुगतान	28,000
श्री हरिहरन ने 30 अक्तूबर 2015 को कानपुर का एक प्लांट रु. 9,32,000 के प्रतिफल में बेचा जो उसने 25.11.2012 को रु. 7,18,000 की लागत से खरीदा था। मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से बेचे गए अंशों पर दीर्घकालीन पूंजीगत हानि (STT का भुगतान किया गया)	58,000
ऋण पत्रों की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ	88,000
स्टाक इन ट्रेड के रुप में रखे अंशों पर लाभांश	28,000
कृषि व्यवसाय करने वाली कम्पनी से लाभांश	25,000
गत वर्ष 2015–16 के दौरान श्री हरिहरन ने एक अनुसूचित बैंक से आवास ऋण के प्रति रु. 3,46,000 का भुगतान किया। इस रु. 3,46,000 की राशि से रु. 2,16,000 ब्याज के भुगतान के प्रति दिए गए।	
लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक (CII):	
F.Y. 2012-13:852 और F.Y. 2015-16:1081	

ldy dy vk; ls dVkrh

7- श्री चाणक्य की कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए उसके द्वारा गत वर्ष 2016–17 के लिए उसके द्वारा गत वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए भुगतानों/निवेशों के निम्न विवरण से कुल आय की गणना कीजिए।

(i) अपने स्वास्थ्य के बीमे के लिए रु. 21,000 मेडिक्लेम प्रीमियम के रुप में भुगतान किए और अपने पिता जो उस पर निर्भर नहीं है, आयु 65 वर्ष, के स्वास्थ्य बीमा के लिए नकदी के अलावा अन्य माध्यम से भुगतान किए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) उसने अपनी पत्नी के निवारक स्वास्थ्य की जांच के लिए रु. 5,000 और अपने पिता की निवारक जांच के लिए रु. 5,000 व्यय किए।

(iii) उसने अपनी मां के इलाज के लिए जो एक गम्भीर विकलांगता वाली व्यक्ति है, के लिए रु. 80,000 खर्च किए।

(iv) सार्वजनिक भविष्य निधि में रु. 1,00,000 जमा किए।

(v) एक राष्ट्रकृत बैंक में अपने वयस्क पुत्र के नाम टैक्स सेवर जमा में रु. 80,000 जमा कराए।

(vi) केन्द्रीय सरकार के नेशनल पेंशन सिस्टम में रु. 1,50,000 का योगदान।

(vii) उसने अपनी विवाहित पुत्री की जीवन बीमा पॉलिसी पर रु. 45,000 प्रीमियम का भुगतान किया। (बीमित राशि रु. 5,50,5000) पॉलिसी 01.05.2012 को ली गई।

(viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में रु. 12,000 का योगदान।

(ix) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान में चैक द्वारा रु. 22,000 दान किए।

गत वर्ष 2015–16 के लिए उसकी सकल कुल आय रु. 8,40,000 थी। यह मान लें कि श्री चाणक्य की सकल कुल आय में केवल मकान संपत्ति की आय शीर्षक के अन्तर्गत आय और बैंक की सावधि जमा पर ब्याज शामिल है।

,d 0;fDr dh dqy vk; dh x.kuk

8- सी.ए. सूरत चावला (भारत में निवासी) जिनकी आयु 53 वर्ष है एक अभ्यासरत सदस्य है वो अपनी पुस्तकें नकद आधार पर बनाते हैं। 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उनका आय–व्यय का खाता निम्न रुप में है।

0;;	#-	vk;	#	#-
स्टॉफ को वेतन आर्टिकल सहायकों को स्टाइपेंड	8,05,000	अर्जित अंकेक्षण फीस	8,85,200	
	33,000	कराधान सेवाएँ	6,28,800	
आर्टिकल सहायकों को प्रोत्साहन	10,000	परामर्श	5,22,000	20]36]000
कार्यालय का किराया	94,000	भारतीय कम्पनियों के अंशों पर लाभांश		10]155
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	4,200	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से आय		8]400
मीटिंग, सेमीनार और कॉन्फ्रेंस	28,400	अंशों की बिक्री पर		
कार की मरम्मत, रख–रखाव और पैट्रोल	26,600	लाभ भुगतान किया		25]200
पत्रिकाओं का चंदा	25,000	उतर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से विभिन्न		
डाक, तार और फैक्स	22,000	संस्थाओं से प्राप्त		26]300

© The Institute of Chartered Accountants of India

ह्रास	31,500	मानदेय		
यात्रा व्यय	50,500	आवासीय फलैट किराए पर देने से प्राप्त किराया		1]04]000
मकान संपति के संबंध में म्यूनिसिपल कर का भुगतान	1,800			
'k} ykHk	10]78]055			
	22]10]055			22]10]055

vU; lpuk,

(i) अन्य व्यय खाते में डेबिट ह्रास आयकर नियम, 1962 में दी गई दरों के अनुसार हैं।

(ii) अपनी जीवन बीमा पॉलिसी की जमानत पर LIC से लिए ऋण पर रु. 2050 ब्याज दिया और कम्प्यूटर की मरम्मत पर व्यय किया, जिसे श्री सूरज के आहरण खाते में डेबिट किया गया।

(iii) कार की मरम्मत और रख–रखाव में रु. 1900 1.10.2015 से 30.09.2016 की अवधि के लिए शामिल हैं

(iv) वेतन में एक कंप्यूटर विशेषज्ञ को नकद दिए गए रु. 33,000 शामिल है जो श्री सूरज को एक पेशेवर काम में सहायता के लिए दिए गए ।

(v) Articled सहायकों को प्रोत्साहन के रुप में दी गई राशि, दो आर्टिकल सहायकों को प्रथम प्रयास में IPCC परीक्षा उतीर्ण करने के लिए दी गई।

(vi) स्वयं, पत्नी, शादी–शुदा बेटी और आश्रित भाई के स्वास्थ्य पर मेडिकल बीमा प्रीमियम पर क्रमशः रु 15,000, रु. 11,000, रु. 12,000 और रु. 8,000 दिए। उसने अपने 82 वर्षीय पिता के स्वास्थ्य पर रु. 80,000 व्यय किए। अपनी पत्नी के मेडिकल प्रीमियम को छोडकर उसने सभी भुगतान नकद किए।

(vi) अंशों को धारण करने की अवधि अधिग्रहण की तिथि से 6 माह है।

(vii) यात्रा व्ययों में रु. 25,000 विदेश यात्रा का खर्च शामिल है जो RBI के मानकों के भीतर था।

CA सूरज चावला की कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए कुल आय और आयकर दायित्व की गणना कीजिए।

Lkkr ij dj dVkrh vkj vfxe dj dh fo"k; esa iko/kku

9- निम्नलिखित मामलों में कर वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए स्रोत पर कर कटौती, कर कटौती की दर और राशि की प्रायोज्यता के बारे में संक्षेप में बताइएः

(a) एक साझेदारी फर्म, जिसका विक्रय आवर्त रु. 25,00,000 है, ने रु. 1,65,000 किराए का भुगतान किया और उसकी प्लांट और मशीनरी के उपयोग पर शुद्व हानि रु. 15,000 थी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) एक भारतीय समाचार एजेंसी द्वारा क्रिस गेल, भारत में अनिवासी, किक्रेट खिलाडी को खेल के संबंध में लेखों के योगदान के लिए रु. 59,000 का भुगतान किया।

(C) जैकपॉट के माध्यम से घुडदौड़ में जीत के लिए रु. 1,80,000 का भुगतान श्री रमेश, एक निवासी को किया गया।

(d) X Ltd. को विज्ञापन के लिए दो अलग–2 भुगतान रु. 28,000 (1.6.2015 को) और रु. 37,000 (21.9.2015 को) किए

vk;dj fjVuZ nkf[ky djus ds fy, iz/kku

13- क्या निम्नलिखित मामलों में कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए आयकर की रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है:

(a) एक विश्वविद्यालय की कुल आय, धारा 10(23C) के तहत छूट दिए बिना 35 लाख रुपये है। हालांकि इसकी कुल आय शून्य है।

(b) एक सीमित दायित्व वाली सांझेदारी की व्यावसायिक हानि रु. 1,30,000 है।

mRikn 'kYd dh lx.kuk

14- तिरुपति लिमिटेड ने इसके द्वारा निर्माण की गई एक विशेष मशीन गुप्ता लिमिटेड को रु. 5,00,000 में (कर और शुल्क रहित) बेची इसके अलावा, ग्राहक को मशीन की कीमत (अर्थात् 5,00,000) पर 2 प्रतिशत नकद छूट भी स्वीकृत की । गुप्ता लिमिटेड से निम्नलिखित अतिरिक्त राशियां भी चार्ज की गई।

Øe l-	fooj.k	#
(i)	मार्ग बीमा बीजक में अलग से दिखाया गया	9,500
(ii)	निष्कासन के स्थान से परे जावक भाड़ा	17,000
(iii)	पैकिंग शुल्क	5,000
(iv)	मशीन डिजाइन करने के लिए अतिरिक्त प्रभार	45,000

मशीन का निर्धारण मूल्य और उस पर देय उत्पाद शुल्क की गणना करें यदि उत्पाद शुल्क की दर और राज्य वैट दर क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है।

fu;kZr 'kYd dh lx.kuk

15- ललित एक्सपोर्ट हाउस जर्मनी ने कुछ वस्तुओं का निर्यात किया। निर्यात किए जाने वाले माल का निर्धारण मूल्य रु. 80,00,000 है। शिपिंग बिल 20.3.2016 को इलैक्ट्रॉनिक रुप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि, उचित अधिकारी ने निकासी की मंजूरी और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग के लिए 09.04.2016 को आदेश पारित किया। उसके द्वारा देय निर्यात

© The Institute of Chartered Accountants of India

शुल्क की गणना कीजिए। यदि 20.03.2016 को निर्यात शुल्क की दर 10 प्रतिशत और 09.04. 2016 को 8 प्रतिशत थी।

dUnzh; fcØh dj dh lx.kuk

16- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बंजरंगी लिमिटेड की कुल अन्तर्राज्यीय बिक्री रु. 40,00,000 है। (केन्द्रीय बिक्री कर सहित) इस संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएँ उपलब्ध है।

Øe l-	fooj.k	#
(i)	भाड़ा (रु. 50,000 बीजकों में अलग से नहीं दिखाया गया)	2,00,000
(ii)	श्री विभीषण को 5.5.2015 को माल बेचा और 22.10.2015 को वापिस आया।	35,000
(iii)	श्री भरत एक क्रेता, जिसे 04.04.2015 को माल भेजा गया, ने उस माल को अस्वीकार कर दिया। उक्त माल 24.11.2015 को वापिस प्राप्त हुआ।	40,000

वितीय वर्ष 2015–16 के लिए बंजरंगी लिमिटेड का करयोग्य आवर्त और देय CST का निर्धारण कीजिए, यह मानते हुए कि सभी व्यवहार वैध 'C' फॉर्म द्वारा कवर हैं और राज्य के भतीर बिक्री कर की दर 5 प्रतिशत है।

oSV nkf;Ro dh x.kuk

17- अशीष मैन्युफेक्चरर्स ने दिल्ली से 1,00,00,000 रु. वैट रहित कच्चा माल खरीदा और 2016 के जनवरी माह में इस कच्चे माल की मदद से रु. 1,80,00,000 मूल्य का तैयार माल उत्पादित किया। इसने अपने निर्मित माल को हरियाणा स्थित अपनी शाखा को 15 फरवरी 2016 को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद, उसे श्रीमान् A से हरियाणा में उस तैयार माल के संबंध में एक आदेश 20 फरवरी 2016 को प्राप्त हुआ और इसलिए हरियाणा शाखा से श्री A को उक्त वस्तुएं बेच दी गई। गणना कीजिएः

(i) फरवरी 2016 के माह के लिए उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि

(ii) फरवरी 2016 के माह के लिए देय शुद्व वैट और

(iii) अगले महीने आगे ले जाए जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का शेष यदि कोई है।

(iv) इनपुट वैट दर 12.5 प्रतिशत और उत्पादन वैट दर 4 प्रतिशत है।

Lkodj dh eyh vo/kkj.kk,a

18- सेवा कर कानून के संदर्भ में जैसा वित अधिनियम, 1994 में निहित है, चर्चा करे कि क्या कोई प्रतिफल निम्न मामलों में शामिल है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) विदाई पार्टी के समय मित्रों से प्राप्त उपहार।

(ii) एक शोधकर्ता को अपनी पसंद के किसी अनुसंधान को करने के लिए अनुदान हालांकि, शोधकर्ता को ऐसी अनुसंधान गतिविधि के परिणाम का IPR अधिकार प्रदान करना होगा।

(iii) एक धर्मार्थ ट्रस्ट को इस शर्त के साथ दिया गया दान कि ट्रस्ट द्वारा आयोजित हर कार्यक्रम में दानी का नाम मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(iv) X के द्वारा Y को सेवाएँ प्रदान की गई हालांकि सेवाओं के लिए भुगतान के निर्देश पर के एक देनदार द्वारा किया गया।

djk/kku dk fcUnq

19-श्री रोहण चालू वित वर्ष 2015–16 में उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई करयोग्य सेवा के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है पिछले वित्तीय वर्ष में श्री रोहण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का कुल मूल्य रु. 80,00,000 था।

Øe l-	fooj.k	frfFk
(i)	सेवा के पूरा होने की तारीख	05.06.2015
(ii)	बीजक जारी करने की तारीख	01.07.2015
(iii)	भुगतान की रसीद	20.08.2015

उपरोक्त मामले में कराधान के बिन्दु निर्धारित कीजिए। क्या आपका उत्तर अलग होगा यदि श्री रोहणद्वारा प्रदान की गई सेवाओं का कुल मूल्य रु 40 लाख था।

lsok dj nkf;Ro dh lx.kuk

20- निम्नलिखित स्वतंत्र सेवाओं में से प्रत्येक के संबंध में सेवा कर दायित्व का निर्धारण कीजिए।

fooj.k	#-
एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा योग शिविर चलाने के लिए भारित फीस	5,00,000
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बेसिक सेविंग बैंक जमा खातों के संबंध में एक बैंक को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए बैंक Mitrs ने राशि चार्ज की	1,00,000
स्टेम सैल के संरक्षण के माध्यम से गर्भनाल रक्त बैंकों द्वारा भारित राशि	50,000
एक मान्यता प्राप्त खेल संस्था को टिप्पणीकारों द्वारा प्रदान की गई सेवा	5,20,000

ukV% अधिसूचना संख्या 33/2012दिनांक 20.06.2012 के तहत सेवा कर दायित्व की गणना करते समय छोटे सेवा प्रदाता की छूट पर ध्यान न दें और सेवा कर को, जहाँ भी लागू हो, अलग से भारित किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

21. चिराग लिमिटेड ने जनवरी 2016 के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

(i) पूर्व–भर्ती स्क्रीनिंग के लिए ग्राहकों से रु. 1,00,000 एकत्र किए।

(ii) दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए घरेलू नौकर की व्यवस्था की । अन्य ग्राहकों को प्रदान इस प्रकार की सेवा का मूल्य रु. 80,000

(iii) कृषि उत्पाद के एक गोदाम में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए श्रम प्रदान करके रु. 1,00,000 एकत्र किए।

(iv) भावी नियोक्ताओं से फरवरी 2016 में कैंपस साक्षात्कार आयोजित करने के लिए रु. 3,00,000 अग्रिम राशि प्राप्त की। हालांकि विद्यार्थियों को हड़ताल के कारण ये कैंपस साक्षात्कार आयोजित नहीं किए जा सके। इसलिए प्राप्त अग्रिम राशि के बाद में नियोक्ताओं को लौटा दी गई ।

नोट:

1. चिराग लिमिटेड छोटे सेवा प्रदाता की छूट के लिए पात्र नहीं है।

2. उपरोक्त सभी राशियों में सेवा कर शामिल है, जहां पर भी लागू है।

प्रदान की गई करयोग्य सेवाओं के मूल्य और देय कुल सेवा कर की गणना कीजिए।

lsok dj dh rgr NwV

22. यूनिवर्सल टैक्नो लि. ने दिसम्बर 2015 में USA से एक करयोग्य सेवा, जिसमें टैक्नोलोजी का हस्तांतरण शामिल था, रु. 10,00,000 (सेवा कर और R & D उपकर रहित) में आयोजित की। निर्यातक ने उसके लिए 01.01.2016 को बीजक तैयार किया। यूनिवर्सल टैक्नो लि. ने उक्त राशि का भुगतान 28.02.2016 को कर दिया। इस टैक्नोलॉजी के आयात पर लगने वाले रु. 50,000 के अनुसंधान और विकास उपकर (R & D Cess)का भुगतान यूनिवर्सल टैक्नों लि. ने 22.02.2016 को कर दिया। यूनिवर्सल टैक्नों लि. ने उचित रिकॉर्ड बनाए रखे है जो सेवा के लिए बीजक उठाए जाने और R & D उपकर चालान के बीच संबंध दिखाते हैं। उपरोक्त विवरण से निम्न के संबंध में संक्षिप्त उतर दीजिए।

(i) सेवा कर देने के लिए कौन दायी है?

(ii)कराधान का बिंदु क्या है?

(iii)उक्त करयोग्य सेवा पर कितना सेवा कर देय है?

oSdfYid njksa ij lsok dj dk Hkqxrku

23- XYZ कम्पनी हवाई यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग प्रदान करने की सेवा में लगी हुई है। यह सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6(7) के तहत प्रावधान की गई विशेष दरों पर अपने सेवा कर दायित्व का निर्वहन करती है। जनवरी 2016 माह के लिए इसके द्वारा दिए गए निम्न विवरणों के आधार पर इसके सेवा कर दायित्व की गणना कीजिए:

© The Institute of Chartered Accountants of India

fooj.k	lsok dj fu;e 1994 d fu;e 6(7) d vuqlkj cfld fdjk;k	vU; iHkkj vkj 'kYd (#-)	dj (#-)	fVdVk dk dy eY; (#-)
घरेलू बुकिंग	1,15,400	11,200	5,260	1,31,860
अन्तर्राष्ट्रीय बुकिंग	4,00,200	22,150	13,380	4,35,730

XYZ लि. इसके द्वारा फरवरी में की गई बुकिंग के संबंध में सामान्य दर से सेवा कर का भुगतान करना चाहती है? क्या यह ऐसा कर सकती है? व्याख्या कीजिए?

lsok dj d vrxr iathdj.k

24- ABC डिजाइनर लि. कम्पनी, जो शिल्पकला सम्बंधी सेवाएँ प्रदान करती है, की देश भर के विभिन्न शहरों में शाखाएँ हैं जहां से अपने ग्राहकों को शिल्पकला सम्बंधी सेवाएँ प्रदान करती है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ABC डिजाइनर लि. सेवा कर पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहती है। ABC डिजाइनर लि. किस प्रकार पंजीकरण प्राप्त कर सकती है? समझाइए।

25- ABC Co. Ltd. उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण में लगी है। इसने फरवरी 2016 माह में निम्न मदों को प्राप्त किया। विभिन्न मदों के उपचार के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण देकर उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट की राशि का निर्धारण करें:–

En	Hkqxrku fd;k mRikn 'kYd (#-)
उत्पाद टैरिफ के अध्याय 85 के अन्तर्गत आनेवाले बिजली के ट्रांसफार्मर	**22,000**
मोल्ड और डाई	**1,30,000**
प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण	**20,000**
टैरिफ शीर्षक 8.7.2004 के अन्तर्गत आने वाले कच्चे माल के परिवहन के लिए इस्तेमाल ट्रक	**54,000**
फैक्टरी में कैप्टिव उपयोग के लिए फैक्टरी के बाहर बिजली के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुएँ	**20,000**
आग रोक **(Refractories)**	**5,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

l>k, x, mRrj@ldr

1. (a) धारा 6 के अनुसार एक व्यक्ति निवासी माना जाता है यदिः

–वह गत वर्ष के दौरान भारत में 182 दिन रहा हो

या

–वह पूर्ववर्ती गत वर्षों के दौरान कुल 365 दिन और चालू गत वर्ष में 60 दिन रहा हो

हालांकि, जहां एक भारतीय नागरिक भारतीय जहाज के चालक दल के सदस्य के रुप में या भारत के बाहर रोजगार के उदेश्य के लिए भारत छोड़कर जाता है उसे गत वर्ष में निवासी बनने के लिए 182 दिन रहना होगा।

वित अधिनियम, 2015 में धारा 6(1) के द्वारा स्पष्टीकरण 2 को डाला गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एक व्यक्ति के मामले मे ंजो भारत का नागरिक है और भारत छोड़कर जाने वाले विदेशी जहाज के चालक दल का सदस्य है, उसके इस जल यात्रा के संबंध में भारत में रहने की अवधि का निर्धारण निर्धारित तरीके से और निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा।

तदनुसार CBDT ने रहने की अवधि का निर्धारण करने के तरीके को वर्णित किया है। धारा 6(1) के प्रायोजन के लिए, एक व्यक्ति के मामले में जो भारत का नागरिक है और जहाज के चालक दल का सदस्य है, पात्र जल यात्रा के संबंध में भारत में उसके ठहरने की अवधि या अवधियों में निम्न अवधि शमिल नहीं होगी।

–पात्र जलयात्रा के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा जहाज में शामिल होने के संबंध में सत्त निर्वहन प्रमाणपत्र में दाखिल तारिख पर शुरुआत और

– ऐसी जलयात्रा के संबंध में व्यक्ति द्वारा जहाज छोडने के संबंध में सत्त निर्वहन प्रमाणपत्र में दाखिल तारिख को समाप्त

पात्र जलयात्रा का अर्थ है एक जलयात्रा जो समुद्री जहाज द्वारा की गई है और जो अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में यात्रियों या माल की ढुलाई में संलग्न है जहां –

(i) भारत में किसी भी बन्दरगााह से उत्पन्न होने वाली जलयात्रा का जिसका गन्तव्य भारत से बाहर किसी बन्दरगाह के रुप में होता है

(ii) भारत के बाहर किसी भी बन्दरगाह से उत्पन्न होने वाली जलयात्रा के लिए जिसका गन्तव्य भारत में किसी भी बन्दरगाह के रुप में होता है इस मामले में की जाती है। जलयात्रा एक भारतीय जहाज के द्वारा जो अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में यात्रियों की ढुलाई में संलग्न है, भारत में एक बन्दरगाह से उत्पन्न होती है (यानि मुम्बई बन्दरगाह) और इसका गन्तव्य भारत के बाहर बन्दरगाह के रुप में है (यानि सिंगापुर बन्दरगाह) अतः जल यात्रा धारा 6(1) के प्रायोजन के लिए पात्र जलयात्रा है।

इसलिए 6 जून 2015 से प्रारम्भ और 09.12.2015 को समाप्त अवधि श्री आलोक, एक भारतीय नागरिक जो जहाह के चालक दल के सदस्य है, के द्वारा उसके जहाज में शामिल

© The Institute of Chartered Accountants of India

होने और जहाज छोड़ने की तारीखों के संबंध में सत्त निर्वहन प्रमाणपत्र में दर्ज है, इसे भारत में उसके ठहरने की अवधि की गणना करते समय बाहर रखा जाना है।

तदनुसार 187 [25+31+31+30+31+30+9] दिन भारत में अपने ठहरने की अवधि से बाहर रखा जाना है नतीजन श्री आलोक की गत वर्ष 2015–16 में भारत में ठहरने की अवधि 179 दिन होगी [अर्थात् 366 दिन –187 दिन] क्योंकि भारत में गत वर्ष 2015–16 में उसके ठहरने की अवधि 182 दिन से कम है वह करनिर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए अनिवासी है।

नोट–क्योंकि गत वर्ष 2015–16 में 182 दिन से कम दिन रहने के परिणामस्वरुप श्री आलोक की आवासीय स्थिति करनिर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए ''अनिवासी'' है, पूर्व के गत वर्षों में उसका निवास अपासंगिक हो जाता है।

(b) धारा 6(1) के अनुसार श्री श्रवण A.Y. 2016-17 के लिए अनिवासी है क्योंकि वह P.Y 2015-16 के दौरान किसी भी समय भारत में मौजूद नहीं था।

धारा 5(2) के अनुसार एक अनिवासी के लिए केवल निम्न आय के संबंध में भारत में कर लगाया जा सकता है।

(i) भारत में प्राप्त आय या प्राप्त समझी गई आय और

(ii) भारत में उपार्जित या उत्पन्न होने वाली या उपार्जित या उत्पन्न समझी गई आय

उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर श्री श्रवण के हाथों में मलेशिया में कृषि और मलेशिया में गृह संपत्ति की आय करयोग्य नहीं होगी, यह मानते हुए कि ये मलेशिया में ही प्राप्त हुई थी।

भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत के नागरिक को सरकार द्वारा देय वेतन से आय धारा 9 के अनुसार भारत में उपार्जित या उत्पन्न समझी जाती है। इसलिए ऐसी आय श्री श्रवण एक भारतीय नागरिक के हाथों में करयोग्य होगी, भले ही वह अनिवासी है।

हालांकि, भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के नागरिक को सरकार द्वारा भारत से बाहर अनुलाभों या भत्तों का या उसका स्वीकृति भुगतान धारा 10(7) के अन्तर्गत कर से मुक्त है। इसलिए रु. 4,55,000 का विदेशी भत्ते धारा 10(7) के तहत विमुक्त है।

dj fu/kkj.k o"kZ 2016&17 d:i fy, Jh Jo.k dh ldy dy vk;

fooj.k	#-
o:ru	**6,10,000**
vU; lkrk l: vk; Hkkjr e: lkof/k tek ij C;kt	**1,10,000**
ldy dy vk; **(GTI)**	**7,20,2000**

2- (i) भारत में स्थित भूमि से कृषि आय धारा 10(1) के तहत निवासी व गैर–निवासी दोनों के मामले में विमुक्त है। इसलिए सुश्री डॉली, एक अनिवासी द्वारा कांचीपुरम, तमिलनाडु में जमीन से प्राप्त रु. 2,20,000 की कृषि आय मुक्त होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) पब्लिक प्रोविडेंट फंड से निकाली गई रु. 5,00,000 की राशि धारा 10 (11) के तहत विमुक्त है। इसलिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) से श्री राजेश द्वारा नियमानुसार आहरति रु. 5,00,000 की राशि करयोग्य होगी।

(iii) धारा 10(10D)(d) एक बीमा पॉलिसी के तहत, उस बीमा पॉलिसी पर प्राप्त, उस बीमा पॉलिसी पर प्राप्त राशि के इलावा जो 1.4.2012 को या उसके बाद जारी की गई जिस पर पॉलिसी की अवधि के किसी भी वर्ष में देय प्रीमियम बीमित पूंजी राशि के 10 प्रतिशत से अधिक है, प्राप्त राशि कर मुक्त होगी।

इसलिए श्री अभि के द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त रु. 1,30,000 को राशि करयोग्य होगी क्योंकि रु. 23,000 का वार्षिक प्रीमियम रु. 12,000 जो बीमित पूंजी राशि रु. 1,20,000 के 10 प्रतिशत से अधिक है।

(iv) धारा 10(2A) में यह प्रावधान है कि एक फर्म की कुल आय में उसके साझेदार का हिस्सा उसके हाथों में विमुक्त है। शब्द 'फर्म' में 'सीमित देयता साझेदारी' और 'साझेदार' में सीमित देयता साझेदारी का सांझेदार शामिल है।

(v) धारा 10(10BC) के अनुसार किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त मुआवजे के रुप में प्राप्त या प्राप्य क्षतिपूर्ति कर से मुक्त है, सिवाय उस सीमा के, जब उस व्यक्ति या उसके कानूनी उतराधिकारी को पहले ही ऐसी आपदा की वजह से हुए नुक्सान की इस अधिनियम के तहत कटौती स्वीकृत कर दी गई हो।

इस प्रकार आपदा के कारण केन्द्र सरकार से प्राप्त मुआवजे की राशि रु. 3,50,000 श्री रोहन के हाथों धारा 10(10BC)के तहत विमुक्त होगी, यह मानते हुए कि अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत इसे कटौती स्वीकृत नहीं की गई है।

3. vkl ke Vh fy- d: }kjk Jh lkFkd dk fn, x, vuqykHk dk eY; vkj djn:; rk

क्रम स.	विवरण	अनुलाभ का करयोग्य मूल्य (रु.)
(i)	किसी भी जिम्मेदारी के सम्बंध में जो इस तरह के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा देय हो गया होता, कर्मचारी द्वारा वास्तव के किए गए किसी व्यय के संबंध में यदि नियोक्ता द्वारा किसी राशि का भुगतान किया जाता है तो वह अनुलाभ के रुप में करयोग्य होगी [धारा 17(2)(iv)] इस मामले में क्योंकि यह श्री सार्थक की जिम्मेदारी है कि वह अपने नौकर को वेतन का भुगतान करे यदि उसके नियोक्ता द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाती, इसलिए रु. 72,000, (6000X12) नियोक्ता द्वारा नौकर के वेतन की प्रतिपूर्ति की राशि, उसके हाथों में करयोग्य होगी।	72,000
(ii)	नियोक्ता से संबंधित किसी भी चल सम्पत्ति (इस मामले में एयर	35,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

<table>
<tr>
<td></td>
<td>कंडीशनर) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को हस्तांतरित करने से कर्मचारी को उत्पन्न होने वाले लाभ का मूल्य, वास्तविक लागत में से प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए जिसमें उस सम्पत्ति को नियोक्ता द्वारा प्रयुक्त किया गया था, ऐसी लागत का 10 प्रतिशत घटाने के बाद और आगे, यदि कोई राशि कर्मचारी से ऐसे हस्तांतरण के प्रतिफल के रुप में बरामद की है, उसे घटाने के बाद, 'परिवार के सदस्य' में पति या पत्नी, बच्चे और उनके जीवन साथी, माता–पिता, नौकर और उनके आश्रित शामिल होंगे। (fu;e 3 dk Li"Vhdj.k)

<table>
<tr><th>विवरण</th><th>रु</th></tr>
<tr><td>वास्तविक लागत</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>SLM के आधार पर तीन वर्ष का 10% की दर से ह्रास अर्थात् 50,000 x 10% x 3</td><td></td></tr>
<tr><td>अनुलाभ का मूल्य</td><td>35,000</td></tr>
</table>
इस प्रकार श्री सार्थक हस्तांतरित चल–सम्पति अर्थात् एयर कंडीशनर के अनुलाभ का मूल्य 35,000 उसके हाथों में करयोग्य होगा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(iii)</td>
<td>नियोक्ता द्वारा बनाए रखे गए अस्पताल में कर्मचारी के परिवार को चिकित्सा सुविधा करयोग्य लाभ नहीं है। कर्मचारी को इस तरह की सुविधा से उत्पन्न होने वाले अनुमानित लाभ के बावजूद, यह कर से मुक्त है। इसलिए अनुलाभ का मूल्य शून्य है।</td>
<td>Nil</td>
</tr>
<tr>
<td>(iv)</td>
<td>जहां शिक्षण संस्थान नियोक्ता के स्वामित्व में है, निःशुल्क शिक्षा की सुविधा के संबंध में अनुलाभ का मूल्य उसी इलाके में या उसके नजदीक उसी प्रकार की संस्था में ऐसी शिक्षा के उचित लागत के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।
हालांकि, यदि ऐसी शिक्षा की लागत 1,000 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा से अधिक नहीं है तो कोई अनुलाभ नहीं होगा।
इसलिए, उसके बच्चे अवनि को प्रदान निःशुल्क शिक्षा की लागत के संबंध में कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि लागत प्रतिमाह रु. 1,000 से अधिक नहीं है।
परन्तु उसके बच्चे आरब के लिए प्रदान की गई निःशुल्क शिक्षा की लागत करयोग्य होगी क्योंकि लागत रु. 1,000 प्रति माह से अधिक है। करयोग्य अनुलाभ का मूल्य रु. 15,000 (1250x12) होगा।
नोटः एक संभावित विकल्प यह है कि केवल रु. 1,000 प्रति माह से अधिक राशि करयोग्य है ऐसे मामले में अनुलाभ का मूल्य रु.</td>
<td>15,000</td>
</tr>
</table>

© The Institute of Chartered Accountants of India

	3000 होगा।	
(v)	कर्मचारी के निवास पर प्रदान टेलीफोन और नियोक्ता द्वारा उसके बिल का भुगतान कर मुक्त अनुलाभ है।	Nil
vuqykHk dk dqy eY;		**1,22,000**

4- Jherh yfyrk dh 2016&17 dh fy, xgh lEifRr ls vk; dh x.kuk

fooj.k		#-	#-
I. San Diego esa xgh lEifRr			
सकल वार्षिक मूल्य (GAV) – प्राप्त किराया ($ 3,500 p.m. x ₹ 65 per USD x 12 महीने)		27,30,000	
घटाओ:नगरपालिका करों का भुगतान ($ 2,100 x ₹ 65USD)		1,36,500	
'kq} okf"kZd eY; **(NAV)**		**25,93,500**	
घटाओः धारा 24 के तहत कटौती			
NAV का 30%		7,78,050	18,15,450
II. y[kuÅ esa xgh lEifÙk fdjk, ij p<+k Hkkx&iFke ry)			
अपेक्षित किराया **(**मानक किराए और उचित किराए में से न्यूनतम**)**			
मानक किराया (15,000 x 12)	₹ 1,80,000		
उचित किराया (12,500 x 12)	₹ 1,50,000	1,50,000	
वास्तविक किराया प्राप्त किया **(13,500 × 12)**		1,62,000	
ldy okf"kZd eY; **(**अपेक्षित किराए और वास्तविक किराए में उच्चतर**)**		1,62,000	
घटाओ:नगरपालिका करों का भुगतान (50% of ₹8,000)		4,000	
'kq} okf"kZd eY; **(NAV)**		**1,58,000**	
?kVkvks/kkjk 24 dh rgr dVkSrh			
शुद्व वार्षिक मूल्य का 30% of NAV	₹47,400		
आवास ऋण पर ब्याज (40,000 का 50% 40,000)	₹20,000	67,400	90,600
y[kuÅ esa xgh lEifÙk ls vk;			

© The Institute of Chartered Accountants of India

(स्वंय के प्रयोग का भाग –ग्राउंड फ्लोर)		
okf"kd eY;	Nil	
घटाओ: धारा 24 के अन्तर्गत कटौती आवास ऋण पर ब्याज		
(40,000 का 50%)	20,000	(-) 20,000
xg lEifÙk ls vk;		**18,86,050**

5- (a) 2016&17 dh fy, /kkjk 32 dh rgr gkl dh x.kuk

विवरण	रु.	रु.
सामान्य ह्रास		
मशीनरी पर ह्रास रु. 61,00,000 पर 15%	9,15,000	
(180 दिन से अधिक के लिए प्रयुक्त)		
[प्रारंभिक WDV=49,00,000 + आयातित मशीनरी की क्रय लागत रु. 12,00,000]		
नई मशीनरी, 180 दिन से कम के लिए प्रयुक्त, पर ह्रास 18,00,000 पर 7.5%	1,35,000	
	10,50,000	
क्रय किए गए कंप्यूटरों पर ह्रास		
6,00,000 पर 60%	3,60,000	14,10,000
अतिरिक्त ह्रास (नीचे नोट देखें)		
अतिरिक्त ह्रास 1,80,000 का 10 प्रतिशत	1,80,000	
[(18.11.2015 को क्रय की गई मशीनरी की वास्तविक लागत]		
अतिरिक्त ह्रास [निर्माण इकाई में नए कम्प्यूटर लगाने पर 20% की दर से]	1,20,000	3,00,000
कुल ह्रास		17,10,000

नोटःअतिरिक्त ह्रास का लाभ निर्माण उपक्रमों में नए संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण और स्थापना पर उपलब्ध है तदनुसार, अतिरिक्त ह्रास स्पेयर पार्टस के निर्माण के व्यवसाय में संलग्न, निर्धारित द्वारा किसी नई मशीनरी या संयंत्र के अधिग्रहण और स्थापना के मामले में ऐसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के 20 प्रतिशत की दर से स्वीकृति है।

इसलिए निर्माण इकाई में स्थापित नया कंप्यूटर 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ह्रास के लिए पात्र है, क्योंकि नई मशीनरी केवल 18.11.2015 को खरीदी गई, यह पिछले वर्ष के दौरान

© The Institute of Chartered Accountants of India

180 दिन से कम के लिए प्रयुक्त हुई और इसलिए A.Y. 2016–17 में इस पर अतिरिक्त ह्रास केवल 10 प्रतिशत (अर्थात् 50% of 20%) स्वीकृत होगा। शेष अतिरिक्त ह्रास अगले वर्ष में स्वीकृत किया जाएगा।

हालांकि अतिरिक्त ह्रास अन्य बातों के अलावा उस मशीनरी या संयंत्र के संबंध में स्वीकृत नहीं होगा जो निर्धारिती द्वारा इसकी स्थापना से पहले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में या भारत के बाहर प्रयोग हो रही थी। इसलिए, अतिरिक्त ह्रास आयातित मशीनरी के संबंध में स्वीकृत नहीं होगा क्योंकि श्री वरुण द्वारा इसकी स्थापना से पूर्व यह कैलिफोर्निया में इस्तेमाल की गई थी।

(b) (i) वैज्ञानिक अनुसंधान पर रु. 5,65,000 का सारा आयगत व्यय कम्पनी के व्यवसाय से संबंधित था, इसलिए धारा 35(I)(i) के तहत यह कटौती के लिए पात्र है।

धारा 35(I)(iv) को धारा 35(2) के साथ पढ़ते हुए, यदि निर्धारती द्वारा चलाए गए व्यवसाय के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई पूंजीगत व्यय भूमि के अधिग्रहण पर व्यय के अलावा किया जाता है, ऐसा संपूर्ण पूंजीगत व्यय उस गत वर्ष में कटौतीयोग्य होगा जिसमें यह खर्च किया गया है।

इसलिए रु. 12,50,000 (अथार्त् 22,00,000 – 9,50,000 भूमि की लागत) A.Y. 2016–17 में कटौती के लिए स्वीकृत होगा। यह माना गया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पूणर्ति एग्रो इंडस्ट्रीज के व्यवसाय से संबंधित थी।

(iii) धारा 80 CCD में निर्दिष्ट एक पेंशन योजना में कर्मचारी के खाते में नियोक्ता का अंशदान व्यवसाय की आय की गणना करते समय धारा 36(i)(iva) के तहत गत वर्ष में कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत तक कटौती योग्य है।

धारा 40 A(a) के तहत केवल उसी राशि को अस्वीकृत किया जाएगा जो वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक है। तदनुसार, धारा 36(I)(iva) के तहत 38,20,000 कटौती के रुप में स्वीकृत होंगे और रु. 6,80,000 धारा 40A(9) के तहत अस्वीकृत होंगे।

(iv) धारा 40(a)(v) के अन्तर्गत कर्मचारियों को प्रदान गैर–मौद्रिक अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा वहन किया गया रु. 5,50,000 कर स्वीकृत नहीं है।

6- ;fuV x dh enk d dkj.k fcØh ij ithxr ykHk dh x.kuk

विवरण	रु.
विक्रय मूल्य	50,00,000
घटाओः विक्रय पर व्यय	68,000
शुद्व विक्रय प्रतिफल	49,32,000
घटाओः शुद्ध मूल्य (Net worth) (नीचे नोट 1 देखें)	24,63,125
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	24,68,875

© The Institute of Chartered Accountants of India

ukV%

1. iiy ,UVjijkbft t d; fuV x dh 'k) eY; dh x.kuk

विवरण	रु.	रु.
भवन (पुनर्मूल्यांकन के कारण रु. 5 लाख को छोड़कर)		17,00,000
मशीनरी		5,00,000
छेनदार		3,25,000
पेटेंट (नीचे नोट 2 देखें)		1,40,625
अन्य संपत्तियॉ (6,25,000 – 2,50,000)		3,75,000
कुल संपत्तियां		30,40,625
घटाओः लेनदार	1,37,500	
बैंक ऋण	4,40,000	
		5,77,500
शुद्ध मूल्य (Net worth)		24,63,125

2.1.4.2015 dk iVsV dh vifyf[kr eY;

पेटेंट का मूल्य	रु.
13.5.2013 को लागत	2,50,000
घटाओः वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 25% की दर से ह्रास	62,500
1.4.2014 को अपलिखित मूल्य	1,87,500
घटाओः वितीय वर्ष 2014–5 के लिए ह्रास	46,875
1.4.2015 को अपलिखित मूल्य	1,40,625

शुद्ध मूल्य की गणना के प्रायोजन के लिए, धारा 43(6) के अुनसार अपलिखित मूल्य का निर्धारण ह्रास योग्य संपत्तियों के मामले में विचार किया जाना है। यह समस्या यह मानते हुए हल की गई है कि स्थिति विवरण में 5,00,000 और (रु. 17,00,000 (22,00,000–15,00,000) क्रमशः यूनिट X के मशीनरी और भवन के अपलिखित मूल्य का प्रतिनिधित्व करते है। जो धारा 43(6) के अनुसार निर्धारित की गई है।

3. क्योंकि यूनिट 36 महीनों से अधिक के लिए रखा गया है उत्पन्न होने वाला पूंजीगत लाभ दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ होगा हालांकि मंदी के कारण बिक्री के मामले में सूचकांक लाभ प्राप्त नहीं होगा।

7. A.Y. 2016-17 के लिए श्रीमती रुपाली के हाथों में 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत करयोग्य राशि की गणना।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	fooj.k	रु.
(i)	क्योंकि अंश सम्पत्ति की परिभाषा में शामिल हैं और अंश के क्रय मूल्य और उचित बाजार मूल्य में अंतर रु. 50,000 से अधिक है अर्थात् रु. 75,000 (155000–80000) अन्तर धारा 56(2)(iv) के तहत करयोग्य होगा।	75,000
(ii)	विवाह के अवसर पर एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई धन राशि कर से मुक्त है। यह प्रावधान, हालांकि, सालगिरह के अवसर पर प्राप्त नकद उपहार पर लागू नहीं है। एक गैर–रिश्तेदार से रु. 101000 का उपहार, इसलिए, श्रीमती रुपाली के हाथों में धारा 56(2)(vii) के तहत करयोग्य होगा।	1,01,000
(iii)	धारा 56(2)(vii) के प्रावधान एक रिश्तेदार से प्राप्त धन या संपत्ति संबंध में आकर्षित नहीं होते। इस प्रकार भाई से प्राप्त प्लैटिनम की अंगूठी का उपहार धारा 56(2)(vii) के तहत करयोग्य नहीं है। भले ही आभूषण संपत्ति की परिभाषा में आते हैं।	Nil
(iv)	धारा 56(2)(vii) के लागू होने से विमुक्ति के संबंध में, संपत्ति व्यक्ति के विवाह के अवसर पर प्राप्त होनी चाहिए न कि उसके पुत्र या पुत्री के। इसलिए इस मामले में यह विमुक्ति प्रावधान आकर्षित नहीं होते। /kkjk 56(2)(vii) के तहत एक व्यक्ति द्वारा बिना प्रतिफल के प्राप्त कोई भी राशि करयोग्य नहीं होगी, यदि कुल कीमत रु. 50000 से अधिक है। क्योंकि श्रीमती रुपाली द्वारा प्राप्त नकद उपहारों की कुल कीमत गत वर्ष 2015–16 में रु. 50,000 से अधिक है, इसलिए उसके चार मित्रों से प्राप्त रु. 25000 के कुल नकद उपहार उसके हाथों में करयोग्य होंगे।	25,000
(v)	एक रिश्तेदार से प्राप्त धन या संपत्ति की किसी राशि के संबंध में धारा 56(2)(vii) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते। क्योंकि मामा एक रिश्तेदार हैं, उसके हाथों कर नहीं लगेगा।	Nil
vU; lkrk lsa vk; 'kh"kZd d rgr dj;kX; jkf'k		**2,01,000**

8. **A.Y. 2016-17** d fy, Jh lxke] Jherh lxhrk vkj mud ukckfyx i=k dh dy vk; dh x.kukA

विवरण	श्री संग्राम (रु.)		श्रीमती संगीता (रु.)	मास्टर अवि (रु.)
वेतन से आय (श्रीमती संगीता की)		-	1,44,000	-
पेंशन से आय (श्री संग्राम की) (₹ 50,000×12)		6,00,000		

© The Institute of Chartered Accountants of India

विवरण	श्री संग्राम (रु.)		श्रीमती संगीता (रु.)	मास्टर अवि (रु.)
गृह संपत्ति से आय*[*नोट 3 देखें*]*		5,12,000	-	-
vU; lkrk lsa vk;				
श्री संग्राम की स्थायी जमा पर ब्याज (2,00,000×9%)*[*नोट 1 देखें*]*	18,000		-	-
साझेदारी फर्म, जिसमें श्री संग्राम का सारवान हित है, से श्रीमती संगीता को पारिश्रमिक मिला	32,500	50,500	-	-
Ukkckfyx i=k dh /kkjk **64(1A)** esa vk; 'kkfey djus ls iwoZ vk;		**11,62,500**	**1,44,000**	-
श्री संग्राम द्वारा उपहार दी गई राशि में से व्यवसाय में निवेश से मास्टर आयु को आय [नोट 5 देखें]		49,500 -	- -	- 35,000
dqy vk;		**12,12,000**	**1,44,000**	**35,000**

uksV%

1. धारा 60 के अनुसार यदि ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना जिससे आय प्राप्त की गई है, आय का हस्तांतरण किया जाता है, तो ऐसी आय हस्तांतरणकर्ता की आय मानी जाएगी। इसलिए, स्थायी जमा पर रु. 18,000 ब्याज जो श्री संग्राम ने श्री बबलू को हस्तांतरित किया वह श्री संग्राम की कुल आय में शामिल किया जाएगा।

2. धारा के अनुसार यदि एक व्यक्ति का जीवन साथी किसी फर्म से, जिसमें उस व्यक्ति का सारवान हित है, [अर्थात् कम से कम 20 प्रतिशत मतदान शक्ति वाले अशों का धारक या उस संस्था के कम से कम 20 प्रतिशत लाभ का हकदार है] आय के रुप में कोई राशि प्राप्त करता है तो ऐसी आय उस व्यक्ति की आय में शामिल की जाएगी। इस मामले में एक मात्र अपवाद यह है कि यदि जीवनसाथी के पास तकनीकि या व्यावसायिक योग्यता है और आय उसने अपनी तकनीकि या व्यावसायिक ज्ञान और अनुभव के उपयोग से अर्जित की है तो ऐसे मामले में क्लबिंग प्रावधान लागू नहीं होंगे।

   इस मामाले में श्रीमती संगीता ने साझेदारी फर्म से जो रु. 32500 का पारिश्रमिक प्राप्त किया है वह श्री संग्राम की कुल आय में जोड़ा जाएगा क्योंकि उसकी पत्नी के पास ऐसे पारिश्रमिक को अर्जित करने के लिए कोई तकनीकि या व्यावसायिक योग्यता नहीं है और श्री संग्राम का साझेदारी फर्म में सारवान हित है क्योंकि वह फर्म में 75 प्रतिशत हिस्से का धारक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. धारा 27(i) के अनुसार एक व्यक्ति जो अपनी गृह संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के या अलग रहने के समझौते के संबंध में, के अलावा अपने जीवनसाथी को हस्तांतरित करता है वह ऐसी हस्तांतरित गृह संपत्ति का मालिक माना जाएगा। इसलिए श्री संग्राम, श्रीमती संगीता को उपहार के रुप मे दिए गए फलैट के मालिक माने जाएंगे और इसलिए उससे प्राप्त होने वाली आय की गणना श्री संग्राम के हाथों में होगी।

   uksV% धारा 56(2)(vii) के प्रावधान श्रीमती संगीता के हाथों में आकर्षित नहीं होंगे क्योंकि उसने बिना प्रतिफल के अचल संपति एक रिश्तेदार अर्थात् अपने पति से प्राप्त की।

4. धारा 64(IA) के अनुसार नाबालिग बच्चे की आय उस पेरेंट की आय में शामिल की जाएगी जिसका कुल आय (नाबालिग बच्चे की आय को क्लब करने से पूर्व) अधिक है। आगे धारा 10(32) के अनुसार नाबालिग बच्चे की आय जो पेरेंट की आय में शामिल की जाएगी वह रु. 1,500 प्रति बच्चा तक विमुक्त होगी।

   इसलिए रु. 51,000 की आय जो मास्टर आयु ने श्री संग्राम से प्राप्त उपहार की राशि में से निवेश के कारण प्राप्त की, वह धारा के तहत रु. 1,500 की छूट के प्रावधान 10(32) के बाद श्री संग्राम की आय में शमिल की जाएगी क्योंकि श्री संग्राम की रु. 11,62,500 की आय नाबालिग बच्चे की आय जोड़ने से पूर्व श्रीमती संगीता की 1,44,000 आय से अधिक है। इसलिए रु. 49,500 (अथात् 51,000–1,500) श्री संग्राम की आय में शामिल किए जाएंगे।

   यह माना गया है कि यह प्रथम वर्ष है जिसमें क्लबिंग के प्रावधान लागू होते हैं।

uksV% धारा 56(2)(viii) के प्रावधान मास्टर आयु पर लागू नहीं होते क्योंकि उसने रु. 50,000 से अधिक की राशि एक रिश्तेदार अर्थात् अपने पिता से बिना प्रतिफल के प्राप्त की है।

5. यदि नाबालिग बच्चे द्वारा अपने कौशल या प्रतिभा के उपयोग से किसी गतिविधि द्वारा कोई आय अर्जित की जाती है तो नाबालिग बच्चे की ऐसी आय माता पिता की आय में शामिल नहीं की जाएगी बल्कि यह नाबालिग बच्चे के हाथों में करयोग्य होगी।

   इसलिए मास्टर अवि के द्वारा उसके कौशल और प्रतिभा के उपयोग से किसी गतिविधि के माध्यम से प्राप्त 35,000 की आय उसके माता/पिता के हाथों में क्लब नहीं की जाएगी। ऐसी आय नाबालिग पुत्र के हाथों में करयोग्य होगी।

9- Jh gfjgj.k dh 2016&17 dk fy, ldy dqy vk; dh x.kuk

	fooj.k	#-	#-
I.	Xkg lEifÙk ls vk;		
	सकल वार्षिक मूल्य GAV	5,23,000	
	घटाओः नगरपालिका करों का भुगतान शुद्ध वार्षिक मूल्य	28,000	
	'kq) okf"kZd eY; **NAV**	4,95,000	
	?kVkvksa /kkjk 24 dk rgr dVkfr;k		
	(a) NAV का 30 प्रतिशत	1,48,500	

© The Institute of Chartered Accountants of India

	fooj.k	#-	#-
	(b) आवास ऋण पर ब्याज (ब्याज भुगतान की गई संपूर्ण राशि कटौती के लिए स्वीकृत होगी क्योंकि संपति को किराए पर चढाया गया है)	2,16,000	1,30,500
II.	0;olk; dh vk;		
	व्यवसाय की आय	3,45,000	
	घटाओः धारा 32(1) के तहत चालू वर्ष का ह्रास	32,500	
		3,12,500	
	घटाओः धारा 72 के तहत A.Y. 2013-14की आगे लाई गई व्यावसायिक हानि का सैट ऑफ	65,000	
		2,47,500	
	घटाओः अशोधित ह्रास का सैट आफ	1,07,000	1,40,500
III	iwath ykHk		
	ऋण पत्रों के विक्रय पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ	88,000	
	घटाओः अशोधित ह्रास सैट ऑफ किया।	88,000	Nil
IV	vU; lk/kuksa ls vk;		
	अंशों पर लाभ (चाहे स्टाक इन टेड के रुप में रखा गया या कृषि कार्यों में संलग्न कम्पनी से मिला) धारा 10(34) के तहत मुक्त कर	2,14,000	2,14,000 Nil
	ldy dqy vk;		4,85,000

ukV%

1. एक छूट प्राप्त स्रोत से हानि एक करयोग्य स्रोत से लाभ के विरुद्ध सेट ऑफ (set off) नहीं की जा सकती। क्योंकि एक मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्व समता अशों की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 10 (38) के तहत विमुक्त के लिए पात्र स्रोत से हानि है, को .ऋण पत्रों की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ के विरुद्ध सेट ऑफ नहीं किया जा सकता।
2. क्योंकि भूमि 36 महीने से कम समय के लिए धारण की गई, ऐसी भूमि के विक्रय से उत्पन्न रु. 2,14,000 का लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ है।
3. आगे लाया गया अशोधित ह्रास वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्षक की आय के विरुद्व समायोजित किया जा सकता है। हालांकि, इसे दीर्घकालीन पूंजी लाभ से सेट ऑफ करना अधिक लाभप्रद है क्योंकि यह 20 प्रतिशत की उंची दर से करयोग्य है। निर्धारित की अन्य आय 10 प्रतिशत स्लैब रेट के अंतगर्त आती है। इसलिए अशोधित ह्रास को पहले रु. 88,000 तक दीर्घकालीन पूंजी लाभ से सेट ऑफ किया जाएगा। शेष अशोधित ह्रास व्यावसायिक आय के विरुद्ध रु. 1,07,000 तक समायोजित किया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

वैकल्पिक रुप से अशोधित ह्रास की शेष राशि रु. 1,07,000 को घर संपति की आय या अल्पकालीन पूंजी लाभ के विरुद्ध भी सेट ऑफ किया जा सकता है। इस मामले के गृह संपति से आय रु. 23,500 और दीर्घकालीन पूँजी लाभ रु. 1,07,000 होगी। हालांकि, सकल कुल आय अपरिवर्तित रहेगी।

10- Jh pk.kD; dh 2016&17 dh fy, dqy vk; dh x.kuk

fooj.k	#-
सकल कुल आय	8,40,000
घटाओः अध्याय VI-A के तहत कटौतियां **(**वर्किंग नोट देखें**)**	4,09,000
dqy vk;	**4,31,000**

okfØx ukV%

v/;k; **VI-A** dh vrxZr dVkfr;ksa dk fooj.k

fooj.k	रु.	रु.
(i) /kkjk **80C** dh rgr dVkrh		
- सार्वजनिक भविष्य निधि **(PPF)** में जमा	1,00,000	
- एक राष्ट्रीय बैंक में अपने व्यस्क पुत्र के नाम टैक्स सेवर डिपोजिट में रु. 80,000 जमा कराए– पुत्र के नाम स्थायी जमा धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं	-	
अपनी विवाहित बेटी की जीवन बीमा पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान – धारा 80C के तहत पूर्ण राशि कटौती के लिए पात्र। **(**क्योंकि प्रीमियम बीमित राशि के 10% से अधिक नहीं है**)**	45,000	
	1,45,000	
(ii) /kkjk **80CCD(1)** dh rgr dVkrh		
केन्द्रीय सरकार NPS योजना में अंशदान 1,00,000		
[1,50,000 – ₹50,000, धारा 80CCD(1B) के तहत कटौती], 84,000 तक प्रतिबन्धित अर्थात् सकल कुल आय 8,40,000 का 10 प्रतिशत	84,000	
	2,29,000	
धारा 80CCE, के अनुसार 80C और 80CCD(1) के अंतर्गत कुल कटौती रु. 1,50,000 से अधिक नहीं हो सकती।		1,50,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

	fooj.k	रु.	रु.
(iii)	/kkjk **80CCD(1B)** d¡ rgr dVkSrh		50,000
	धारा **80CCD(1B)** के तहत कटौती **80CCE** में निर्धारित रु. 1.50 लाख की कुल सीमा में नहीं आती। इसलिए श्री चाणक्य के लिए यह अधिक लाभप्रद है कि वह पहले **NPS** के सबंध में धारा **80CCD(1),** के तहत कटौती के लिए दावा किया गया है। (अधिकतम सीमा GTI के 10 प्रतिशत तक सीमित अर्थात् **84,000**).		
(iv)	/kkjk **80D** d¡ vUrxZr dVkSrh		
	(i) (a) स्वयं के लिए मेडिकल बीमा प्रीमियम का भुगतान	21,000	
	(b) पत्नी का निवारक स्वास्थ्य निरीक्षण रु. 5000 में करवाया, रु. 4000 तक प्रतिबन्धित **(25,000 -21,000**, क्योंकि अधिकतम कटौती रु. 25,000 तक स्वीकृत है)	4,000	
		25,000	
	(ii) (a) अपने पिता का स्वास्थ्य बीमा कराया	24,000	
	(b) रु. 5000 का निवारक स्वास्थ्य निरीक्षण, रु. 1000 तक प्रतिबधिंत (5,000-4,000) क्योंकि स्वास्थ्य निरीक्षण के लिए धारा 80D में स्वीकृत कटौती रु. 5000 है।	1,000	
	रु. 25000 की संपूर्ण राशि कटौती योग्य है क्योंकि अधिकतम स्वीकृति कटौती रु. 30000 है जहां पर माता /पिता वरिष्ठ नागरिक हैं। (नोट देखें)	**25,000**	
	(i) vkj **(ii)** dqy		**50,000**
(v)	/kkjk **80DD** d¡ rgr dVkSrh		
	गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति के कारण अपनी मां की चिकित्सा उपचार पर किए गए व्यय के संबंध में 1,25,000 की कटौती स्वीकृत होगी चाहे खर्च की गई राशि 80,000 है।		1,25,000
(vi)	/kkjk **80G** d¡ rgr dVkSrh		
	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 12,000 का अंशदान 100% कटौती के लिए पात्र है।		12,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

fooj.k		रु.	रु.
(vii)	/kkjk **80GGA** d rgr NwV वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था को 22000 का भुगतान– धारा 80GGA में कटौती के लिए पात्र है क्योंकि भुगतान चैक के द्वारा किया गया है।		22,000
	v/;k; **VI-A** d rgr dVkfr;k		**4,09,000**

ukV% विकल्प के रुप में पिता के निवारक स्वास्थ्य जांच पर रु. 5,000 की राशि का दावा किया जा सकता था। इस स्थिति में पत्नी के निवारक स्वास्थ्य जांच पर खर्च स्वीकृत नहीं होता क्योंकि निवारक स्वास्थ्य जांच पर कुल कटौती रु. 5000 से अधिक नहीं हो सकती। इस मामले में भी, धारा 80D के तहत कुल कटौती रु. 50,000 होती।

11- CA ljt pkoyk dh dj fu/kkj.k o"kZ 2016&17 d fy, dqy vk; vkj dj nkf;Ro dh x.kukA

fooj.k	ofdYix ukV lwpd[;k	#-
गृह सम्पत्ति से आय	1	71,540
व्यापार या पेशे के लाभ और अर्जन	2	9,36,750
अल्पकालीन पूंजी लाभ	3	25,200
अन्य स्रोतों से आय	4	26,300
ldy dqy vk;		10,59,790
?kVkvk% v/;k; VI-A d rgr dVkfr;k	**5**	**45,000**
dqy vk;		10,14,790
dqy vk; ij dj		
कुल आय		10,14,790
?kVkvk% अल्पकालीन पूंजी लाभ		25,200
सामान्य आय		9,89,590
सामान्य आय पर कर		1,22,918
अल्पकालीन पूंजी लाभ पर 15% की दर से कर		3,780
		1,26,698
tek% शिक्षा 2% की दर से और उच्चतर शिक्षा शुल्क (SHEC) 1% की दर से		3,801
dqy dj nkf;Ro		**1,30,499**
dqy dj nkf;Ro (rounded off)		1,30,500

© The Institute of Chartered Accountants of India

uksV%

(1)	xg lEifÙk ls vk;	#-	#-
	सकल वार्षिक मूल्य	1,04,000	
	घटाओः मालिक द्वारा भुगतान किए गए नगरपालिका कर	1,800	
	'kq) okf"kZd eY; **(NAV)**	**1,02,200**	
	?kVkvks% /kkjk 24 ds vUrxZr **NAV** ds **30%** dh dVkSrh	**30,660**	**71,540**
	Uxjikfydk dk eY;] mfpr fdjk;k vkj ekud fdjk;s ls lacf/kr tkudkjh ds vHkko esa ikIr fdjk, dk ldy okf"kZd eY; fd;k x;k gA		
(2)	^^0;kikj vFkok i'ks ls ykHk vkj vtZu 'kh"kZ ds rgr vk;		
	लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ		**10,78,055**
	जमाः लाभ हानि खाते में डेबिट व्यय जो स्वीकृत नहीं		
	(i) कम्प्यूटर विशेषज्ञ को नकद वेतन का भुगतान धारा 40A(3), के तहत अस्वीकृत है क्योंकि ऐसा नकद भुगतान रु. 20000 से अधिक है।	33,000	
	(ii) किराए पर दिए आवासीय फलैट के संबंध में नगरपालिका कर	1,800	**34,800**
			11,12,855
	?kVkvks% Lohdr ij tks ykHk&gkfu [kkrs esa MfcV ugh fd, x,%		
	कम्प्यूटर की मरम्मत के लिए LIC से लिए ऋण पर ब्याज		2,050
			11,10,805
	?kVkvks% ykHk&gkfu [kkrs esa ØfMV vk; tks bl 'kh"kZ esa dj;kX; ugh%		
	(i) भारतीय कम्पनी के अंशों पर लाभांश	10,155	
	(ii) UTI से आय	8,400	
	(iii) अंशों के विक्रय पर लाभ	25,200	
	(iv) उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से पारिश्रमिक	26,300	
	(v) आवासीय फलैट किराए पर चढाने से प्राप्त किराया।	1,04,000	1,74,055
			9,36,750

© The Institute of Chartered Accountants of India

(3)	iatthxr ykHk%			
	अंशों की बिक्री से अल्पाकालीन पूंजी लाभ			**25,200**
(4)	vU; lkrk ls vk;%			
	भारतीय कम्पनी के अंशों पर लाभांश	10,155		
	घटाओः धारा 10(34) के तहत छूट	10,155	Nil	
	UTI से आय	8,400		
	?kVkvk% धारा 10(35) के तहत छूट	8,400	Nil	
	उतरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन से पारिश्रमिक		26,300	**26,300**
(5)	v/;k; VI-A d vUrxZr dVkSfr;k:			
	/kkjk 80D d rgr dVkSrh (fpfdRlk chek ihfe;e)			

ikfylh /kkjd	ihfe;e dh jkf'k (#-)	dVkSrh ;kX; jkf'k (#-)	
Lo;a	15,000	15,000	
iRuh (fuEu ukV ns[ks)	11,000	Nil	
fookfgr iq=h (fuEu ukV ns[ks)	12,000	Nil	
vkfJr Hkkbl (fuEu ukV ns[ks)	8,000	Nil	
		15,000	**15,000**

	/kkjk 80D d rgr dVkSrh (fpfdRlk 0;;)	
	पिता के स्वास्थ्य पर किए चिकित्सा व्यय पर अधिकतम रु. 30000 की छूट है, क्योंकि वह एक वरिष्ठ नागरिक है। यह माना गया है कि पिता भारत में निवासी है और उसके स्वास्थ्य का बीमा जारी रखने के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया।	**30,000**
	v/;k; VI-A d rgr dy dVkSrh	45,000
	ukV% भाई के स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान धारा *80D,* के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं है क्योंकि भाई परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं है। पत्नी के स्वास्थ्य पर प्रीमियम का भुगतान कटौती के लिए पात्र नहीं है। क्योंकि भुगतान नकदी में किया गया है। विवाहित पुत्री के स्वास्थ्य पर प्रीमियम का भुगतान कटौती के लिए पात्र नहीं है क्योंकि वह श्री सुरज पर आश्रित नहीं है।	

(6) विदेशी दौरे पर रु. 25000 का खर्च कटौती के लिए यह मानते हुए स्वीकृत है कि इसे अपने पेशेवर कार्य के संबंध में खर्च किया था। इसलिए इसे आगे किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह आय और व्यय खाते में पहले ही डेबिट किया जा चुका है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(7)आर्टिकल्ड सहायकों को IPCC परिक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने पर उन्हें दिया गया प्रोत्साहन धारा 37(1) के तहत कटौती योग्य है।.

(8) 01.04.2016 से 30.09.2016 तक की छः महीने की अवधि के लिए मरम्मत और रख रखाव के लिए रु. 950 का अग्रिम भुगतान स्वीकृत होगा क्योंकि श्री सूरज लेखे के लिए नकद प्रणाली का प्रयोग करते हैं।

(9) क्योंकि अंशों पर प्रतिभूति लेन–देन कर का भुगतान किया गया है और इन अंशों को धारण कने की अवधि 12 माह से कम है, इन से उत्पन्न होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ है जिस पर धारा 111A के तहत 15% कर लगेगा।

(10) क्योंकि ह्रास आयकर नियम 1962 के अनुसार आय और व्यय खाते में डेबिट किया गया है, उसके लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है।

12.

(a) धारा 194-I, के अनुसार संयंत्र और मशनरी के प्रयोग के लिए किराए के भुगतान पर स्रोत पर 2%की दर से कटौती करनी होती है। यदि वित्तीय वर्ष में भुगतान रु. 1,80,000 से अधिक है क्योंकि साझेदारी फर्म के द्वारा रु. 1,65,000 किराए का भुगतान किया गया जो रु. 1,80,000 से अधिक नहीं है, कर कटौतीयोग्य नहीं है।

(b) धारा 194E प्रावधान करती है कि एक अखबार मे भारत में किसी भी खेल या क्रीडा से संबंधित लेख के योगदान के लिए एक अनिवासी खिलाडी को किसी भी राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा स्रोत पर 20 प्रतिशत की दर से कटौती करनी होती है। आगे, क्योंकि क्रिस गेल, वेस्टइंडीज टीम का खिलाडी अनिवासी है। इसलिए कटौती में 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर तथा 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर भी जोड़ा जाना चाहिए।

blfy, dVk tkuk okyk dj =**59,000 x 20.60% = ₹ 12,154.**

(c) धारा 194BB,के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी यदि घुडदौड मे जैकपोट जीतने की राशि रु. 5000 से अधिक है। स्रोत पर कटौती का दर 30 प्रतिशत है। क्योंकि जीत का भुगतान एक निवासी को किया जाना है। इसलिए 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर तथा 1 प्रतिशत माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर 30 प्रतिशत कर दर में नहीं जोडा जाएगा।

इसलिए कटौती कर की राशि होगी = **₹ 1,80,000 x 30%** = **₹54,000.**

(d) धारा 194C के तहत ''कार्य'' क परिभाषा मे विज्ञापन को शामिल किया गया है। धारा 194C,के तहत स्रोत पर कटौती किया गया के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि ठेकेदार को एकल भुगतान के रुप में दी गई राशि रु. 30,000 से अधिक नहीं है। इसलिए धारा 194C के तहत कर कटौती के प्रावधान X लिमिटेड को 1.06.2015 को रु 28,000 के भुगतान के संबंध में लागू नहीं होते हालांकि X लिमिटेड को 21.9. 2015 को रु. 37,000 के भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. लगेगा क्योंकि यह रु0 30,000 से अधिक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसलिए कटौती योग्य कर = **₹ 37,000 x 2% = ₹ 740**

13. (a) धारा 139(4C), के अनुसार, धारा 10(23C), में संदर्भित विश्वविद्यालय को अपनी आय की रिटर्न दाखिल करनी होगी यदि उसकी कुल आय, धारा 10 के प्रावधानों को लागू किए बिना, बुनियादी छूट सीमा से अधिक है।

क्योंकि विश्वविद्यालय की कुल आय, धारा 10 के तहत छूट लागू किए बिना बुनियादी छूट सीमा रु. 2,50,000 से अधिक है, इसे कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए अपनी आय की रिटर्न दाखिल करनी होगी।

(b) धारा 139(1) के तीसरे परन्तुक के अनुसार प्रत्येक फर्म को प्रत्येक गत वर्ष मं अपनी आय या हानि के संबंध में नियत तिथि पर या पहले रिटर्न दाखिल करनी होगी। क्योंकि LLP आय कर अधिनियम, 1961 के तहत फर्म की परिभाषा में शामिल है, इसे अनिवार्य रुप से अपनी रिटर्न दाखिल करनी होगी। चाहे इस हानि ही हुई हो।

14. fu/kkj.k ;ksX; eY; vkj n; mRikn 'kYd dh x.kuk%

fooj.k	#-
e'khujh dk eY;	**5,00,000**
tkMk% ifjx 'kYd **[**ukV **1(i)]**	**5,000**
vfrfjDr fMtkbu iHkkj **[**ukV **1(i)]**	**45,000**
dy	**5,50,000**
?kVkvk:e'khujh dh dher dk **2%** udn dVkrh **[5,00,000x2%] [**ukV **1(iv)])**	**10,000**
fu/kkj.k ;ksX; eY;	5,40,000
mRikn 'kYd 12.5%dh nj ls	67,500

ukV%

1. कर निर्धारण मूल्य की गणना करते समयः
   (i) बैंकिंग शुल्क और अतिरिक्त डिजानर प्रभार इस तरह के भुगतान के लिए बिक्री में संबधं में शामिल किए गए है।
   (ii) रास्ते (transit) का बीमा, बीजक में अलग से दिखाया गया है, इसे परिवर्तन लागत के भाग के रुप में शामिल नहीं किया गया है।
2. राज्य वैट देय भुगतान शुल्क को प्रभावित नहीं करता।

15. fu;kr 'kYd dh x.kuk

fooj.k	jkf'k (#-)
fu;kr eky dk fu/kkj.kh; eY;	**80,00,000**
8% dh nj ls fu;kr 'kYd **[**uhps ukV n[k**]**	**6,40,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

ukV% निर्यात के लिए प्रवेश माल के मामले में, शुल्क की दर उस तिथि को लागू दर होगी जिस तिथि को समुचित अधिकारी निर्यात के लिए माल की लोडिंग और निकासी की मंजूरी का आदेश देता है।

16. ctjxh fyfeVM d dj;kX; vkorZ vkj nj; **CST** dh x.kuk

fooj.k	#-	#-
dqy vUrjkT;h; fcØh		**40,00,000**
?kVkvk% बीजक में अलग से दिखाया गया भाडा [जो भाडा बीजक में अलग से नहीं दिखाया जाता, वह कटौती योग्य नहीं है]	**1,50,000**	
श्री विभीषण से माल की वापिसी **[**6 eghus d Hkhrj okfil dVkrh ;kX; gS**]**	**35,000**	
छह माह बाद श्री भरत के द्वारा माल अस्वीकार कर दिया गया **[**dVkrh ;kX;] gkykfd okfil Ng ekg ckn dh xbZ gS D;kfd ;g xSj&Qynk;d fcØh dk ekeyk gS**]**	**40,000**	**2,25,000**
vkorZ **(CST** lfgr**)**		**37,75,000**
dj ;kX; vkorZ (rounded off)		37,00,980
[37,75,000 × 100/102]		
CST 2% की दर से [₹ 37,75,000 × 2/102]		
क्योंकि व्यवहार वैध 'C' फॉर्म द्वारा कवर है इसलिए CST 2% की दर से या राज्य के भीतर बिक्री कर 5% की दर से जो भी कम हो, लगेगा अर्थात् 2%		
nj; **CST (rounded off)**		74,020

17. Qjojh 2016 d fy, nj; oSV vkj buiqV VSDl ØfMV

fooj.k	#-
nj; mRiknu oSV **(**ukV**-1)**	**Nil**
?kVkvk% buiqV VSDl ØfMV $\left[1,00,00,000\times\frac{(12.5-2)}{100}\right]$ **(**ukV**-2)**	10,50,000
'kwU; nj; oSV	Nil
'k"kZ buiqV VSDl ØfMV vxys ekg vkxs ys tk;k x;k	10,50,000

ukV%

1. अन्तर्राज्यीय स्टाक इस्तांतरण विक्रय नहीं है और इस कारण उन पर वैट नहीं लगता। इसके इलावा CST भी देय नहीं है क्योंकि ऐसे हस्तांतरित किए गए माल की बिक्री के लिए कोई पूर्ववर्ती समझौता नहीं था।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. तैयार माल के स्टॉक हस्तांतरण के मामले में, 2% से अधिक इनपूट टैक्स का भुगतान (ऐसे तैयार माल के निर्माता द्वारा प्रयुक्त इनपुट पर) इनपुट टैक्स क्रेडिट के रुप में उपलब्ध होगा।

18. ''प्रतिफल'' का अर्थ है सेवा के प्रावधान के बदले सब कुछ जो प्राप्त हुआ या वसूली योग्य है। इसमें मौद्रिक भुगतान और गैर मौद्रिक प्रतिफल या स्थगित प्रतिफल के साथ–साथ एक गैर करयोग्य क्षेत्र और करयोग्य क्षेत्र में स्थित संस्थानों के बीच अधिक दाम शामिल है।

इस परिभाषा की पृष्ठ भूमि में, दी गई स्थितियों को निम्न रुप में परीक्षण किया जा रहा हैः

(i) नहीं, इस मामले में, उपहार स्वतंत्र इच्छा से दिए गए हैं और न कि किसी सेवा के प्रावधान के बदले।

(ii) हां, यद्यपि एक शोध के लिए अनुदान, जहां एक शोधकर्ता के लिए किसी शोध को करने का दायित्व नहीं है, प्रतिफल नहीं है। परन्तु शोधकर्ता को एक विपरीत दायित्व के साथ अनुदान जिसके तहत वह अनुदान के मदद से किए गए शोध के परिणामों से IPR अधिकार प्रदान कराएगा, शोध की सेवा के प्रावधान के लिए प्रतिफल होगा।

(iii) हां, एक धर्मार्थ संस्थान को दिया गया दान प्रतिफल नहीं है जब तक दानी संस्था बदले में कुछ प्रदान करने के लिए दायी नहीं है। क्योंकि इस मामले में धर्मार्थ संस्था को दान इस शर्त के साथ दिया गया कि ऐसे ट्रस्ट द्वारा आयोजित हर एक कार्यक्रम में दानकर्ता का नाम मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा, दान प्रतिफल के लिए राशि माना जाएगा।

(iv) हां, सेवा के लिए प्रतिफल एक व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है, उस व्यक्ति के अतिरिक्त जो सेवा का लाभ प्राप्त कर रहा है, जब तक कि सेवा के प्रावधान और प्रतिफल के बीच में कोई लिंक है। क्योंकि दिए गए मामले में सेवा के लिए भुगतान Z के द्वारा Y के निर्देशानुसार किया गया जो सेवा प्राप्तकर्ता Y का एक देनदार है, भुगतान को X के द्वारा Y को दी गई सेवा का प्रतिफल माना जाएगा।

19. सेवा कर नियम 1994 के नियम 6 के अनुसार व्यक्तियों और साझेदारी फर्म जिनकी एक या एक से अधिक परिसर में उपलब्ध कराई गई करयोग्य सेवाओं का कुल मूल्य गत वित्तीय वर्ष में 50 लाख या कम है, सेवा प्रदाता के पास ये विकल्प है कि वह चालू वित्त वर्ष में, प्राप्ति के आधार पर, उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली कुल 50 लाख तक की करयोग्य सेवाओं पर कर का भुगतान कर दे। क्योंकि वर्तमान मामले में श्री रोहन के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में रु. 80 लाख था, वह इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता।

परिणमस्वरुप उसे कराधान नियम, 2011 के बिन्दु (POTR) के अनुसार सेवा कर का भुगतान करना अनिवार्य है। POTR के नियम 3 के अनुसार, यदि बीजक सेवा के प्रावधान की पूर्ति के 30 दिन के भीतर जारी किया गया हो तो कराधान का बिन्दु होगाः–

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) बीजक जारी करने की तिथि (01.07.2015) या

(ii) भुगतान की प्राप्ति की तिथि (20.08.2015),

दोनों में से जो पहले हो।

हालांकि, यदि श्री रोहण द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्रदान सेवाओं का कुल मूल्य 40 लाख था, उसे प्राप्ति के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने के लिए सहमत कुल रु. 50 लाख तक की करयोग्य सेवाओं पर कर देने का विकल्प प्राप्त है। उस मामले में, कराधान का बिंदु 20/8/2015 होगा।

20. lsok dj nkf;Ro dh x.kukA

विवरण	भारित राशि (रु.)	सेवा कर दायित्व (रु.)
एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित योग शिविर के लिए भारित शुल्क प्रधानमंत्री जन–धन योजना [PMJDY] में कवर बेसिक सेविंग बैंक जमा खातों के संबंध में	Nil	**Nil**
एक बैंक को प्रदन्त सेवाओं के लिए बैंक मित्र [Bank Mitrs] के द्वारा भारित राशि [नोट-2]	**Nil**	**Nil**
स्टेम कोशिकाओं के संरक्षण के माध्यम से गर्भनाल रक्त बैंकों द्वारा चार्ज राशि [नोट-3]	**Nil**	**Nil**
एक मान्यता प्राप्त खेल संस्था को टिप्पणीकारों द्वारा प्रदत्त सेवा [नोट-4]	**5,20,000**	**5,20,000×14.5% =75,400**

ukV%

मेगा छूट अधिसूचना *25/2012 ST* दिनांक *20.06.2012* के अनुसार

1. एक संस्थान के द्वारा जो धर्मार्थ गतिविधियों के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA के अन्तर्गत पंजीकृत है प्रदान सेवाएँ सेवा कर से विमुक्त हैं। योग को बढावा देने के लिए संबंधित गतिविधियाँ, अन्य बातों के इलावा, धर्मार्थ गतिविधियों की परिभाषा में शामिल है।
2. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के द्वारा कवर बेसिक संविंग बैंक खाते के संबंध में एक बैंकिंग कम्पनी को एक व्यापार सुविधा/व्यापार संवाददाता [जिन्हें सार्वजनिक रुप में बैंक मित्र Bank Mitrs कहा जाता है] द्वारा प्रदान सेवाएँ सेवा कर से विमुक्त है।
3. गर्भनाल रक्त बैंकों द्वारा स्टेम कोशिकाओं के संरक्षण के माध्यम से प्रदान सेवा या इस तरह के संरक्षण के संबंध मे अन्य सेवा कर से विमुक्त है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. एक व्यक्ति द्वारा एक खिलाडी, रेफरी, अंपायर, कोच या टीम मैनेजर के रुप में एक मान्यता प्राप्त खेल संस्था को किसी मान्यता प्राप्त खेल संस्था द्वारा आयोजित एक खेल में भाग लेने के लिए प्रदान सेवाएं सेवा कर से विमुक्त है। अतः टिप्पणीकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ करयोग्य है।

21. tuojh 2016 dk fpjkx fyfeVM }kjk dj;kX; lsok dk eY; vkj nj lsok dj dh x.kuk

fooj.k	#-
izo`Hkrh LØhfuax dh fy, xkgdksa l ,d= jkf'k	**1,00,000**
fe=ksa vkj fj'rsnkjksa dk e¶r e ?kjsyw ukdj miyC/k djkuk **[ukV-1]**	**Nil**
ykfMax vkj vuykfMax dh fy,] df"k mRikn dh xkaeke e] Je miyC/k djkus l ,d= jkf'k **[ukV-2]**	**10,00,000**
Qjojh 2016 e gkus okyh dsil lk{kRdkj dk vk;kftr djkus dh fy, Hkkoh fu;kDrkvksa l izkIr vfxe **[ukV-3]**	**3,00,000**
lsok dj lfgr dj;kX; lsok dk eY;	**14,00,000**
dj;kX; lsok dk eY; (14,00,000×100/114.5) [rounded off]	12,22,707
lsok dj (₹12,22,707× 14.5/100) [rounded off]	1,77293

ukV%

1. मुफ्त सेवाएं सेवा कर के लिए दायी नहीं है क्योंकि कोई प्रतिफल शामिल नहीं है।
2. क्योंकि कृषि उत्पाद की गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग के लिए श्रम की आपूर्ति ना तो खेतीहर श्रम की आपूर्ति है और न ही कृषि उत्पाद की लोडिंग अनलोडिंग है, ऐसी सेवा सेवाओं की नकारात्मक सूची में शामिल नहीं है। इसलिए करयोग्य है। [वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66D]
3. चूंकि उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की सहमति भी सेवा कर के दायरे में है इसलिए प्राप्त अग्रिम सेवा कर के लिए दायी होगा। भावी नियोक्ताओं से प्राप्ति के समय पर करयोग्य होगा, बेशक बाद में कोई कैंपस साक्षात्कार नहीं हुए और प्राप्त अग्रिम नियोक्ताओं को लौटा दिया गया।

22. (i) ऐसे मामले में जहां करयोग्य सेवाएँ एक गैर–करयोग्य क्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है और इन्हें करयोग्य क्षेत्र में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो रिवर्स चार्ज व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था के अतंर्गत ऐसी सेवा का प्राप्तकर्ता सेवा कर देने के लिए दायी होगा। अतः दिए गए मामले में यूनिवर्सल टैक्नोलिमिटेड द्वारा आयातित करयोग्य सेवा पर सेवा कर देन के लिए दायी है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) कराधान नियम के बिन्दु 2011 के अनुसार जो व्यक्ति रिवर्स चार्ज प्रक्रिया के तहत कर देने के लिए दायी है, उनके संबंध में कराधान का बिन्दु वह तिथि होगी जिस पर भुगतान किया गया है। बशर्ते भुगतान बीजक की तिथि के तीन महीने के अंदर किया गया हो। हालांकि, यदि भुगतान बीजक की तिथि के तीन मही के अन्दर नहीं किया जाता तो कराधान का बिन्दु उक्त तीन की समाप्ति के तुरंत बाद आने वाला प्रथम दिवस होगा।

क्योंकि दिए गए मामले में यूनिवर्सल टैक्नोलिमिटेड ने बीजक की तिथि के तीन महीने के अंदर भुगतान कर दिया है इसलिए कराधान का बिन्दु भुगतान की तिथि अर्थात् 28.02.2016 होगा।

(iii) करयोग्य सेवा जिसमें तकनीक का आयात शामिल है, पर देय सेवा कर में से देय R&D शुल्क की राशि कटौती के लिए स्वीकृत होगी।

c'kr%

(i) R&D शुल्क की उक्त राशि का भुगतान बीजक की तिथि से अधिकतम 6 माह में सेवा के लिए भुगतान के समय या उससे पहले दिया गया हो और

(ii) R&D शुल्क के लेखे बीजक और R&D शुल्क भुगतान के चालान के बीच संबंध रखने के लिए रखे गए हों।

क्योंकि उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी होती हैं, यूनिवर्सल टैक्नोलिमिटेड उक्त छूट के लिए पात्र है। इसलिए यूनिवर्सल टैक्नों लि. द्वारा देय सेवा कर की गणना निम्न प्रकार की जाएगीः

fooj.k	(#-)
सेवा कर **(₹10,00,000 × 14.5%)**	1,45,000
?kVkvk% अनुसंधान एवं विकास शुल्क का भुगतान	50,000
'k} lsok dj nkf;Ro	**95,000**

23. tuojh 2016 d% fy, **XYZ** fy- d% lsok dj nkf;Ro dh x.kuk%

fooj.k	#
?kjyw cfdx d% ekeyk e% cfld fdjk;k	**1,15,400**
0.7% dh nj ls lsok dj [A] ukV&1 n%[k	**807.80**
vUrjk"Vªh; cfdx d% ekeyk e% cfld fdjk;k	**4,00,200**
1.4% dh nj ls lsok dj [B] ukV&2 n%[k	**5,602.8**
dqy lsok dj **[A] + [B] (rounded off)**	**6,411**
tek% LoPN lsok midj **(6,411 × 0.5/14) [rounded off]**	**229**
dqy n;; lsok dj	6,640

© The Institute of Chartered Accountants of India

ukV%

1. सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6(7) हवाई यात्रा एजेंट को हवाई यात्रा के लिए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बुकिंग के मामले में बेसिक किराए मे 0.7 प्रतिशत क्रमशः की विशेष दरों पर सेवा कर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करता है।
2. क्योंकि दिया गया बेसिक किराया सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6(7) की शर्तों के अनुसार है, सेवा कर ऐसे बेसिक किराए के प्रतिशत के रुप में गणना की गई है और अन्य खर्चे, फीस और करों को नजरअंदाज किया गया है। विकल्प का एक बार प्रयोग करने पर वह हवाई यात्रा एजेंट के द्वारा हवाई यात्रा के लिए की गई सभी बुकिंग के संबंध में समान रुप से लागू होता है और किसी भी परिस्थिति में एक वित्तीय वर्ष के दौरान बदला नहीं जा सकता इसलिए XYZ लिमिटेड फरवरी 2016 माह के लिए 14.5% की दर से सेवा कर का भुगतान करके अपनी सेवा कर देनदारी का निर्वहण करना होगा। हालांकि यह अगले वित्त वर्ष में विकल्प को बदल सकती है और सामान्य दर से सेवा कर का भुगतान कर सकती है।

24. सेवा कर नियम 1994 के निमय 4 के अनुसार जहां एक व्यक्ति करयोग्य सेवा पर सेवा कर देन के लिए दायी है, ऐसी सेवा एक से अधिक परिसर या कार्यालयों से प्रदान करता है और ऐसी सेवा के संबंध में केन्द्रीकृत बिलिंग/लेखा प्रणाली रखता है और ऐसी केन्द्रीकृत बिलिंग/लेखा प्रणाली एक या अधिक परिसरों में स्थित है, वह अपने विकल्प पर ऐसे परिसरों में स्थित है, वह अपने विकल्प पर ऐसे परिसरों या कार्यालयों का पंजीकरण करवा सकता है। जहां केन्द्रीकृत बिलिंग/लेखा प्रणाली स्थित है हालांकि यदि ऐसे निर्धारती को कोई केन्द्रीकृत बिंलिंग/लेखा प्रणाली नहीं है, तो वह ऐसे प्रत्येक परिसर या कार्यालय के संबंध में पजींकरण के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार अधीक्षक को अलग–2 आवेदन करेगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि एक अकेले परिसर के लिए पंजीकरण CBEC की बेब साइट ACES पर ऑन लाइन आवेदन करके किया जा सकता है।

इसलिए क्योंकि ABC डिजाइनर लिमिटेड देशभर में फैली विभिन्न शाखाओं से शिल्प सेवाएँ प्रदान करता है, यह केन्दीकृत पंजीकरण का विकल्प चुन सकता है। यदि इसकी केन्द्रीकृत बिलिंग या लेखा प्रणाली है जो इसके एक या अधिक केन्द्रों पर स्थित है। हालांकि यदि इसकी केन्द्रीकृत बिलिंग या लेखा प्रणाली है जो इसके एक या अधिक केन्द्रों पर स्थित है। हालांकि यदि इसकी केन्द्रीकृत बिलिंग या लेखा प्रणाली नहीं है तो इसको अपने प्रत्येक केन्द्र के लिए अलग पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

25. **ABC** dEiuh fyfeVM d fy, miyC/k luoV ØfMV dh lx.kukA

fooj.k	#-
उत्पाद प्रशुल्क के (Tariff) अध्याय 85 के अंतगर्त आने वाले बिजली के ट्रांसफार्मर (नोट -1)	22,000
नए सांचे और डाई (नोट -1)	1,30,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (नोट-1)	20,000
कच्चे माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रक (नोट-2)	Nil
फैक्टरी में कैप्टिव प्रयोग के लिए बिजली के उत्पादन के लिए फैक्टरी के बाहर प्रयुक्त पूंजींगत वस्तुएँ (नोट-1)	20,000
पूंजीगत वस्तुएं (नोट-1)	
रिफ्रेक्ट्रीज (आग रोधक) (नोट-1)	5,000
ik= iwathxr oLrqvksa ij dqy mRikn 'kYd dk Hkqxrku	**1,97,000**
miyC/k lqfoV ØfMV iwathxr oLrqvksa ij Hkqxrku fd, x, mRikn 'kYd dk 50 izfr'kr **(ukV-3)**	98,500

ukV%

1. पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा के अनुसार, अन्य बातों के इलावा, सेनवैट क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र पूंजीगत वस्तुएं निम्न हैः
   (a) अध्याय 85 के अन्तर्गत आने वाल सभी वस्तुएँ
   (b) नए सांचे और डाई
   (c) प्रदूषण नियंत्रक उपकरण
   (d) रिफेक्ट्रीज (आग रोधक)
   (e) फैक्टरी में कैप्टिव प्रयोग के लिए बिजली के उत्पादन के लिए अंतिम उत्पाद के निर्माता की फैक्टरी के बाहर प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुएं।
2. निर्माता की फैक्टरी में प्रयुक्त मोटर वाहन पात्र पूंजीगत वस्तुएँ हैं बशर्ते वे टैरिफ शीर्षक 8702, 8703, 8704 और 8711 के अन्तर्गत न आती हों। इसलिए कच्चे माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रक, जो टैरिफ शीर्षक 8704 के अन्तर्गत आता है, पात्र पूंजीगत वस्तुएँ नहीं है।
3. सेनवैट क्रेडिट पात्र पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में, उनके क्रय के वर्ष में, भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के 50% तक उपलब्ध हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India